हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

4 मार्च, 2013

खण्ड - 1, अंक - 6

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
★ Chandigarh ★

विषय सूची

सोमवार, 4 मार्च, 2013

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(6)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)3
नियम 45(i) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)26
घोषणाएं :—	(6)36
(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा	
(i) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	
(ii) स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति/बैठक का स्थगन	
सदस्यों का नाम लेना	(6)42
श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के हरियाणा विधान सभा के सदस्य तथा प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी रहने का नैतिक अधिकार खोने संबंधी स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 पर चर्चा की स्वीकृति	

159

	पृष्ठ संख्या
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	(6)43
श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के हरियाणा विधान सभा के सदस्य तथा प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी रहने का नैतिक अधिकार खोने संबंधी स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 पर चर्चा (पुनरारम्भण)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	(6)83
(i) हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में पारदर्शिता संबंधी	
वक्तव्य—	(6)84
राजस्व मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
बैठक का समय बढ़ाना	(6)85
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भण)—	(6)85
(ii) हरियाणा में भारी ओलावृष्टि से फसलों को हुई हानि संबंधी	
वक्तव्य	(6)86
राजस्व मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
नियम समिति की रिपोर्ट मेज पर रखना	(6)95
वर्ष 2013-14 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा	

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार 4 मार्च, 2013

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members now the Parliamentary Affairs Minister will make obituary references.

श्री प्रभु सिंह मान, स्वतन्त्रता सेनानी

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रणसिंह मान के चाचा महान स्वतन्त्रता सेनानी श्री प्रभु सिंह मान के 28 फरवरी, 2013 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म भिवानी जिले के गांव लाड में सन् 1911 में हुआ। वे एक महान देशभक्त थे। वे जून 1935 में द्वितीय रोयल लांसर के पद पर आर्मी में भर्ती हुए तथा सन् 1941 में उन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। वे तीसरी ब्रिगेड की एडवांस पार्टी में शामिल हो गए। इसी दौरान वे आजाद हिन्द फौज के संस्थापक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के संपर्क में आए।

देशद्रोह के मामले में वे इटली और जर्मनी की जेलों में पांच साल तक बन्द रहे। भारत आने पर वे पकड़े गए तथा रोहतक एवं रावलपिंडी की जेलों में रहे। उन्हें सन् 1946 में आर्मी से बर्खास्त कर दिया गया। देश की आजादी के बाद वे समाज सेवा के कार्यों में लग गए। हमें ऐसे देशभक्त तथा समाजसेवी पर गर्व है तथा हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती सुहागवंती, विधायक श्री अशोक अरोड़ा की सास

यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अशोक अरोड़ा की सास श्रीमती सुहागवंती के 3 मार्च, 2013 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्रीमती सुहागवंती एक धार्मिक प्रवृति की महिला थी, जिनका अधिकतर समय लोगों की सेवा में व्यतीत होता था। जो भी व्यक्ति उनके पास सहायता मांगने के लिए आता था वे हमेशा ही उसकी हर सम्भव मदद करती थी। उनके निधन से परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है।

यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : सर, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रणसिंह मान के चाचा महान स्वतन्त्रता सेनानी श्री प्रभु सिंह मान के 28 फरवरी, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म भिवानी जिले के गांव लाड में सन् 1911 में हुआ। वे एक महान देश भक्त थे। वे जून 1935 में द्वितीय रोयल लांसर के पद पर आर्मी में भर्ती हुए थे। सन् 1941 में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। वे तीसरी ब्रिगेड की एडवांस पार्टी में शामिल हो गए। इसी दौरान वे आजाद हिन्द फौज के संस्थापक नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के संपर्क में आए।

देशद्रोह के मामले में वे इटली और जर्मनी की जेलों में पांच साल तक बंद रहे। भारत आने पर वे पकड़े गए तथा रोहतक और रावलपिंडी की जेलों में रहे। उन्हें सन् 1946 में आर्मी से बर्खास्त कर दिया गया। देश की आजादी के बाद वे समाज सेवा के कार्यों में लग गए। हमें ऐसे देशभक्त तथा समाजसेवी पर गर्व है तथा हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अशोक अरोड़ा की सास श्रीमती सुहागवंती के 3 मार्च, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

श्रीमती सुहागवंती एक धार्मिक प्रवृति की महिला थी, जिनका अधिकतर समय लोगों की सेवा में व्यतीत होता था। जो भी व्यक्ति उनके पास सहायता मांगने के लिए आता था, वे हमेशा ही हर सम्भव मदद करती थी। उनके निधन से परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है।

मैं अपने और अपनी पार्टी के तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

श्री अनिल विज : सर, जो शोक प्रस्ताव किया गया है मैं भी उसका अनुमोदन करता हूँ और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the obituary references made by the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by other Members of the House. I feel grieved on the sad demise of Shri Prabhu Singh Mann, a great freedom fighter and the uncle of former Chief Parliamentary Secretary, Haryana Shri Ran Singh Mann. I also feel grieved on the sad demise of Smt. Suhagwanti, mother-in-law of Shri Ashok Kumar Arora, MLA. She was 75 years old and was a religious woman. I pray to almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up for two minutes to pay homage to the departed souls.

(At this stage, the House stood up in silence for two minutes as mark of respect and to pay homage to the departed souls.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now the question hour.

Up-gradation of Schools

***1304 Dr. Hari Chand Middha :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Middle School of village Talauda and Government Primary School of village Lohchab in Jind Constituency; and

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative the time by which the above said Schools are likely to be upgraded ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) :

(a) Government Middle School, Talauda : No sir, Government Primary School, Lohchab; Yes Sir.

(b) Government Primary School, Lohchab is likely to be upgraded in academic session 2013-14.

श्री हरिचन्द मिढ्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2009 से जनवरी 2013 तक जीन्द जिले में कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया है और सरकार बाकि और कितने स्कूल अपग्रेड करेगी।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं हमारे सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि पहले तो जीन्द असैम्बली कांस्टीच्यूएंसी में 2009 तक जो सूची है उसमें हमने तकरीबन 9 स्कूल अपग्रेड किए हैं और इसके अलावा 2013 में हमने पूरे स्टेट में अभी नये जो स्कूल अपग्रेड किए हैं उनमें तकरीबन 132 स्कूल हाई से सीनियर सैकेंडरी और 13 स्कूल मिडल से सीनियर सैकेंडरी किए हैं। जीन्द में हमने अभी 2012-13 में एक गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल सिंगवाल, गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मल्हड, एक गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल खरकाना और एक मिडल से सीनियर सैकेंडरी स्कूल रत्ताखेड़ा में अपग्रेड किया है। अभी कल परसों हमारी एक और लिस्ट F.D. से फाईनल हो गई उसके बाद एक गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल बदनपुर जो हमने इसी साल अपग्रेड किया है।

तारांकित प्रश्न संख्या - 1393

(यह प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा सदन में मौजूद नहीं थे)

Legal Provision for Control of Sexual Offences

***1339. Smt. Sumita Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make any specific legal provision for effective control over sexual offences against women at the State level ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, a Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The State Government is fully committed to ensure complete safety and protection of women. The Government has already taken a number of steps to provide safety and security to them. The State police is strictly implementing Criminal Laws - both Central and State, in order to protect citizens, especially women, and also to detect crime and to prosecute criminals. In this regard, Central Laws - both substantive such as Indian Penal Code as well as Procedural Laws such as the Criminal Procedural Code and the Indian Evidence Act, play a major role.

The relevant laws have been amended to strengthen the hands of the law enforcement agencies. The Courts have also taken initiatives to fast track the trials in such cases. As a result of the combined and well coordinated efforts of all the organs of the Criminal Justice System, now many criminals have been convicted within a very short period, sometimes as short as approximately two months, thus having a deterrent effect.

Laws regarding serious crimes against women have now been made more rigorous. On 03-02-2013, the Government of India has promulgated the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 providing for amendment in the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, and the Indian Evidence Act. A new word 'sexual assault' has been substituted for rape widening the scope earlier provided for rape. The punishment for sexual assault has also been enhanced. Section 376A provides for capital punishment death penalty for offences punishable under sub-section(1) or sub-section(2) of section 376 where sexual assault leads to death of the victim or leaves her in 'persistent vegetative state'. In such cases, the minimum punishment will be imprisonment for 20 years which can be extended to natural life of the convict or death. As per section 376E, capital punishment may also be awarded to repeat offenders i.e., persons who have been previously convicted of an offence punishable under section 376 or section 376A or section 376C or section 376D and are subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections. In the case of sexual assault by a gang i.e. where a person is sexually assaulted by one or more persons constituting a group action in furtherance of common intention, each of those persons deemed to have committed the offence of sexual assault, regardless of gender, shall be punished with minimum 20 years of rigorous imprisonment, and shall pay compensation to the victim, as per section 376D. Further, the age of consent has been raised to eighteen as against sixteen earlier.

Section 354 IPC was earlier bailable and was punishable with imprisonment of either description for a term upto 2 years, or with fine, or with both. Now, it has been amended to make molestation punishable with imprisonment of either description for a term of one year which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. In addition, this offence has now been made non-bailable.

Voyeurism and stalking have also been defined in the Ordinance. Sections 354 C and 354 D have been added respectively in this regard in the IPC.

Section 509 IPC (Eve-teasing), earlier punishable with simple imprisonment up-to 1 year or fine or both, has now been made punishable with simple imprisonment up-to 3 years and fine.

Two new sections 326 A and 326 B have been inserted in Indian Penal Code to deal with offences related to 'acid attack'. Section 326 A, voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc. provides punishment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment of life and with fine which may extend to 10 lacs rupees. Section 326 B deals with attempts to throw or administer acid with intention of causing permanent or partial damage, *etc.* shall be punished with imprisonment which shall not be less than 5 years extendable upto 7 years and fine.

The scope of section 370 has been widened and made more stringent to deal with trafficking of persons.

The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 *i.e.* POCSO Act, which came into force on 14-11-2012, deals with sexual offences against persons below the age of 18 years. The Act defines a 'child' as any person below eighteen years of age. Being gender neutral, this definition provides equal protection to both the male and the female children. The burden of proof has been shifted on accused in case of serious offences under this Act. Non-reporting. and non-recording of offence have been made penal. Several child-friendly procedures - both during investigation and trial, have also been introduced.

The implementation of the provisions of The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 is being done meticulously.

A Victim Compensation Scheme has been approved by the Government with the concurrence of Hon'ble Punjab and Haryana High Court, under the provisions of section 357-A of the Cr.P.C. This Scheme provides for compensation of Rs. 3.00 lakh for rape victims and others, drawn from a fund created by the State Government.

The Government has decided to establish 21 Exclusive Courts in the State to fast track trials of cases of sexual offence against women. In the interim period, under directions of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court, 12 Courts have begun to function as Exclusive fast track Courts for crime against women.

In order to rein-in criminals convicted in cases of buying or selling minors for purposes of prostitution, rape with a woman below sixteen years of age, murder with rape, habitual offenders, criminals convicted in very heinous offences, convicts on death penalty, convicts detected using cell phone or in possession of cell-phone/SIM card inside the jail premises etc., the State Government has amended the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act and notified the same. Now, such criminals will not get the benefit of parole or furlough.

With a view to provide safety and security to women and to prevent sexual offences against them, it is the earnest endeavor of the State Government to make and strictly implement suitable Laws as also to implement the Central Laws enacted by the Central Government from time to time. In this regard, the Hon'ble Member may give her valuable suggestions which will be duly considered by the Government.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो 12 फॉस्ट ट्रैक कोर्टज शुरू किये जा रहे हैं उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी से तीन प्रश्न भी पूछना चाहूंगी। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि आज हमारे शहरों के अन्दर जगह-जगह पर लोग अपने ही तौर पर ऑरफेनेज बना लेते हैं। मैने स्वयं भी कई ऐसी संस्थायें देखी हैं जहां पर हैंडीकैप्ट्ड और मंद बद्धि के बच्चों को होस्टल्ज में रखा जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इन संस्थाओं पर कभी कोई चैकिंग करती है क्योंकि जो ऑरफेनज के अन्दर छोटी-छोटी बच्चियां रहती हैं अगर इन पर कोई अत्याचार हो भी जाये तो भी ये शिकायतें नहीं कर सकती है। मेरा दूसरा सवाल स्कूल और कॉलेजिज के अन्दर स्कूल/कॉलेजिज टाईमिंगज में मोबाईल फोनज यूज न करने के बारे में है। अभी पिछले दिनों मैने करनाल के एक कॉलेज के अन्दर फंग्शन अटैंड किया जोकि कल्चरल प्रोग्राम था जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं और जब लड़कियों ने स्टेज के ऊपर डॉस परफोर्म करना शुरू किया तो जो लड़के वहां बैठे हुए थे उन्होंने कॉलेज के पूरे स्टॉफ के सामने ही लड़कियों की वीडियो फिल्मज बनाना शुरू कर दिया, जिसको मैंने कहकर रूकवाया। इस प्रकार के कृत्य एक प्रकार से लड़कियों पर अत्याचार/असॉल्ट ही होते हैं। इस प्रकार की चीजें क्राईम को लीड करती हैं। मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि मोबाईल फोन्ज के प्रयोग को स्कूल और कॉलेजिज आवर्ज में रूकवाने का प्रबन्ध किया जाये। मेरा तीसरा सवाल यह है कि जो 18 साल से ऊपर की लड़कियां है, जो अपने घर से मिसिंग हो जाती हैं या फिर अपनी मर्जी से गई होती है या फिर लड़के उनको ले गये होते हैं जब इसके बारे में लड़कियों के माता पिता हमारे पास आते हैं और हम पुलिस को टेलीफोन करते हैं तो हमसे सबसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता है कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है या ऊपर है। जब हम कहते हैं कि 18 साल से ऊपर है तो उनका कहना होता है कि 18 साल से ऊपर है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पीकर सर, यह जरूरी नहीं है कि हर 18 साल से ऊपर की लड़की अपनी मर्जी से ही घर से भाग गई हो। उसके साथ जोर-जबरदस्ती भी हो सकती है। क्या हम इस मामले में कुछ कर नहीं सकते हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो तीन प्रश्न सदन के सामने उठाये हैं उनमें से जो पहला प्रश्न है वह तारांकित प्रश्न की श्रेणी में पूछा गया है जोकि इस प्रश्न के साथ सीधे तौर से जुडा हुआ नहीं है, परन्तु मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से ऑरफेनेजिज शुरू नहीं कर सकता है और उसको अडॉप्शन के लिए हिंदुस्तान में एडॉप्शन और मैंटेनैंस एक्ट का प्रावधान है। Orphaned children cannot be given in adoption just like that. There are set provisions and regulations defined under adoption and Maintenance Act which need to be complied with. Two more questions have been asked by my learned friend . One qua mobile phones. While I can understand that she has an apprehension but to say that mobile revolution is responsible for spreading crimes is per se wrong . Personally or as also on behalf of the Government, I respectfully disagree with that. I do not think mobile revolution is something that is derogatory to progress. There are close to 100 crore cell-phone connections in this country today against the population of 125 crores.

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्रश्न यह है कि जो स्कूल्ज/कॉलेजिज आवर्ज में सैलफोंज का दुरूपयोग किया जा रहा है, वहां पर इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाये जा सकते ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आज 125 करोड़ के आबादी वाले इस देश में 100 करोड़ के करीब सैलफोंज होना अपने आप में प्रगति और कम्युनिकेशन रैवोल्यूशन का सूचक है । Speaker Sir, every technology is amenable to some misuse, I agree. She has raised a valid point that during classes students should not be permitted to use it. That is a very valid point. We will issue necessary instructions. Although teachers are already well aware that when the teaching is going on, whether in their schools or colleges you should not be using mobile cell phones in the course of lessons in your class room. But outside the class room, to prohibit children from using cell phones perhaps, will be a rudimentary and may be really counter productive to security of the children and their communication with their parents. Sir, third question that my learned friend has asked is regarding those girls who are above 18 years. Sir, the age of majority here is 18 years. Now the new Criminal Law Amendment Act, 2013 has come. There also the age has been increased from 16 years to 18 years. So, anybody less than 18 years now is considered as a child and once you have acquired the age of 18 years, then you are considered as an adult. Post that you are free to do some acts by your own violation. The law recognizes in this country that when you are mature, enough to take some decisions yourself and I think on that if a child, whether it's boy or girl, voluntarily decides to marry another person, then the law recognizes their right to marry voluntarily. However, any case that comes to our notice, which is a case of forcible consent, or a consent that is not voluntarily or it is not by volition then the provisions of the Criminal Amendment Law Act and the Indian Penal Code will come into play. Various new offences have now been added that I have already enlisted in my statement. I had earlier stated this when member was not present because she were pre-occupied elsewhere and all those provisions have brought to the notice of this House. Rest assured that we will do our best but to change the age of being an adult would not be possible at this juncture and to say that we should ban cell phones altogether for children perhaps may be a little too much but inside the class rooms, we will make sure that they turn their cell phones off.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि they have been taking so many steps for the protection of the women. Even the law is amended and there are so many sections which have come for the protection of women. साथ में मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि कई केसिज ऐसे हैं these are only covering the offences of the rape etc. for the women. But whether the other offences which are only carrying the imprisonment upto three year like outrages to modesty like using the sin language etc. will also be covered by the fast track courts or not and any step may be taken for the covering the petty offences in the fast tracks for the women. Secondly Sir, I would also like to ask that in offences of the rape etc. the charge-sheet is submitted within 60 days or 90 days and in the small offences like outrages on the modesty and using the sin language for the women or the girls, there is no limitation of submitting the charge-sheet because the accused after sometime is released on the bail and there is no time limit for submitting the charge-sheet. कई केसिज ऐसे हैं जहां 6-6 महीने और एक एक साल तक चार्जशीट फाइल नहीं होती जिससे फास्ट ट्रैक के केसिज हैं का सारा परपज ही ओवरराइड हो जाता है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा स्टैप लिया जा रहा है कि जितने भी केसिज क्या वीमैंस हैं उनमें सी.आर.पी.सी. के सैक्शन चाहे 294 है, चाहे 354 है, 326 है Even after release

[श्री देवेन्द्र कुमार बंसल]
of the accused on the bail, there is a specific time of two months of submitting the charge-sheet to curb the atrocities on the women. इसमें प्रावधान दो महीने का है क्योंकि दोषी जमानत पर छूट जाता है तो पुलिस साल साल भर तक चालान पेश नहीं करती । यही हालात सैक्शन 376 के केसिज में भी होता है जहां पर दोषी की जमानत हो जाती है और तीन महीने का प्रावधान होने के बावजूद भी चालान पेश नहीं किया जाता है। क्या कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाएगा कि दोषी को जमानत पर छूटने के बाद भी निर्धारित समय में धारा 167(2) के तहत चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अदालत में पेश किया जा सके ?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, my learned friend has asked two questions. One is about the nature of cases that would be tried in the fast track courts. He is an eminent lawyer himself and I will possibly not dispute that there are a number of categories of cases where the trial needs to be expedited. But it is a fact of the life that the number of Judges compared to per capita population in this country is dismally low and that is why the pendancy of cases has been a matter of some concern across courts irrespective of the category of cases. Speaker Sir, that is why the pendencey of cases has been a matter of some concern across the courts irrespective of the categories of cases Pursuant to the incidents that happened in Delhi with one of our daughters, Supreme Court and Government of India consequently issued certain directions and a certain category of cases, which in this case is rape has been assigned to Fast Track Courts. The whole purpose being that these Fast Track Courts will ensure dispensation of justice and deterrent sentences and both these will cumulatively lead to protection of women in general and a deterrence against commission of such offences in particular. So, to add more categories of cases here at this point of time may not be possible. However, one thing pointed out today is that cases under protection of children from sexual offences should also fall in the same category as rape cases and they should be shifted. Speaker Sir, we will consider to make an appropriate reference to the Hon'ble High Court for at least considering these two category of cases *i.e.* the current rape cases that they are trying in Fast Tract Courts plus cases under the protection of children against sexual offences so that atleast these two categories are clubbed expeditiously and decided. Qua the rest of the categories to be added here, the whole purpose of Fast Track Courts may get defeated by addition of many categories. His second question is really part of the first question that I have answered qua petty offences. Petty offences need to be tried expeditiously I agree and I can assure that the prosecution department of the State of Haryana will do its best within its means to ensure that atleast challans are presented on time and prosecution takes minimal possible adjournments. Thirdly, I also want to tell the House, Sir with your permission and also to my learned friend that Government of Haryana besides all the pro-active steps we have listed has also brought the Women Commission Act which was passed by this Legislature, Haryana State Women Commission as also the Commission on Protection of Children have already been constituted. We have also now Special Anti Human Trafficking Cells for Human Trafficking, for Immoral Trafficking and Prohibition of Child Marriage Act. We have also designated one officer in each Police Station as Juvenile Child Welfare Officer. Besides all other things we have done these are some other measures that we have taken.

Criteria for up Gradation of Schools

***1354 Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Education Minister be pleased to State:—

a) the criteria of up-gradation of schools in Haryana in the preview of new Education Policy; and

b) the number of schools proposed for up-gradation in Julana Constituency?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir,

(a) Statement is laid on the Table of the House.

Sr. No.	School No. Level	Enrolment	Land	Distance from nearest School	Number of Class Rooms
1.	Primary to Middle	150 Students from 1st to Vth class and at least 25 students studying in class Vth for the last two years; and If there is more than one Primary School in a village then one of the school which is having maximum no. of students and maximum infrastructure may be upgraded.	1 acre	2 Km	8 Class Rooms (at least one room per section)
2.	Middle to Sr. Secondary	At least 210 Students in classes VIth to VIIIth and at least 70 students should be in class VIIIth for the last two years for starting IXth and Xth classes; and In a radius of 5 Km one of the Middle Schools having highest students strength, adequate infrastructure and easy accessibility may be upgraded to Sr. Sec. stage.	2 acre	5 Km	14 Class Rooms (atleast one Room per section)
3.	High to Sr. Secondary	150 in classes IX to Xth as per record of Board of School Education Haryana; and In a radius of 5 Km one of the High Schools having highest students strength, adequate infrastructure and easy accessibility may be upgraded to Sr. Sec. stage.	2 acre	5 km	14 Class Rooms (atleast one room per section)

(b) In Julana Constituency two schools namly Government Girls Primary School, Lajwana Khurd and Government High School, Nidani are proposed for up-gradation as these schools fulfill the norms of up-gradation.

इसलिए ये दोनों स्कूल जल्दी ही अपग्रेड कर दिये जायेंगे ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने मेरे हल्के के दो स्कूलों को अपग्रेड करने के बारे में कहा है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने प्रश्न नं० 1304 के जवाब में बताया है कि सरकार ने हरियाणा में इतने स्कूलों को अपग्रेड किया है । इसी के साथ मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार की क्या कोई ऐसी शिक्षा नीति है जिसके तहत जिस प्रकार से स्कूल अपग्रेड किये गये हैं उसी हिसाब से जो टी.जी.टी. हैं उनका प्रोमोशन भी किया जायेगा । फिलहाल 8500 टी.जी.टी. के प्रोमोशन के पद लम्बित पड़े हैं । क्या उन सभी अध्यापकों को प्रोमोशन देकर सम्मानित किया जायेगा ताकि इन स्कूलों में और अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके । कई ऐसे अध्यापक हैं जो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं लेकिन उनके प्रोमोशन नहीं हो रहे हैं ।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो स्कूलों की अपग्रेडेशन से सबंधित है।

Mr. Speaker : But this question is pertaining to upgradation of schools. Point may be same but it is very different question.

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह नीति है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले । इसके बारे में अच्छा प्रचार भी हो रहा है । एक अध्यापक जो एम.एस.सी. मैथ्स है लेकिन उसको अभी तक प्रोमोशन नहीं मिला है क्या उस अध्यापक को प्रोमोशन देने के बारे में विचार किया जायेगा ?

Mr. Speaker : It is a separate question need not reply to this question.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में हसनगढ़ प्राइमरी स्कूल है जिसमें 150 बच्चों के अगेनस्ट 465 बच्चे हैं और हसनगढ के ही एक और प्राइमरी स्कूल में रिक्वायरमैंट स्ट्रैंथ से ज्यादा बच्चे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि क्या वे इन स्कूलों को अपग्रेड करने बारे विचार करेंगें ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, जितने भी स्कूल हमारे नार्म्स को फुलफिल करते हैं वे स्कूल अपग्रेड होने के लिए इलीजिबल हो जाते हैं । हमने सभी जिलों में बहुत ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए हैं । सोनीपत के भी करीबन 59 स्कूल पहले ही अपग्रेड हुए थे और जो नई लिस्ट आई है उसके हिसाब से भी सोनीपत में गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल, बड़ोता और गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल, मलिकपुर अपग्रेड हुए हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो भी स्कूल हमारे नार्म्स फुलफिल करेंगें उन स्कूलों को हम अपग्रेडेशन के लिए जरूर कंसीडर करेंगे।

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के सफीदों में 13-14 प्राइमरी स्कूल हैं । माननीय मंत्री महोदय ने स्कूलों की अपग्रेडेशन के जो नार्म्स बताएं हैं, ये स्कूल उन नार्म्स को पूरा करते हैं । इन स्कूलों की अपग्रेडेशन की फाइल हमने 17 फरवरी को महकमे को भेजी हुई है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन सभी स्कूलों को अपग्रेड करने का काम वकरेंगे ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री महोदय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और वित्त मंत्री महोदय को आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मैक्सीमम बजट अलॉट किया है ताकि हमारे जो नए स्कूल खोले जाने का काम और स्कूलों को अपग्रेड करने का काम पैंडिंग था वह क्लीयर हो जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि जो भी स्कूल हमारे नार्म्स फुलफिल करेंगें उन स्कूलों को अपग्रेड करने बारे हम जरूर कंसीडर करेंगे।

श्री कृष्णलाल पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की नीति के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा विभाग ने प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल में और मिडल स्कूलों को हाई स्कूल में और हाई स्कूलों को सीनियर सैकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने बारे कोई सर्वे किया है और यदि किया है तो यह सर्वे कब किया गया था ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अधिकार आने के बाद हरियाणा सरकार ने बहुत जिम्मेदारी के साथ इस एक्ट को लागू करने का पूरा प्रयास किया है । स्कूलों को अपग्रेड करने के नार्म्स हमने हाउस की टेबल पर रखे हैं । हम न सिर्फ स्कूलों को अपग्रेड करेंगे बल्कि जहां बच्चों की संख्या ज्यादा और टीचर्स कम थे या कहीं पर शिक्षकों की संख्या कम थी इसके लिए हमने पिछले साल रैशनेलाइजेशन करवाया है । हमारे जो नार्म्स हैं उसके हिसाब से प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों की संख्या है तो उस स्कूल को अपग्रेड करेंगे और उसके बाद बच्चो की संख्या 35 है तो उस स्कूल को अपग्रेड करेंगे । उस नार्म्स के हिसाब से हम इस समय शिक्षकों की नियुक्तियां कर रहे हैं । शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए हमने शिक्षा भर्ती बोर्ड का गठन भी किया है । इस समय टीचर्स केंइंटरव्यू चल रहे हैं और नतीजे आ रहे हैं। इस प्रकार जो भी वकैंन्सीज होगी हम उनको जल्दी फिल अप करेंगे । न केवल शिक्षा के अधिकार को बल्कि मुख्यमंत्री महोदय का शिक्षा के क्षेत्र में जो सपना है उसको इस बजट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया है । शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हमारी प्रायरिटी है ।

Extension of Lal Dora

***1325. Shri Rameshwar Dayal Rajoria :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the Lal Dora of Villages of Bawal Constituency; if so, the details thereof ?

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप) : जी नहीं।

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में चकबंदी 1959-60 में हुई थी और उस समय को 53 साल हो गए हैं । इस पीरियड में जो गांव की फिरनी थी वह सभी जगह खाली थी लेकिन आज वह सारी जगह कवर हो गई है और आज लोगों के बसने के लिए जगह नहीं है । मेरी सरकार से मांग है कि इस फिरनी के दायरे को बढ़ाया जाए ।

Mr. Speaker : It is a demand need not reply.

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में बताना चाहूंगा कि यह सवाल पहले भी कई बार आता रहा है और आज भी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है । मैं यह समझता हूं कि जिस समस्या का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं यह समस्या केवल इनके इलाके की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ठीक फरमा रहे थे कि सैटलमैंट के समय में जिस लाल डोरा की बात ये कह रहे हैं उसमें आज समस्या आ रही है क्योंकि, गांव की आबादी की एक सीमा है लेकिन यह रैवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक हमारे रिकार्ड में नहीं है । यह आबादी देह का एक ऐसा नम्बर है जो सैटलमैंट

[श्री महेन्द्र प्रताप]

के समय कायम किया गया था । शामलात की भूमि में से ऐसी जमीनें जो स्कूल के लिए, श्मशान घाट के लिए और कोई गाडे जात के लिए सैटलमैंट के समय छोड़ी गई थी जिसमें गांव की फिरनी भी छोड़ी गई थी । उसके बाद आज तक इसको बढ़ाने में कोई अमल नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, जो आबादी आज गांवों के लाल डोरे के बाहर बढ़ रही है उसके लिए आज व्यवस्था की जरूरत है । यह 76 प्रतिशत समस्या गांवों की है और 24 प्रतिशत शहरी एरियाज में जो गांव आ गये हैं वहां की है । यह समस्या शहरों में तो विशेषतौर पर है लेकिन देहात में जो कंट्रोल्ड एरिया से बाहर गांव हैं वहां यह समस्या ज्यादा नहीं है । (विघ्न) 76 प्रतिशत एरियाज में यह समस्या ज्यादा नहीं है और वहां आबादी खेतों में आज भी रह रही है । मुख्यतौर पर यह समस्या उन गांवों में है जो शहरी क्षेत्र में आ गये हैं। जो गांव निगम, म्युनिसिपल कमेटीज या कंट्रोल्ड एरिया में आ गये वहां यह समस्या है इसमें कोई दो राय नहीं है । इस समस्या से संबंधित गुड़गांव के चक्करपुर गांव का मामला हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट ने अपनी डायरैक्शंज इस गांव के बारे में दी कि 60 प्रतिशत एरिया 1963 के शिडयुल्ड एक्ट से अलग कर दिया जाये, एक्ट से बाहर कर दिया जाये । केवल उसी केस में 60 प्रतिशत एरिया बाहर किया गया है लेकिन आज आमतौर पर देखा गया है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी तकरीबन गांवों में पहले ही बाहर बसी हुई है । जिससे यह परपज सोल्व नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि उसको बढ़ाने की व्यवस्था की जाये तो वहां उसके साथ-साथ किस एरिया में, किस साईड कितनी-कितनी सीमा बढ़ाई जाये इस बारे में भी सोचना होगा। वहां कुछ ही लोगों की जमीन साथ लगती है बाकि जो लोग बीच में बसे हुए हैं उनको बढ़ाने से बैनीफिट कैसे मिलेगा ? बीच में रहने वालों को इसका बैनीफिट नहीं मिलेगा । इसके लिए यह व्यवस्था कर रखी थी कि शहरी एरियाज में जो गांव पड़ते हैं उनके लिए कंट्रोल्ड एरिया के अंदर सी.एल.यू. की व्यवस्था है । यदि कोई आदमी संबंधित अथोरिटी से सी.एल.यू. या परमिशन लेकर मकान बनाना चाहता है तो बना सकता है लेकिन पिछले दिनों इस बारे में अधिकारियों के लैवल पर एक मीटिंग हुई और उसमें यह तय हुआ कि जो गांव कंट्रोल्ड एरिया के अंदर आ गए वहां पर एक-एक मकान के लिए सी.एल.यू. की परमिशन दी जायेगी तो यह मामला काफी कंप्लीकेटिड हो जायेगा । इसके लिए तो हुडा, हाउसिंग बोर्ड या दूसरी अथोरिटी मिलकर उन गांवों के लिए अलग से जमीन एक्वायर करके प्लानिंग करें तभी यह समस्या हल हो सकती है। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

Mr. Speaker : Dangi Sahib, I will give you a chance to speak. Please sit down. Hon'ble Minister, have you completed your reply?

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी मेरी बात पूरी तो होने दें । दांगी साहब मैं बोल रहा हूं मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा था कि यह लाला डोरा ऐसा शब्द है कि इसको बढ़ाने की हमारे विभाग के पास व्यवस्था नहीं है और यह मैटर हमारे विभाग का सब्जैक्ट भी नहीं है ।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि गांवों में जो लाल डोरे से बाहर का एरिया है वहां पर भी आबादी बस चुकी है और उन्होंने अपने खेतों में अपने मकान बना लिए हैं । मैं माननीय मंत्री से पूछना भी चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी कि जिन लोगों ने अपने परिवार के बढ़ने के कारण अपने खेतों में अपने रहने के मकान बना लिये हैं जिसमें उनकी जीवन भर की जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। एन.सी.आर. में हुडा द्वारा उस ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया है इसलिए कई गांवों के

अंदर उन मकान मालिकों को मकानों को तोड़ने के नोटिस आ चुके हैं । क्या सरकार द्वारा रूल्ज़ में कोई प्रोविज़न करके उन मकानों को रेगूलराईज़ किया जायेगा क्योंकि जब ऐसे केसिज़ में मकान मालिकों को मुआवज़ा दिया जाता है तो वह सिर्फ प्लॉट्स का ही दिया जाता है । मैं यह चाहती हूं कि उनको दिये गये नोटिस वापस लिये जायें ।

श्री महेन्द्र प्रताप : स्पीकर सर, वैसे तो यह मामला प्लानिंग डिपार्टमैंट से रिलेटिड है फिर भी मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज गांवों की आबादी लाल डोरा से बाहर हो गई है, इसके बावजूद जो आबादी गांवों के नज़दीक है उनको छोड़ा भी जाता है और सैक्शन 4 से पहले जहां पर मकान बन गए हैं वहां उनको भी छोड़ा जाता है । इसके अलावा जो मकान गांवों से दूर बन गए हैं और सड़कों के एरिया में आ गये हैं उनको उसके बदले में प्लॉट्स भी दिये जाते हैं। स्पीकर सर, आप तो जानते हैं कि हमारी आर. एण्ड आर. पॉलिसी पूरे देश में बेहतरीन पॉलिसी है । हमारी आर. एण्ड आर. पॉलिसी के मुताबिक कोटे में भी मकान दिया जाता है । (शोर एवं व्यवधान) इसके अलावा जो मकान पुराने बने हुए हैं उनको भी छोड़ा जाता है । अगर वे प्लानिंग में आ जाते हैं तो उन मकान मालिकों को प्लॉट्स तक देने की भी व्यवस्था सरकार की पॉलिसी में है ।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मंत्री जी ने जो सी.एल.यू. और हुडा के बारे में बात की है वह विशेषकर शहरी आबादी के लिए है। हर गांव में हुडा नहीं है। यह गांवों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है । स्पीकर सर, 1960-62 में जो कंसोलीडेशन हुई उसमें ही आज के लाल डोरा और फिरनी के एरिया को फिक्स किया गया है । सर, उस समय हमारे देश की आबादी 45-46 करोड़ मुश्किल से होगी जबकि आज के समय में हमारे देश की आबादी लगभग 120 करोड़ है। वह लाल डोरा उस वक्त की आबादी के हिसाब से बनाया गया था । माननीय सदस्या कविता जी ने एक बात कर दी कि गांवों में लोग अपने खेतों में मकान बनाकर रहने लगे हैं । इनको इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे गांव के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है । लाल डोरा और फिरनी के बीच का जो एरिया है उसके बीच में अगर कोई अपना मकान बनाता है चाहे वह उसके लिए बिजली का कनैक्शन ले या फिर पानी का कनैक्शन ले तो उसको एक्सट्रा चार्जिज़ लगते हैं चाहे पोल लगाने की बात हो या फिर अन्य कोई बात हो । इससे हर आदमी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है । लाल डोरे और फिरनी के बीच में भी आज के समय में बहुत आबादी हो गई है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने मकान फिरनी तक बना लिये हैं उनको भी लाल डोरे के अंदर बने हुये मकानों की तरह मिलने वाली सुविधायें प्रदान की जायें । (विघ्न) मेरी मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि इस विषय पर पूरा विचार किया जाये और जो फिरनी तक का एरिया है उसको लाल डोरे तक की फैसिलिटी प्रदान की जाये ।

श्री महेन्द्र प्रताप : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह समस्या सुविधाओं के कारण नहीं है बल्कि यह समस्या जनसंख्या बढ़ने के कारण पैदा हुई है । जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक लाल डोरा हमारे डिपार्टमैंट के अधीन नहीं आता । जहां तक गांवों का ताल्लुक है इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि 76 परसैंट गांवों में तो यह समस्या है ही नहीं है और वे फिरनी तक भी और अपने खेतों में भी रिहायशी मकान बना सकते हैं अर्थात वहां पर इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है ।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम पाबंदी की बात नहीं कर रहे हैं हम तो सुविधा की बात कर रहे हैं । जो लोगों की अपनी ज़मीन है वे उस पर कुछ भी कर सकते हैं । हम तो उनको सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधा की बात कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गांवों में जो बिजली और पानी के साथ-साथ दूसरी सुविधायें भी हैं अगर वे कंट्रोल्ड एरिया के अंदर हैं तो उन पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह एक सीधी सी बात है कि जो फिरनी और लाल डोरे के बीच के मकान हैं क्या आप उनको भी सभी सुविधायें लाल डोरे के अंदर वाले मकानों की तरह प्रदान करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, लाल डोरे का, फिरनी का और गांव की एक्सपैन्शन का यह जो सवाल आया है यह समस्या केवल हरियाणा की नहीं है । यह समस्या पंजाब और दिल्ली में भी है क्योंकि लाल डोरा निर्धारित हुए काफी समय हो गया है । कंसोलिडेशन के समय लाल डोरे के अन्दर जो भी मकान बने हुये थे या लाल डोरे में अब बने हुये हैं वे किसी की मलकियत नहीं हैं तथा न ही रिवैन्यू रिकॉर्ड में उनका कोई रिकॉर्ड है । जैसा दांगी साहब ने बताया कि लाल डोरे और फिरनी के बीच में यह समस्या है । लाल डोरे और फिरनी के बीच की जगह जिसकी मलकियत है, उसका मालिक उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। जैसा मंत्री जी ने कहा कि गांव की आबादी बढ़ गई है और लोगों ने लाल डोरे और फिरनी के बीच मकान बना लिए हैं, लेकिन हमने तो इस तरह के मकानों को छोड़ा है। हमारे से पहले जो सरकार थी उनके समय में तो डिवैलपड कालोनियों को भी सैक्शन-4 के नोटिस भेज दिये जाते थे । मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देते हुए भी बताया था कि गुड़गांव में टिकरी, सुकराली तथा फरीदाबाद में झाड़ सेतली आदि गांवों में ऐसे जो मकान थे उनको पिछली सरकार ने तोड़ने के नोटिस भेज दिये थे उन सबको हमने छोड़ा है। यह बात राव धर्मपाल जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब और मलिक साहब ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं आया है, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी दें । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप बैठिये । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं हर समय आपसे यही निवेदन करता हूँ कि हाउस की मर्यादा और शिष्टाचार को बनाए रखना चाहिए। ये जवाब देने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं । अध्यक्ष महोदय, लाल डोरे से बाहर जब गांव बढ़ जाता है और जिनको नोटिस दिये हुये थे हमने उनके मकान नहीं तोड़े हैं। अगर कोई मकान गांव में बना हुआ है और मास्टर प्लान में आ जाता है, डिवैल्पमैंट प्लान में आ जाता है, इन आइसोलेशन में आ जाता है और उसको नोटिस दिया जाता है तो उसकी रिप्लेसमैंट दी जाती है तथा उसको कम्पनसेट किया जाता है, यह सरकार की नीति है । (विघ्न)

राव धर्मपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह ऐलान किया हुआ है कि कोई भी मकान जो सैक्शन 4 से पहले बना हुआ है चाहे वह कच्चा हो या पक्का हो उसको गिराया नहीं जायेगा । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो जिन मकानों के सैक्शन 4 के नोटिस भी हो चुके थे उनको भी नहीं तोड़ा बल्कि उनको रिलीज किया है । पिछली सरकार ने जिन बसी हुई कालोनियों को सैक्शन 4 के तहत नोटिस भेजे थे उनमें 10-15 कालोनियाँ ऐसी थी जो कि पूरी तरह से बसी हुई थीं, इन्होंने उन सबको छोड़ दिया, उनको नहीं तोड़ा । (विघ्न)

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पटवारी जी, आप बैठ जाइये, सदन के नेता बोल रहे हैं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या है जैसा मैंने पहले भी बताया कि केवल हरियाणा की नहीं है बल्कि पंजाब और दिल्ली में भी इस तरह की समस्या है । जहाँ तक हरियाणा का सम्बन्ध है, हमने इस बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है तथा हम उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं । We are waiting for that report, we are well aware of this problem. इसमें क्या रास्ता निकलता है, क्या हल निकल सकता है यह कमेटी देखेगी और जिन साथियों ने आज जो सुझाव दिये हैं, कमेटी उनको भी कंसीडर करेगी ।

श्री अध्यक्ष : इस सवाल का यही जवाब था वह आ गया है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये जवाब तो देने ही नहीं देते, ये बैठे-बैठे ही सवाल पूछते रहते हैं ।

Construction of Polytechnic College

***1543. Shri Ghanshyam Dass Garg :** Will the Technical Education Minister be please to state the time by which the under construction Polytechnic College of Sector-13 of Bhiwani City is likely to be started ?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप) : चौधरी बंसी लाल राजकीय बहुतकनीकी, सैक्टर 13, भिवानी की कक्षाएं अपने प्रांगण में शैक्षणिक सत्र 2013-14 से शुरू की जायेंगी।

श्री घनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बहुतकनीकी कालेज का निर्माण कार्य और इसमें कुछ साधन उपलब्ध करवाने थे, क्या वे पूरे हो गये हैं ?

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, जब बहुतकनीकी कालेज शुरू किया गया था उस समय इसकी कक्षाएं लुहारू में लगती थी। उसके बाद अगले वर्ष कोर्स कम्पलीट होने के बाद हिसार में इसकी कक्षाएं शुरू की गई। अब इसकी बिल्डिंग कम्पलीट हो चुकी है तकरीबन 6 महीने तक यह निर्माण कार्य और फिनिशिंग कार्य पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम इसमें 5 कोर्सिज सिविल इन्जीनियरिंग, मैकेनिकल इन्जीनियरिंग, कम्प्यूटर इन्जीनियरिंग, फूड टैक्नोलोजी, टैक्सटाईल वगैरा की कलासिज शुरू कर देंगे।

Status of Consolidation Work

***1285. Master Dharampal Obra :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether it is a fact that the consolidation work was started by the Department in Pahari, Kharkari, Gokalapura and Mandolin Kalan villages of Loharu Sub-Division during the last years; if so, the status thereof ?

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्री मान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

[श्री महेन्द्र प्रताप]

विवरण

गांव पहाड़ी, खरखड़ी, गोकल पुरा तथा मण्डोली कलां

क्रम संख्या	नाम गांव	रकबा एकड़ों में	स्थिति
1	2	3	4
1.	पहाड़ी	4911	इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही वर्ष 1979 में आरम्भ की गई थी तथा तकसीम की कार्यवाही अधीन धारा 21(1) वर्ष दिसम्बर, 1981 में पूर्ण कर दी गई थी। इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही दिनांक 23-5-1986 में रिवोक कर दी गई। तदोपरान्त चकबन्दी कार्य पुन: आरम्भ किया गया लेकिन भू-स्वामियों के सहयोग के अभाव में इस गांव की चकबन्दी की कार्यवाही वर्ष 1989 में डिनोटिफाई कर दी गई तथा रिकार्ड राजस्व विभाग को वापस कर दिया गया। दिनांक 6-9-2006 को भू-स्वामियों के आवेदन पर इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही की नोटिफिकेशन दिनांक 8-12-06 को पुन: जारी की गई तथा चकबन्दी कार्यवाही पुन: आरम्भ की गई। अब रिकार्ड को अप-डेट करने उपरान्त प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार किया जा रहा है।
2.	खरकड़ी	4549	इस गांव में चकबन्दी कार्यवाही मई 1980 में प्रारम्भ की गई थी और भू-स्वामीगण तकसीम की कार्यवाही अधीन धारा 21(1) सहमत न होने के कारण इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही दिनांक 5-8-1986 को चकबन्दी स्कीम की स्थिति से रिवोक कर दी गई थी। तदोपरान्त चकबन्दी कार्यवाही पुन: प्रारम्भ की गई लेकिन भू-स्वामियों के सहयोग के अभाव में इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही पुन: 29-6-2000 में रिवोक कर दी गई। अब इस गांव का प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार किया जा रहा है।
3.	गोकलपुरा	4213	इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही वर्ष 1979 में आरम्भ की गई थी तथा तकसीम की कार्यवाही अधीन धारा 21(1) 26 जनवरी, 1980 में पूर्ण कर दी गई थी। लेकिन भू-स्वामियों के सहयोग के अभाव में इस गांव की चकबन्दी की कार्यवाही दिनांक 15-12-86 को डिनोटिफाई कर दी गई तथा चकबन्दी कार्य पुन:

1	2	3	4
			आरम्भ किया गया। लेकिन भू-स्वामियों के सहयोग के अभाव में इस गांव को आखिरकार वर्ष 1990 में डिनोटिफाई कर दिया तथा इस गांव का राजस्व रिकार्ड राजस्व विभाग को वापस कर दिया गया। भू-स्वामियों के आवेदन पर इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही की नोटिफिकेशन दिनांक 30-5-02 को पुनः जारी की गई। इस गांव का प्रारम्भिक रिकार्ड अगस्त, 2011 में तैयार करने उपरान्त अब चकबन्दी स्कीम बनाई जा रही है।
4.	मण्डौलीकलां	7478	इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही वर्ष 1979 में आरम्भ की गई थी तथा तकसीम की कार्यवाही अधीन धारा 21(1) वर्ष जनवरी, 1980 में पूर्ण कर दी गई थी। लेकिन भू-स्वामियों के सहयोग के अभाव में इस गांव को पुनः कीमत अन्दाजी की स्थिति से 1986 में शुरू किया गया तथा दिनांक 14-8-94 को इस गांव की चकबन्दी रिवोक कर दी गई। आखिरकार वर्ष 1997 में इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही डिनोटिफाई कर दी गई। भू-स्वामियों के पुनः आवेदन पर इस गांव की चकबन्दी कार्यवाही की नोटिफिकेशन वर्ष 2002 में पुनः जारी कर दी गई। अब चकबन्दी स्कीम बनाई जा रही है।

गांव पहाड़ी, खरकड़ी, गोकलपुरा तथा मण्डौली कलां में चकबन्दी कार्यवाही चल रही है लेकिन ये गांव भू-स्वामियों के सहयोग के अभाव में कई बार विभिन्न-विभिन्न स्तरों पर इन गांवों की चकबन्दी कार्यवाही रिवोक की गई जिसके फलस्वरूप भू-स्वामियों की आपसी सहमति न होने के कारण इन गांवों की चकबन्दी कार्यवाही लम्बित है।

जिला भिवानी में 29 पटवारी तथा 11 कानूनगो चकबन्दी कार्यवाही के लिए नियुक्त किये गये हैं। अतः स्टाफ की भारी कमी के कारण चकबन्दी कार्य में बाधा आ रही है।

चकबन्दी स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 100 रिटायर्ड पटवारी, 10 रिटायर्ड कानूनगो तथा 15 रिटायर्ड सहायक चकबन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिलों से मांग प्राप्त हुई थी। मामला अनुमोदन के लिए तथा वित्त विभाग को बजट में प्रावधान करवाने के लिए भेजा गया है।

5 पटवारी, 2 कानूनगो, 1 चकबन्दी अधिकारी तथा 1 बन्दोबस्त अधिकारी को चकबन्दी कार्यवाही पूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया। भू-स्वामीगण चकबन्दी में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यदि भू-स्वामीगण चकबन्दी कार्यवाही में पूर्ण सहयोग दें तो चकबन्दी विभाग चकबन्दी कार्यवाही जल्दी पूर्ण कर लेगा।

हरियाणा में 7081 गांव हैं, जिनका क्षेत्रफल 1,08,19,182 एकड़ है, इसमें से 1,21,328 एकड़ भूमि के 109 गांव पहाड़ी, शहरी तथा बुर्दी बरामदी के होने के कारण चकबन्दी के अयोग्य हैं,

[श्री महेन्द्र प्रताप]

1,06,97,854 एकड़ क्षेत्रफल के 6972 गांव चकबन्दी के योग्य थे। जिन में से 6787 गांव रकबा 1,03,41,205 एकड़ है में चकबन्दी कार्य पूर्ण हो चुका है। अर्थात् राज्य में चकबन्दी कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष 185 गांवों में जिनका क्षेत्रफल 3,56,649 एकड़ है, में से 111 गांवों में कार्य चकबन्दी कापरेटिव एक्ट के अधीन पूर्ण हो चुका है। इन गांवों में मुख्य बिन्दु यह है कि इन की चकबन्दी पहले बीघा बिस्वा में हुई थी जबकि बाद में कनाल मरलों में रकबा लिखा जाता है। इन गांवों की चकबन्दी केवल बीघा बिस्वा से कनाल मरलों में तबदील करने के लिए ही की जानी है। यह मामला हरसक (HARSAC) तथा एन.आई.सी. (NIC) के साथ राजस्व विभाग के समन्वय के साथ चल रहा है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है यदि यह परपोजल स्वीकृत हो जाती है तो इन 111 गांवों को चकबन्दी कार्यवाही से खारिज कर दिया जाएगा। इस प्रकार केवल 74 गांव चकबन्दी के योग्य रह जाते हैं जिन में 50 गांवों में चकबन्दी कार्यवाही चकबन्दी एक्ट 1948 के अधीन चल रही है। शेष बचे 24 गांवों में चकबन्दी कार्यवाही इन 50 गांवों में चकबन्दी कार्यवाही पूर्ण होने उपरान्त आरम्भ की जाएगी।

जिलावार 185 गांवों जहां चकबन्दी का कार्य चल रहा है, का विवरण निम्न प्रकार है :--

सं.	जिला का नाम	गांवो की संख्या	रकबा (एकड़ में)
1.	अम्बाला	22	18328
2.	यमुनानगर	18	11563
3.	कुरुक्षेत्र	24	24826
4.	करनाल	28	38875
5.	पानीपत	13	12744
6.	गुड़गांव	8	13672
7.	फरीदाबाद	1	816
8.	महेन्द्रगढ़	1	8519
9.	रोहतक	8	26957
10.	झज्जर	7	24109
11.	सोनीपत	4	4164
12.	भिवानी	43	142432
13.	हिसार	1	7698
14.	जीन्द	5	12226
15.	रिवाड़ी	2	475
	जोड़	**185**	**356649**

चकबन्दी कार्य की संक्षिप्त कार्यावधि

एक गांव के चकबन्दी कार्य को पूर्ण करने में दो से अढ़ाई साल का समय लग जाता है, किसी गांव के चकबन्दी कार्य को पूर्ण करने के छः स्तर हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :--

1. प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार करना : जैसे ही गांव में चकबन्दी कार्य शुरू किया जाता है। सबसे पहले राजस्व विभाग से प्राप्त जमाबन्दी के आधार पर खतौनी इस्तेमाल तैयार की जाती है। जिसमें साधारण रकबा से स्टैण्डर्ड रकबा में तबदील करने बारे विवरण दर्ज किया जाता है। इस कार्य को करने में लगभग 6 से 7 मास का समय लगता है।

2. स्कीम प्रारूप बनाना और इसे प्रकाशित करना : स्कीम प्रारूप में (i) चकबन्दी के प्रयोजन हेतु भूमि की किस्म का विवरण बनाते हुए एक किस्म से दूसरी किस्म में बदलने का तरीका बनाना (ii) भूमि की कीमत अन्दाजी, कुओं , वृक्षों आदि की तबदीली हेतु क्षतिपूर्ति जो भू-स्वामी को दी जानी है या उससे प्राप्त करने का विवरण बनाना (iii) संक्षिप्त विवरण जो एक्ट की धारा 17 तथा 18 के अन्तर्गत कार्य किया जाना है। (iv) अन्य ऐसे मामलें जो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जरूरी समझें।

3. जोतों का पुनर्विभाजन : चकबन्दी अधिकारी भू-स्वामी की सलाह से जिस गांव या गांवों में चकबन्दी के दौरान जोतों का पूर्ण विभाजन किया जाना है तथा स्कीम के प्रावधानों अनुसार जो धारा 20 के अन्तर्गत सुनिश्चित की गई है, में 7 नक्शे बनाता है जो (i) गांव का नक्शा जिसमें वर्तमान स्थिति अनुसार सारे खेत दर्शाये गए हों। (ii) अन्य सम्बन्धित नक्शा जिसमें जोतों का विभाजन दर्शाया गया हो। (iii) भू-स्वामियों के नामों सहित खेतों के विवरण की सूची। (iv) मालिकों के नामों की सूची, जिनमें विभिन्न हक का विवरण हो। (v) भू-स्वामी को देय क्षतिपूर्ति तथा उससे प्राप्त की जाने वाली क्षतिपूर्ति के अन्तर को दर्शाने वाली सूची। (vi) उन हकदारों तथा काश्तकारों के नामों की सूची जिनको चकबन्दी में नया रकबा अलाट किया जाना है। (vii) अन्य कागजात जो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जरूरी समझें। इस कार्य में लगभग 8 से 9 मास का समय लगता है।

4. कब्जों का स्थानान्तरण : उपरोक्त वर्णित मद नं० 3 अनुसार कार्य पूर्ण होने उपरान्त हकदारान चकबन्दी एक्ट की धारा 21(1) के खिलाफ प्राप्त उजरदारियों का निपटान धारा 21(2), 21(3), 21(4) के अन्तर्गत करके नए जोतों पर बिठाना ।

5. अन्तिम साक्षांकन और : उपरोक्त वर्णित सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने उपरान्त जो रिकार्ड बनाया जाता है, उसको अन्तिम रूप से सत्यापित कर दिया जाता है। इस कार्य में लगभग 1 मास का समय व्यतीत होता है।

6. रिकार्ड जमा कराना : रिकार्ड सत्यापित होने उपरान्त नई जमाबन्दी जिसको मिसल हकियत कहा जाता है, तैयार करके रिकार्ड राजस्व विभाग को सौंप दिया जाता है। इस कार्य में 3 से 4 मास का समय व्यतीत होता है।

कई बार चकबन्दी स्कीम को निम्न कारणों से रिवोक भी करना पड़ जाता है।

- जमीन की कीमतों में वृद्धि के कारण भू-स्वामी सामूहिक कार्यों के लिए भूमि छोड़ने को तैयार नहीं होते।
- जोतों के पुन: विभाजन से सहमत ना होना।
- भू-स्वामियों द्वारा मुकदमेंबाजी तथा न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण।
- शहरीकरण के कारण।
- प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा पंचायत भूमि पर अवैध कब्जों के कारण।

यहां यह भी व्यक्त किया जाता है कि वर्तमान में 50 गांवों में चकबन्दी कार्य चल रहा है। इन 50 गांवों में से 6 गांवों में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों के कारण कार्य बन्द है। शेष 44 गांवों में हकदारान सहयोग नहीं दे रहे हैं।

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

श्री धर्मपाल ओबरा : स्पीकर सर, मेरे हल्के में 4-5 बड़े-बड़े गांव ऐसे हैं जिनमें आज तक चकबन्दी नहीं हुई है। हर रोज लोगों को खेतों में जाने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनका खेत बीच में होता है उनसे हर रोज छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार इनकी कन्सोलीडेशन कब तक करने का विचार कर रही है।

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, वैसे चकबन्दी का जहां तक सवाल है, हरियाणा में तकरीबन 98 प्रतिशत चकबन्दी के होने का कार्य पूरा हो चुका है। कुछ गांव ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में हैं। वहां पर चकबन्दी नहीं हो सकती । कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कोर्ट मैटर चल रहे हैं, बाकि गांव ऐसे है जहां आपस में डिसप्यूट हैं। वहां लोगों में आपस में इत्फाक न होने के कारणों से चकबन्दी नहीं हो सकती तो हम उसको रिवोक ही कर देते हैं। जो माननीय सदस्य ने 4 गांवों का जिक्र किया है। इन 4 गांवों में पहला पहाड़ी क्षेत्र का गांव है। इस गांव की चकबन्दी सन् 1979 में आरम्भ की गई थी और इसकी धारा 21 सन् 1981 में पूरी कर दी गई। इसके बाद गांव में आपसी इत्फाक न होना और उनके झगड़ों की वजह से फिर उसको रिवोक कर दिया गया। फिर इसको डी नोटिफाई भी किया गया। फिर 2006 में भू-स्वामियों के दोबारा आवेदन पर फिर उसका नोटिफिकेशन शुरू हुआ। अब रिकार्ड अप डेट करने के उपरान्त प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार कर लिया गया है। इसकी 5-6 स्टेजिज हैं। नं० 2 खरकरी गांव में भी यही स्थिति है कि यहां इतनी देर जो हुई है उसका भी यही कारण है कि गांव के लोगों में इत्फाक नहीं है। तकरीबन यह 23 के करीब गांव हैं जिनमें आपस में इत्फाक नहीं है। कहीं पर या तो कीमत की सैटलमैंट नहीं हो पाती या आपस के कब्जे , जमीनों के अदला बदली की वजह से लोगों में एतराज शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको रिम्यूज/रिवोक करना पड़ता है। अगर वहां कोई आपस में गांव का डिसप्यूट नहीं है तो वहां काम समूथली चलता है जिसमें तकरीबन दो अढ़ाई साल से ज्यादा का अरसा लगता। उसमें ज्यादा समय लगने का कारण मुख्यत: यही है। इस समय काम की प्रोग्रैस जिस स्टेज पर है और अगर कहीं कोई ऐसी अड़चन नहीं आती तो हम इसको जल्दी ही पूरा कर लेंगे।

श्री धर्मपाल ओबरा : सर, यह पांच बड़े गांव हैं और एक-एक पटवारी दो गांवों में बैठे हैं। स्पीकर सर, एक पटवारी से कंसोलिडेशन नहीं होती उसके लिए सरकार पूरा स्टाफ निर्धारित करें। एक पटवारी होने की वजह से कभी तो वह वहां पर होता है कभी नहीं होता है। इससे समस्या हल नहीं हो पाती इसलिए सरकार स्टाफ का प्रबन्ध करें।

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो चिंता व्यक्त की है उसमें सदाकत है। पटवारी, कानूनगो तथा पेशियों की कमी के बावजूद भी हम 98 प्रतिशत चकबंदी पूरी कर चुके हैं। पटवारी, कानूनगो तथा कन्सोलिडेशन आफिसर्ज की कमी को दूर करने के लिए हमने वित्त विभाग को लिखा है और इसके जल्द ही निर्णय होने के उपरांत स्टॉफ की कमी को पूरा कर दिया जायेगा। कई जगहों पर जो कार्य में देरी हुई है उसके लिए स्टॉफ की कमी भी एक वजह रही है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक साथी तो यह भी पूछ रहे हैं कि इस काम को करने में कितना समय लगेगा?

श्री महेन्द्र प्रताप : दांगी साहब, मैं वही तो बता रहा हूं कि पटवारी, कानूनगो तथा कन्सोलिडेशन आफिसर्ज की कमी को दूर करने के लिए हमने वित्त विभाग को लिखा है और जैसे ही इसकी एप्रूवल आ जायेगी तो स्टॉफ की कमी को पूरा करके इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जायेगा ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, महम तहसील में चार गांव निंदाना, गिरावड़, मैनीचंद्रपाल और मोखरा रोज हैं । मोखरा रोज, निंदाना और गिरावड़ तीनों गांव की कंसोलिडेशन लगातार कई सालों से आज भी पैंडिंग पड़ी हुई है और जबकि पूरे के पूरे गांव कंसोलिडेशन के लिए सहमत हैं और न ही किसी का कोई ऑब्जैक्शन है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन गांवों की कंसोलिडेशन का आज के दिन क्या स्टेटस है तथा इस दिशा में हम कहां तक पहुंचे हैं?

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में 111 गांवों की तकसीम तकरीबन पूरी हो चुकी है तथा वहां पर बीघे बिसवे को कनाल में बदलने की ही कमी केवल मात्र रह गई है। बाकी काम कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 78 गांव ऐसे हैं, जिनमें आपके गांव भी शामिल हैं, जिनके स्टेटस के बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर इस बारे में दांगी साहब मुझे लिखकर दे दें तो मैं बाद में उनको इसका जवाब दे दूंगा?

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय से खुद मिलकर ले लूंगा। (हंसी)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, एक गिलोड़कलां गांव है जो पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में होता था लेकिन अब यह गांव माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच गया है। वहां पर फरॉगमैंटेशन होने के कारण जमीन के इतने छोटे-छोटे टुकड़े बन चुके हैं कि अब तो चलने के लिए रास्ते भी नहीं बचे हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनके कंसोलिडेशन की बात चली थी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहां के लोग भी चाहते हैं कि कंसोलिडेशन जल्द से जल्द हो तो कृपया मंत्री जी इस पर विचार रखें ?

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, यह गांव अब आपके निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है फिर आप इसके बारे में प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? जिस माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में यह गांव आता है उसको ही उस गांव के बारे में प्रश्न पूछने दो?

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, पहले यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शामिल था लेकिन लोगों की समस्या है चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, हमारा फर्ज तो बनता ही है?विघ्न)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मलिक साहब तो हमेशा दूसरों के निर्वाचन क्षेत्र की ही बात करते रहते हैं?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब को दो निर्वाचन क्षेत्र गन्नौर और किलोई की ही चिंता क्यों रहती है, ये गोहाना की चिंता क्यों नहीं करते हैं? (हंसी)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, कंसोलिडेशन न होना किसान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके न होने की वजह से उनके खेतों में आने-जाने के रास्ते नहीं बचे हैं, न खेतों में पानी देने की नालियां हैं। वास्तव में यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसका कोई अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है। यह जो कंसोलिडेशन का मामला है जितना जल्दी और जैसे भी हो चाहे इसके लिए अलग से स्टाफ डिप्यूट करना पड़े, इसको अवश्य करना चाहिए। चाहे पहले किलाबंदी ही हो जाये। किलाबंदी में भी ज्यादा शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लोगों की जमीन जहां पर भी है वो वहीं के वहीं पूरी हो जाती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है यह तो करने वाली बात है, अत: जो 78 गांव बचे हैं उन पर विशेष ध्यान करके इस समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाये।

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने बताया है कि 2 प्रतिशत एरिया अभी बचा है जहां पर कंसोलिडेशन का कार्य पैंडिंग है और स्वाभाविक है कि उसमें माननीय साथी का एरिया भी शामिल होगा। माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है तो मैं इनको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर कोई कोर्ट का मैटर या कोई डिस्प्यूट नहीं है तो हम उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : मंत्री जी, डिस्प्यूट की जिम्मेवारी मैं लेता हूं आप बस अपनी कार्यवाही शुरू करवा दो। (हंसी)

To Deposit the Road Cut Charges

***1541. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether any permission for cutting of roads to lay the sewerage lines in Ganaur town was sought from the the concerned authorities such as PWD (B&R) and Municipal Committee; if not, the reasons thereof;

(b) whether the department is supposed to pay the charges for road cuts to the concerned departments; if so, whether the said charges has been deposited by the Public Health Engineering Department; and

(c) if not, the reasons thereof togetherwith the time by which the said charges are likely to be deposited with the concerned department ?

Public Health Minister (Smt. Kiran Chaudhary) :

(a) Yes Sir. The permission for cutting of roads to lay sewer lines in Ganaur town was sought from PWD (B&R), HSAMB and Municipal Committee, Ganaur.

(b) Yes Sir, Public Health Engineering Department has paid the road cut charges to the concerned Department i.e. Rs. 38.24 lacs to Municipal Committee Ganaur Rs. 39.26 lacs to PWD (B&R) and Rs. 6.45 lacs to HSAMB.

(c) The reasons for non payment of balance road cut charges of Rs. 8.83 lacs to PWD (B&R) is due to the fact that the bill raised by the B&R Department was on higher side and that needs to be corrected. The payment will be made to the PWD(B&R) authority after making the necessary correction in the B.T bill. PHED will deposit the additional amount to HSAMB in the month of April, 2013 after receiving the B.T. bills from the HSAMB.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मैंने एक सवाल वर्ष 2009 में दिया था कि विभाग को रोड कट के लिए संबंधित विभागों को चार्जिज देने होते हैं। क्या विभाग द्वारा यह रोड कट चार्जिज जमा कराए गए हैं जिसमें 17 लाख 57 हजार 400 रुपये की राशि इन्वौल्व थी जोकि विभाग द्वारा जमा कराए जाने थे। गोहाना बरौदा रोड के लिए 70 लाख रुपये और गोहाना-जींद रोड के लिए 4 लाख 12 हजार रुपये रोड कट चार्जिज पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा सीवरेज और डीप स्टॉर्म वाटर के लिए दिए जाने थे, लेकिन विभाग ने वह राशि नहीं दी, जिसकी वजह से

सड़कों के यह काम पिछले डेढ़ साल से ऐसे ही पड़े हैं । क्या मंत्री जी बताएंगी कि इस मद में पैसे जमा कराए जाएंगे जिससे कि इन सड़कों की रिपेयर कराई जा सके।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल है यह माननीय सदस्य की कांस्टीच्यूएंसी से रिलेटेड नहीं है इसलिए इसके आंकड़ें अभी मेरे पास नहीं हैं। अगर महकमे ने पैसे जमा नहीं कराए हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई अड़चन रही होगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेमो नंबर 350/2, दिनांक 20.3.2009 तक के बिल जमा हैं। यह मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जब इस अड़चन के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी तो यह पैसे जमा करा दिये जाएंगे। इस प्रश्न के बारे में आंकड़े अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। ये मेरे पास इसके बारे में अलग से लिखकर भेज दें तो पता करा लूंगी कि पैसे क्यों नहीं जमा किए गए हैं। अगर जमा किए जाने बनते होंगे तो जरूर किए जाएंगे।

Up-gradation of C.H.C.

***1289. Smt. Saroj Mor :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the status of present C.H.C. to Government Hospital in Narnaund Constituency ?

Health Minister (Rao Narender Singh) : Yes, Sir.

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि मेरे हल्के में सी.एच.सी. को अपग्रेड करके जनरल अस्पताल कब तक बनाया जायेगा और जब तक यह जनरल अस्पताल नहीं बनता तब तक मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या वहां सैंक्शन पोस्ट के हिसाब से स्टाफ लगाया जाएगा ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि जनरल अस्पताल नारनौंद के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार द्वारा जारी हो चुकी है। पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमैंट द्वारा बिल्डिंग वहां तैयार की जा रही है और बहुत जल्द ही वहां जनरल अस्पताल बन जाएगा। जहां तक सी.एच.सी.नारनौंद में स्टाफ का सवाल है मोस्टली स्टाफ वहां लगाया हुआ है सिर्फ डाक्टर्ज की कमी है और उनकी रिक्रूटमैंट जारी है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही डॉक्टर भी लगा दिये जाएंगे। एक डॉक्टर इस समय पोस्टेड है तीन डॉक्टर डेपुटेशन पर शीघ्र ही और भेज दिये जायेंगे।

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि वहां फिलहाल कितना स्टाफ है ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे पास मौजूदा चार एम.ओज. की पोस्ट्स हैं जिनमें से एक डॉक्टर उपलब्ध है। दो मेडीकल और एक एस.एम.ओ. अभी हमने वहां डिप्यूट किये हैं। एक डैंटल सर्जन की पोस्ट भरी हुई है और 2 क्लर्क की पोस्ट व एक रेडियोग्राफर की पोस्ट भी भरी हुई है। प्रयोगशाला तकनीशियन की पोस्टें भी भरी हुई है। नर्सिंग सिस्टर की एक पोस्ट है वह भी फिलअप है और स्टाफनर्स की 6 पोस्टों में से 4 भरी हुई हैं। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के महम में जनरल अस्पताल है और मदीना में सी.एच.सी. है और दूसरी पी.एच.सीज. हैं। सी.एच.सी.मदीना बहुत ही पुराना हॉस्पीटल है उसमें कितने डॉक्टर पोस्टेड हैं ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस समय इस बारे में हैंडी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य मेरे पास सैप्रेटली लिखकर भेज दें। मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मदीना की सी.एच.सी. में चार पोस्ट्स डॉक्टर की सैंक्शन हैं और इस समय एक भी डॉक्टर पोस्टेड नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे लोगों की सेहत की तरफ भी ध्यान दें। जहां चार डॉक्टर्ज की पोस्ट्स सैंक्शन हैं वहां कम से कम एक डॉक्टर तो पोस्ट कर दो।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं विभाग से आज ही इस बारे में पता करवाऊंगा। (विघ्न)

श्री गंगा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पटौदी क्षेत्र में भाड़ौदी कलां में सी.एच.सी.डिक्लेयर्ड है और इसके लिए 5 किले जमीन भी दी हुई है। माननीय मंत्री जी वहां गए थे और आश्वासन भी देकर आए थे तो मैं जानना चाहूंगा कि इस सी.एच.सी. का काम कब तक शुरू हो जाएगा।

15.00 बजे **Rao Narender Singh :** Sir, this is a separate question. इतनी ज्यादा संख्या में एक साथ प्रश्न पूछने पर उन सबका उत्तर एक साथ उपलब्ध नहीं हो सकता ।

श्री जगदीश नय्यर : स्पीकर सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र होडल और हसनपुर के अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं । होडल अस्पताल की बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत में हैं कि वहां पर ओ.पी.डी. में डाक्टरों को बैठने की जगह नहीं हैं और न ही मरीजों के लिए कोई बैड उपलब्ध हैं । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर ये सारी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवा दी जायेंगी ?

Mr. Speaker : This is also a separate question.

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि कोई भी सप्लीमैंट्री करते समय यह देखें कि यह प्रश्न कौन से जिले से संबंधित पूछा जा रहा है वे केवल उसी जिले से संबंधित सप्लीमैंट्री पूछें, नहीं तो मंत्री जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है ।

---

100 Beds Hospital in Charkhi Dadri

***1358. Col. Raghbir Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the foundation stone of 100 Beds Hospital was laid down by the Hon'ble Chief Minister on the land of Udham Singh Jain Charitable Hospital in Charkhi Dadri; if so, the time by which the construction work of aforesaid hospital is likely to completed alongwith the amount likely to be incurred thereon ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : हां, श्रीमान जी। लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा) की रिपोर्ट के अनुसार इसका निर्माण कार्य अक्तूबर, 2013 तक पूरा होना था परन्तु सिविल न्यायाधीश

(कनिष्ठ भाग) के न्यायालय द्वारा स्टे जारी करने के कारण इस कार्य में विलम्ब हो गया, जिसे अब 27-2-2013 को रद्द कर दिया गया है। इसके निर्माण पर लगभग 10.00 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कर्नल रघबीर सिंह : स्पीकर सर, चरखी दादरी में उद्यम सिंह जैन चैरिटेबल अस्पताल की भूमि को सरकार के नाम नहीं करवाया गया है और आनन फानन मे माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको बनाने के लिए उसका उद्घाटन करवा दिया गया और उस जमीन की लिटीगेशन चली हुई है और उसके निर्माण पर कोर्ट से स्टे हो गया है । पहले उस अस्पताल की जमीन को सरकार के नाम करवाना चाहिए था और उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनानी शुरू करनी चाहिए थी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस जमीन को अपने नाम ट्रांसफर करवायेगी ? इसके अलावा जो चरखी दादरी में पुराना अस्पताल था उसकी बिल्डिंग टूटी पड़ी है पहले सरकार उसको ठीक क्यों नहीं करवाती और उद्यम सिंह जैन अस्पताल की जमीन को सरकार के नाम कब तक करवायेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : स्पीकर सर, इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सतपाल जी, यह आपका विभाग नहीं है ।

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है इसलिए इसका जवाब मैं देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह आपका विभाग नहीं है, इसलिए मंत्री जी को ही इस प्रश्न का जवाब देने दें । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Satpal : Speaker Sir, this question is also pertaining to my constituency so, I want to give reply to this question. I know this case very well. Please allow me to speak. अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है इसलिए इसका जवाब मैं देना चाहता हूं । इस बारे में मुझे ज्यादा पता है कि यह जमीन किसके नाम है । (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, then why he is asking the question of my constituency.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please sit down, let the Minister give his reply. (Interruption).

श्री सतपाल : स्पीकर सर, माननीय सदस्य मेरी कान्सटीच्यूंसी का सवाल पूछ रहे हैं और I am ready to give better reply. (Interruption). स्पीकर सर, इसका मतलब माननीय सदस्य नहीं चाहते कि इस बारे में प्रोपर रिप्लाई आये जबकि मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Hon'ble Minister is having better information. He has been elected from the constituency from which the question is related. Why are my learned friends from opposition objecting to his reply, though he is giving an appropriate answer. Let the Hon'ble Minister give reply. He is giving valuable information to this House. (Interruption).

Col. Raghbir Singh : Speaker Sir, I would like to have answer from the respective Minister.

Mr. Speaker : As per rules any Minister can give reply to the question.

Sardar Harmohinder Singh Chattha: Speaker Sir, any Minister can give reply.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, श्री सतपाल जी जवाब कैसे दे सकते हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी कितने मंत्रियों के जवाब खुद देते थे ।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं चीफ मिनिस्टर जी की तरफ से ही किसी भी प्रश्न का जवाब देता था ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, फिर अब श्री रामपाल माजरा जी, श्री सतपाल जी द्वारा जवाब देने में एतराज क्यों कर रहें हैं ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने माजरा जी को कहा कि आप एतराज क्यों कर रहे हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने कोई एतराज नहीं किया बल्कि यह एतराज तो स्पीकर महोदय ने किया है और स्पीकर महोदय ने सतपाल सांगवान जी को कहा है कि यह प्रश्न आपके डिपार्टमैंट का नहीं है, हैल्थ मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी, स्पीकर महोदय ने यह बात कही है आपने शायद यह सुना नहीं ।

Mr. Speaker : Sangwan Ji, if you want to reply as a minister you can.(Interruption)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, 1997 में यह होस्पिटल चैरीटेबल होस्पिटल था और इसके लिए मैंने चौधरी बंसी लाल जी से रिक्वैस्ट की थी । जिस होस्पिटल का ये जिक्र कर रहे हैं that was in worst condition at that time. उस जगह बाढ़ भी आई थी और उसी जगह एक हवाई जहाज भी क्रैश हुआ था, इन्हीं कारणों से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था । उद्यम सिंह जैन को उस होस्पिटल की जगह एक रुपये में दी थी । उसमें एक कंडीशन लिखी हुई है। ये मेरे वर्दी दोस्त चाहे तो उस कंडीशन को पढ़ लें । ये भी इनकी एक चाल है ।(विघ्न) उस कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर हम होस्पिटल नहीं चला सके तो सरकार उसको वापस ले सकती है । (विघ्न) 1997 से अब तक स्टे क्यों नहीं मिला । होस्पिटल वहीं चल रहा है । पहले केस डाला गया था लेकिन वह डिसमिस हो गया था परंतु कुछ लोगों को तकलीफ है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा दादरी में इतनी प्रोग्रैस क्यों करा रहा है । वहां फोर लेनिंग सड़कें बन रही हैं, होस्पिटल बन रहा है और मिनी सैक्रेटेरियट बन रहा है आज इस होस्पिटल के बारे में कोई स्टे नहीं है । Stay has been vacated and the work is going on. यह इनको तकलीफ है और इनकी तकलीफ का मेरे पास कोई जवाब नहीं है ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Tax Relief to Dying Industry

***1331. Sh. Anil Vij, M.L.A.** : Will the Industries Minister be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give Tax Relief to the dying industry of Laboratory & Scientific Goods in the State; if so, the details thereof ?

आबकारी व कराधान मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : नहीं श्रीमान जी।

To Open ITI in Pataudi

***1511. Shri Ganga Ram :** Will the Industrial Training Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open an ITI in Pataudi assembly constituency; if so, the time by which it is likely to opened; and

(b) if the reply to part (a) above to is in negative, the reasons thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) हां, श्रीमान जी। फिर भी, इस स्थिति में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Construction of 33 KV Power Sub-stations

***1267. Shri Jai Tirath Dahiya :** Will the Power Minister be pleased to state the time by which the 33 KV Power Sub-stations are likely to be started in village Palri and village Nandnaur (Rai) ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान, इस स्तर पर परियोजना के लिए किसी समय सीमा की वचनबद्धता नहीं की जा सकती है।

Vacancies of Primary Teachers

***1346. Shri Aftab Ahmed :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) The number of vacancies of Primary Teachers in Haryana together with the steps being taken to fill up these vacancies during the current year and likely to be taken in the next year; and

(b) The number of Class Rooms, Laboratories, Toilets *etc.* that have been added in the Primary and Secondary Schools in the State in last 5 years ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) हरियाणा में प्राथमिक शिक्षकों की दिनांक 14-2-2013 को कुल 12004 रिक्तियां हैं। इन 12004 रिक्तियों में 6277 अतिथि प्राथमिक शिक्षक कार्यरत हैं। विभाग ने हरियाणा स्कूल अध्यापक चयन बोर्ड को 9870 प्राथमिक शिक्षक के पदों को भरने की सिफारिश भेजी है, जो कि 8-11-12 को विज्ञापित की गई थी। विभाग ने हरियाणा स्कूल अध्यापक चयन बोर्ड को इस भर्ती का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु दिनांक 6-2-2013 को पुनः अनुरोध किया है, जिसके लिए उन्होंने यह कार्य 30-9-2013 तक पूरा करने का आश्वासन दिया है।

(ख) सर्वशिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक स्कूलों में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक पिछले 5 वर्षों में 12703 अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा 9259 अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण करवाया गया

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक पिछले 5 वर्षों में 1672 कक्षा कक्ष, 367 प्रयोगशालाएं, 636 शौचालय, 22 एजूसैट, 58 प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक कक्ष, 584 कम्प्यूटर कक्ष, 9 मल्टीमीडिया कक्ष, 9 रिकार्ड रूम, 29 कन्या गतिविधियां कक्ष, 450 लाईब्रेरी कक्ष, 547 आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष, 73 रैम्प, 417 चारदिवारी का निर्माण किया गया है।

Construction of Sub-Divisional Hospital

***1411. Shri Jarnail Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Sub-Divisional Hospital in Ratia; if so, the time by which the work on the said Hospital is likely to be started ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : हां, श्रीमान जी। जैसे ही 13 कनाल, 4 मरले पशु अस्पताल की अपेक्षित भूमि स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित हो जाएगी निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा।

To Develop All Town Park

***1419. Smt. Kavita Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a Town Park in the proposed Sector 16 of Sonepat ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : जी नहीं महोदय।

To Open a Girls College in Nangal Chaudhary

***1423. Rao Bahadur Singh :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls College in Nangal Chaudhary; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Middle School of Bayal ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

Grant for Development of Colonies

***1428. Shri Jagdish Nayar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to release any grant for the development of colonies falling in the limit of

Municipal Committee of Hodal city together with the amount incurred on the development of Hodal city during the last three years; and

(b) whether any scheme has been formulated by the Government to drain out the water of Hodal city ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं, श्रीमान जी। होडल कस्बे में पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2010-11, 2011-12 व 2012-13) के दौरान 1.17 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न कार्यों हेतु खर्च की गई है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी। नगरपालिका होडल द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को हुई बैठक में बरसाती पानी के नालों के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

Payment of Wages

***1436. Shri Phool Singh Kheri :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the time spell during which wages are being paid to the labourers working under MGNREGA Scheme; and

(b) whether it is a fact that wages have not been paid to the labourers of Kheri and other villages for about two years; if so, the time by which their wages are likely to be paid ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, विवरणी सदन के पटल पर रखी है।

विवरणी

(क) मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3(3) के अनुसार कामगारों को साप्ताहिक आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए और कार्य करने की तारीख से एक पखवाड़े के अन्दर तो इसे हर हाल में कर ही दिया जाना चाहिए।

(ख) नहीं, कैथल जिले के खेड़ी व अन्य गांवों के मजदूरों की कोई मजदूरी मनरेगा के तहत लम्बित नहीं है। मनरेगा के तहत जिला कैथल में वर्ष 2008-09 से 2012-2013 (जनवरी, 2013 तक) तक कुल 786 कार्य (खेड़ी गांव के 6 कार्यों सहित) क्रियान्वित हुए है जिन पर 2487.27 लाख (खेड़ी गांव में खर्च हुए 8.59 लाख रुपयों की राशि सहित) रुपये खर्च हुए हैं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Cases Pending in Consumer Courts

275. Shri Sampat Singh : Will the Food and Supplies Minister be pleased to state the number of cases pending in various Consumer Courts as on the date either with the District Consumer Forums or State Consumer Forums or with the NCDRC of the people of the State of Haryana?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप) : श्रीमान जी,

दिनांक 14-2-2013 तक विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना निम्न अनुसार है :-

(i)	राज्य उपभोक्ता फोरम में लम्बित मामले	108
(ii)	जिला उपभोक्ता फोरम में लम्बित मामले	17766
(iii)	हरियाणा राज्य के लोगों के एन.सी.डी.आर.सी. में लम्बित मामले	1690

*राज्य आयोग में लम्बित 108 मामलों में से 10 मामले उच्चतम न्यायालयों द्वारा स्टे देने के कारण लम्बित हैं।

**हरियाणा राज्य में जिला फोरम में लम्बित 17766 मामलों में से 1794 मामले हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की चोरी के मामले में माननीय अपैक्स न्यायालय द्वारा स्टे देने के कारण लम्बित हैं।

Posting of Staff in the Government Schools

350. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that teaching staff, Principal, Clerk, Peon and Sweeper have not been posted in Government High School of Village Bir Ghaggar in Panchkula for the last two years; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to post the aforesaid staff in the said school togetherwith the time by which the abovesaid staff is likely to be posted ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान जी, इस विद्यालय में अपेक्षित अध्यापन अमला है तथापि मुख्याध्यापक का एक पद, लिपिक का एक पद तथा सफाई कर्मचारी का एक पद रिक्त है और ये वर्ष 2013-14 में भर दिए जाएंगे। इस विद्यालय में शिक्षण अमले की स्थिति निम्न अनुसार है :—

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या
सामाजिक विज्ञान अध्यापक	2	2
गणित अध्यापक	1	1
विज्ञान अध्यापक	1	1
हिन्दी अध्यापक	1	1
संस्कृत अध्यापक	1	1

Number of CETP in the State

268. Shri Sampat Singh : Will the Environment Minister be pleased to state—

(a) the number of Common Effluent Treatment Plants in the Industrial Areas of the State;

(b) whether the CETP is must in the cluster of Industries; if so, the time by which these CETPs are likely to be constructed in all the industrial clusters; and

(c) whether it is a fact that domestic and trade effluents are being mixed in CETPs; if so, whether the domestic effluents does not need a separate plant; if so, the time by which the separate plant is likely to be constructed ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा जाता है।

कथन

(क) राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में सामूहिक अपशिष्ट जल संशोधन संयन्त्रों की संख्या 12 है।

(ख) हां, सी.ई.टी.पी. समूह के व्यक्तिगत उद्योगों द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट जल संशोधन की लागत की किफायत के लिए उद्योगों के समूह में अति आवश्यक है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने औद्योगिक क्षेत्रों / आदर्श औद्योगिक नगर क्षेत्रों में विकास और औद्योगिक अपशिष्ट जल की मात्रा पर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों/आदर्श औद्योगिक नगर क्षेत्रों में सी.ई.टी.पी. की निर्माण समय सीमा 30 जून, 2017 दी है। हुडा द्वारा सैक्टर-29, भाग-II, पानीपत में द्वितीय सी.ई.टी.पी. को पूरा करने के लिए दिसम्बर, 2015 तक की समय सीमा दी गई है।

(ग) हां, घरेलू, बहि:स्राव तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल सी.ई.टी.पी. में मिश्रित हो रहे हैं। घरेलू बहि:स्राव के लिए पृथक संयन्त्र की आवश्यकता नहीं क्योंकि घरेलू बहि:स्राव का सी.ई.टी.पी. में भी संशोधित किया जा सकता है यदि यह मिश्रित बहि:स्राव की गुणवत्ताओं को ध्यान में रखते हुए अभिकल्पित किया गया हो।

Checking of Chemist Shops

269. Shri Sampat Singh : Will the Health Minister be pleased to state—

(a) The number of Chemist Shops and other premises dealing with medicines were checked/raided by the Food and Drug Administration in the State in the FY 2011-2012 and 2012-2013; and

(b) The number of such firms where selling and purchasing of drugs for illicit use as intoxicants were found together with the action taken against the defaulters ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : महोदय

(क) और (ख) सूचना सदन की मेज पर रखी है।

[राव नरेन्द्र सिंह]

सूचना

(क) राज्य में वित्तीय वर्ष 2011-12 व 2012-13 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधियों से सम्बन्धित दवाईयों की दुकानों तथा अन्य परिसरों के निरीक्षण किये गये थे/छापे मारे गये थे, का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	निरीक्षण किये गये संस्थाओं के नाम	वर्ष 2011-12 (संख्या)	वर्ष 2012-13 (जनवरी 2013 तक) संख्या
1.	केमिस्टों का निरीक्षण	5070	4631
2.	पंजीकृत चिकित्सक	45	106
3.	सरकारी संस्थान	37	57
4.	निर्माण इकाईयां	599	209
5.	अन्य विविध	418	227
	कुल	**6169**	**5230**

(ख) ऐसी फर्मों की संख्या, जहां औषधि की बिक्री तथा खरीद मादक द्रव्यों के रूप में अवैध प्रयोग हेतु पाई गई थी तथा डिफाल्टरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है :--

वर्ष	ऐसी फर्मों की संख्या,जो दवाईयों को गैर कानूनी ढंग से नशे में इस्तेमाल करने हेतु खरीदती/बेचती पाई गई है	निलम्बित किये गये दवा लाईसेंस की संख्या	रद्द किये गये दवा लाईसेंस की संख्या	न्यायालय में दायर अभियोजन की संख्या	न्यायालय में दायर करने हेतु प्रक्रिया अधीन अभियोजनो की संख्या	एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के तहत दायर एफ.आई.आर. की संख्या	जांच प्रक्रिया के अधीन केसों की संख्या
2011-12	66	15	40	14	6	6	-
2012-2013 (जनवरी 2013 तक)	91	15	43	2	17	10	13

Facilities to Sports Persons

270. Shri Sampat Singh : Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state all types of facilities given to the Sports Persons in Haryana, such as infrastructure, cash support, employment etc. upto February, 2004 and as on today ?

राज्य मंत्री खेल एवं युवा मामले (श्री सुखबीर कटारिया) : श्रीमानजी, विवरण सदन के पटल पर अनुबन्ध-क के रूप में प्रस्तुत है।

अनुबन्ध - क

विवरण

अवसंरचना से संबंधित विवरण निम्न प्रकार से है :--

क्रम संख्या	स्टेडियमों का विवरण	2004 तक	फरवरी, 2013 तक
1.	राज्य खेल परिसर	01	02
2.	जिला खेल परिसर	17	21
3.	उप-मण्डल स्टेडियम	07	13
4.	ग्रामीण स्टेडियम	140	232
5.	राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर ब्लाक स्तर पर	-	158 (निर्मित) + 68 (निर्माणाधीन)
6.	हॉकी एस्ट्रो-ट्रफ	01	05
7.	एथलैटिक सिंथैटिक ट्रैक	01	04
8.	अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों हेतु विशेष योजना के अन्तर्गत स्टेडियम	00	16
9.	तरणताल	05	08
10.	बहुदेशीय हाल	05	08

नकद पुरस्कार

	2004 तक				फरवरी, 2013 को			
चैम्पियनशीप का स्तर	स्वर्ण पदक (रुपये लाखों में)	रजत पदक (रुपये लाखों में)	कांस्य पदक (रुपये लाखों में)	प्रतिभागिता (रुपये लाखों में)	स्वर्ण पदक (रुपये लाखों में)	रजत पदक (रुपये लाखों में)	कांस्य पदक (रुपये लाखों में)	प्रतिभागिता (रुपये लाखों में)
ओलम्पिक खेलें	100.00	50.00	25.00	-	250.00	150.00	100.00	11.00
एशियन खेलें	10.00	07.00	05.00	-	25.00	15.00	10.00	2.00
एशियन पैरालम्पिक खेलें	-	-	-	-	25.00	15.00	10.00	2.00
राष्ट्रमण्डल खेलें	7.00	5.00	3.00	-	15.00	10.00	5.00	2.00
पैरालम्पिक राष्ट्रमण्डल खेलें	-	-	-	-	15.00	10.00	5.00	2.00
विश्व चैम्पियनशिप	3.00	2.00	1.00	-	5.00	4.00	3.00	-
एशियन चैम्पियनशिप	1.00	0.75	0.50	-	4.00	3.00	2.00	-
राष्ट्रीय खेलें/सैफ खेलें	0.51	0.31	0.21	-	3.00	2.00	1.00	-
राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	0.31	0.21	0.11	-	2.00	1.00	0.50	-

[श्री सुखबीर कटारिया]

चैम्पियनशीप का स्तर	स्वर्ण पदक (रुपये लाखों में)	रजत पदक (रुपये लाखों में)	कांस्य पदक (रुपये लाखों में)	प्रतिभागिता (रुपये लाखों में)	स्वर्ण पदक (रुपये लाखों में)	रजत पदक (रुपये लाखों में)	कांस्य पदक (रुपये लाखों में)	प्रतिभागिता (रुपये लाखों में)
पैरालम्पिक सीनियर राष्ट्रीय खेलें	-	-	-	-	2.00	1.00	0.50	-
पैरालम्पिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता	-	-	-	-	0.15	0.10	0.07	-
मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए विशेष ओलम्पिक	-	-	-	-	15.00	10.00	5.00	1.00

छात्रवृत्तियां :

- खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग 8 से 14 वर्ष तथा 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 5000 स्पैट में सफल हुये खिलाडियों को क्रमश: 1500/- तथा 2000/- रुपये प्रतिमास छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

- खेल नीति के अनुसार कालेज एवं स्कूल विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं को निम्न प्रकार से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं :—

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप

	2004 तक			फरवरी, 2013 को		
	प्रथम (रुपयों में)	दूसरा	तृतीय	प्रथम (रुपयों में)	दूसरा	तृतीय
कालेज	75 प्रतिमास	-	-	3000 प्रति वर्ष	2400 प्रति वर्ष	1800 प्रतिवर्ष
स्कूल	60 प्रतिमास	-	-	2400 प्रति वर्ष	1800 प्रति वर्ष	1200 प्रति वर्ष

राज्य चैम्पियनशिप

	2004 तक			फरवरी, 2013 को		
	प्रथम (रुपयों में)	दूसरा	तृतीय	प्रथम (रुपयों में)	दूसरा	तृतीय
कालेज	75 प्रतिमास	-	-	2400 प्रति वर्ष	1800 प्रति वर्ष	1200 प्रतिवर्ष
स्कूल	60 प्रतिमास	-	-	1800 प्रति वर्ष	1500 प्रति वर्ष	1200 प्रति वर्ष

अनुसूचित जाति कम्पोनैंट फैयरप्ले योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति निम्न प्रकार से दी जाती है :--

	2004 तक				फरवरी, 2013 को			
चैम्पियनशिप का स्तर प्रतिभागिता	प्रथम	दूसरा	तृतीय	प्रतिभागिता	प्रथम	दूसरा	तृतीय	
राज्य चैम्पियनशिप	-	-	-	-	3500 प्रतिमास	3000 प्रतिमास	2500 प्रतिमास	1500 प्रतिमास
राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	-	-	-	-	5000 प्रतिमास	4000 प्रतिमास	3000 प्रतिमास	-
अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	-	-	-	-	7000 प्रतिमास	6000 प्रतिमास	5000 प्रतिमास	-

इसके अतिरिक्त उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति महिला खिलाड़ियों को 1000 रुपये प्रतिमास दिया जाता है।

खुराक धनराशि

वर्ष 2004 तक	**फरवरी, 2013 को**
50 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन	150 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन

रोजगार विवरण

वर्ष 2004 तक	फरवरी 2013 को
कुल 149	**482**

अन्य सुविधाएं :

- विभाग प्रशिक्षण केन्द्रों, अकादमियों, नर्सरियों तथा विभाग की खेल विंगों में आने वाले सभी खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल प्रशिक्षण, खेल उपकरण तथा खेल के मैदान भी प्रदान करता है।
- राज्य प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों को खुराक राशि तथा खेल किट प्रदान की जाती है।
- विभाग राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में प्रतिभागिता करने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए प्री-राष्ट्रीय गहन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है।
- आवासीय खेल नर्सरियों तथा अकादमियों के खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल किट, खेल उपकरण तथा विभिन्न स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अवसरों के साथ-साथ 150 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रति दिन की दर से खुराक दी जाती है।
- 8 से 14 वर्ष तथा 15-19 वर्ष की आयुवर्ग के खिलाड़ियों को क्रमशः 1500 रुपये तथा 2000 रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा द्रोणाचार्य, अर्जुन तथा ध्यानचन्द अवार्डी को 5000 रुपये प्रतिमास की धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त ओलम्पियन, अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी तथा एशियाई एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा भी दी जाती है।

[श्री सुखबीर कटारिया]

- वर्ष 2004 तक राज्य सरकार द्वारा 5 सामान्य श्रेणी के उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को 1.00 लाख रुपये प्रति खिलाड़ी की दर से भीम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। वर्ष 2012-13 में 5 सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों तथा एक शारीरिक रूप से अशक्त खिलाड़ी अर्थात् कुल 6 खिलाड़ियों को 2.00 लाख रुपये प्रति अवार्डी की दर से भीम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा—

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

(i)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Jaleb Khan, CPS in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 4th March, 2013 due to his illness.

(ii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Rao Yadvendra Singh, M.L.A. in which he has expressed his inability to attend the sittings of the House on 4th March, 2013 and 11th March, 2013 due to personal reasons.

(iii)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Bharat Bhushan Batra, MLA in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 4th March, 2013 as he has to attend some religious ceremony.

स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति/बैठक का स्थगन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the Adjournment Motion moved by Shri Sampat Singh MLA, regarding losing of moral right of Shri Om Prakash Chautala MLA to continue his Member of the Legislative Assembly and also the Leader of the Opposition, which was deferred with the sense of the House on 28th February, 2013 for a later date, will be taken up today. Now, Shri Sampat Singh, MLA may ask for the leave of the House to move the adjournment motion. (Interruption)

(बिजली मंत्री) श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये कोई मोशन है या जिन्न है । ये घबरा क्यों जाते हैं । अभी तो लीव आफ दि हाउस ली नहीं है।(शोर एवं व्यवधान) Before he takes the leave of the House, they have got up. (Interruption)

Shri Ram Pal Majra : Speaker Sir, I want to read out the Rule 70 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. It says-

> "If leave is granted, the motion shall be taken up on the same day at the normal hour of interruption of business or if the business on the list for the day is concluded earlier, at the conclusion of such business; or at any other time as the Assembly may decide."

Mr. Speaker : This will not be taken up if the leave was granted.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये घबरा रहे हैं ।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : But in the present matter, the leave was not granted. So, if the leave was granted it could have been taken up in the same day. So far, no leave has been granted by this House. Therefore, it will be taken up today.

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, यह एडजर्नमैंट मोशन जिस दिन लाये थे उसी दिन आना चाहिए था और इसका आज कोई महत्व नहीं है। आज कोई ऐसा महत्वपूर्ण इश्यू नहीं है जिसके लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, you may seek the leave of the House please. (Interruption)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, क्या ये प्रस्ताव इनके लिए हौआ बन रहा है। ये पूरे प्रदेश में जन जागरण कर रहे हैं । यहां भी तो क्लीयर होना चाहिए क्योंकि असली हाउस तो यही है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव .... (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का काम है विपक्ष के साथी .... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनी जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप अकेले नहीं खड़े हो, आपके साथ आपके 20 सदस्य और खड़े हैं । (शोर एवं व्यवधान) Please take your seats. Let me hear the rule (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इजाजत लेकर बोल रहा हूं। अभी तक प्रो. सम्पत सिंह जी के मोशन को लीव नहीं दी गई है और यह एडजर्नमैंट मोशन कोई हव्वा या जिन्न नहीं है। यह एक एडजर्नमैंट मोशन है and that adjournment motion, if the leave is granted, the motion shall be taken up and if the leave is not granted, then it cannot be taken up. With your permission, I want to read out Rule 70. मेरे माननीय दोस्त रामपाल माजरा जी ने जो रूल 70 पढ़ा है यह सिलैक्टिवली पढ़ा है- "If leave is granted, the motion shall be taken up on the same day..." इतना पढ़कर छोड़ दिया । I want to read out further. It says—

> "... at the normal hour of interruption of business or if the business on the list for the day is concluded earlier, at the conclusion of such business or at any other time as the Assembly may decide."

Therefore, according to this Rule, this motion can be taken at any time on any day as the Assembly may decide. (Interruption) Sir, the leave has not been granted. Therefore, this may be taken up today. If my learned friends are so keen and they do not realize that the Speaker has residuary powers under these very Rules and also as per the Parliamentary Practices where the Speaker by taking a sense of the House can always proceed with either a motion or with any other proceedings in the House. Sir, at the end of the day, the House is supreme and the House is bigger than all of us cumulatively and individually. When the cumulative wisdom of the House is taken, then the Speaker can appropriately decide. So, it is only a motion qua probity in public life. (Interruption) Why are my learned friends so scared? They keep saying everywhere that we are ready for a discussion. (Interruption) अब विपक्ष के साथी डरकर भागना चाहते हैं । आज फिर मेरे साथी

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
भागने वाले हैं । (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने यहां से जाना है, रहना नहीं है । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी सुबह तैयार होकर आते हैं कि हमने हाउस छोड़कर जाना है ताकि समाचार पत्रों में खबर छप जाये । इनके पास इससे फालतू कोई मुद्दा नहीं है और न ही इनको हरियाणा प्रांत से कोई लेना देना है । ये न तो किसी तरह की डिस्कशन करना चाहते हैं और न ही सरकार को कोई रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं । Whenever I speak, अरोड़ा जी अपने साथियों को खड़ा कर देते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, प्रोबिटी इन पब्लिक लाईफ के बारे में प्रो. सम्पत सिंह जी का मोशन आया हुआ है और आपने उनको परमिट किया है । Let the leave first be taken up then we can discuss everything else. उस पर विपक्ष के साथी चर्चा क्यों नहीं करना चाहते ? इस पर चर्चा होगी तो हमारे विपक्ष के साथियों को भी चिंता होगी कि पारदर्शिता हो and that Probity in public life should be upheld by everyone and they should also be concerned about it. Why are they running away? They make a background for running away everyday. How's that possible, Sir?

Mr. Speaker : Mr. Arora, now you may speak, please. After then Shri Sampat Singh Ji, will seek the leave of the House.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी बार-बार कुंडी लगाने का जिक्र करते हैं । सबसे पहले तो मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि हाऊस के गेट पर एक बोर्ड पर यह लिखकर लगवा दो कि हाऊस में या तो आओ नहीं और अगर आओ तो न तो बजट पर चर्चा करो और न ही सरकार की गलतियों पर चर्चा करो सिर्फ सम्पत्त सिंह के एडजर्नमैंट मोशन पर ही चर्चा करो । सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप उस दिन सम्पत्त सिंह जी का एडजर्नमैंट मोशन यहां पर लेकर आये और उसके बाद पार्लियामैंट अफेयर्ज़ मिनिस्टर ने सारा मोशन मूव करके और साथ में सारा बिजनैस खत्म करके अर्थात् सारा बिजनैस सस्पैंड करके यह कहा कि इस मोशन पर चर्चा की जाये और यहां पर जो रूल 70 पढ़ा जा रहा था कि "...... or at any time ...." मैं यह कहना चाहूंगा कि "at any time" नहीं, उसी दिन आप यह डिसाईड करेंगे कि बिजनैस पहले खत्म करना है या बिजनैस खत्म करने के बाद में मोशन लेना है या same day बिजनैस से पहले लेना है । स्पीकर सर, अब तो अखबारें भी लिखने लग गई हैं कि एडजर्नमैंट मोशन खुद एजडर्न हो गया । सर, इसलिए मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमारे बहुत से मैम्बर बजट पर बोलना चाहते हैं इसलिए उन सभी को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाये । हमारे सारे मैंबर बजट पर बोलना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Shri Sampat Singh Ji, you may seek the leave of the House. Read out.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हाऊस को फिश मार्किट न बनायें । (शोर एवं व्यवधान) हाऊस को परम्पराओं और रूल्ज़ के हिसाब से चलने दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप कृपया अपना एडजर्नमैंट मोशन पढ़ें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व होता है । इसके साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में सच्चाई के महत्व पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है (शोर एवं व्यवधान) और विशेषकर संसदीय और विधान सभा के क्षेत्र में उन्हें जिन्हें न्यायालय द्वारा सज़ा दी गई हो उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रहना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) Sir, for this I want your leave on probity in public life. (Interruption)

Mr. Speaker : Yes, leave of the House may be sought. (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, we support the motion. माननीय सदस्य, leave of the House के समर्थन में अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायें । **(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य leave of the House के समर्थन में अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए)**

Mr. Speaker : Yes, it is more than eleven. So, the leave is granted. Sampat Singh Ji, please continue. (Interruption)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान .... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, you have been granted the leave. Take up the motion. (Interruption) सम्पत सिंह जी, आप अपना एडजर्नमैंट मोशन पढ़िए । (शोर एवं व्यवधान) leave has been granted to you. (Interruption) Read your motion. (Interruption)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार से आज पब्लिक लाईफ के अंदर से प्रोबिटी तार-तार और प्रॉयरटीज़ खत्म होती जा रही हैं । (शोर एवं व्यवधान) जिस तरह से राजनैतिक लोगों का चलन बनता जा रहा है इससे प्रजातंत्र से धीरे-धीरे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)इसी प्रकार से संसदीय लोकतंत्र से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) इससे आज पार्लियामैंट के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगने शुरू हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)पता नहीं पार्लियामैंट डैमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी ? (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, how can this misconduct be permitted? (Interruption)

Mr. Speaker : Please sit down everybody. (Interruption) Sit down please. Yes, Mr. Sampat Singh Ji, carry on. (Interruption) Why do you yield? Why don't you read out?

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाने लगे ।)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, विपक्ष के साथी इतना शोर मचा रहे हैं । इनके शोर में मैं अपना मोशन कैसे पढ़ सकता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I have allowed you to read your motion. (Interruption)

Shri Sampat Singh : Sir, the opposition members are making noise loudly. In these circumstances how can I read my motion? (Interruption) They are disrupting the proceedings. (Interruption) They don't want to leave on this. (Interruption)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाने लगे ।)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : स्पीकर सर, धक्काशाही तो ये विपक्ष के माननीय सदस्य कर रहे हैं जो ये एक माननीय साथी को अपना मोशन नहीं पढ़ने दे रहे हैं और अपने आप ही नारे लगा रहे हैं कि हम धक्काशाही नहीं चलने देंगे । (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, ये फोर्सबली किसी को भी बोलने नहीं देते । (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, please allow me for one minute. स्पीकर सर, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा । इसलिए आप कृपया मुझे एक मिनट के लिए बोलने के लिए अपनी परमिशन दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, सतपाल जी आप बोलिए । (शोर एवं व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सतपाल : स्पीकर सर, ये विपक्ष के साथी फील्ड में यह कहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से कहीं पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं । (शोर एवं व्यवधान) मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर चर्चा के लिए इस सदन से बढ़कर और कौन सा प्लेटफार्म हो सकता है? इनको जो भी खेल खेलना है उसको यहां पर खेल लें । (शोर एवं व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि ये सारे के सारे रिसपैक्टेबल मैम्बर हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनको यहां पर चर्चा करने में क्या परेशानी हो सकती है? (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाने लगे ।)

Mr. Speaker : Please sit down everybody. (Interruption) आप सभी माननीय सदस्य कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें और हाऊस की कार्यवाही को शांतिपूर्वक चलने दें । (शोर एवं व्यवधान) आप कृपया बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) आप कृपया सभी बैठ जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर इनेलो के साथियों को बहस करनी है तो इससे बड़ा मंच और कोई नहीं हो सकता । ये बहस करना नहीं चाहते, ये बहस से बच कर भागना चाहते हैं । (विघ्न)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य तथा शिरोमणी अकाली दल के एक मात्र सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे और नारे लगाने लगे ।)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ****

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded here. (Interruption) आप प्लीज अपनी सीटों पर बैठिये । आप सभी लोग बैठिये । सम्पत सिंह जी, आप अपना मोशन पढ़ो । (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मोशन को सभी सदस्यों को सर्कुलेट करवा दिया जाये । (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह नियमों के विरूद्ध है, यह नहीं हो सकता । (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : रामपाल जी, प्लीज स्टॉप दिस, यह बंद कीजिए । ऐसे हालात में हाउस को चलाना सम्भव नहीं है । एक माननीय सदस्य अपना मोशन पढ़ना चाहता है लेकिन विपक्ष उसको पढ़ने ही नहीं देता । (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Member the House is adjourned for 15 minutes.

(The Sabha then *adjourned for 15 minutes and re-assembled at 3.37 p.m.)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Prof Sampat Singh Ji, you may speak.

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, I seek your permission to take the leave of the House on the Adjournment Motion. (Interruption)

Mr. Speaker : Rampal Ji, please sit down. आप बैठ जाइये. (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह मैटर सब-ज्यूडिस है। So it cannot be discussed, जो मामला सब-ज्यूडिस है उस पर डिस्कशन के लिए लिव ग्रांट की जा रही है यह ठीक बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये प्लीज। Majra Ji, you are standing without my permission. (Interruption) Please sit down. I will not allow you. (Interruption) मेरे से बिना पूछे बोल रहे हैं. you should seek prior permission to speak. First, you should ask me to allow you to speak. (Interruption) Nothing is to be recorded whatever is said without my permission.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ****

श्री अध्यक्ष : आप मेरी परमिशन के बिना खड़े हुए हैं प्लीज बैठिए. (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ****

Mr. Speaker : Majra Ji, you are not obeying the Chair. (Interruption) I am warning you. Please resume your seat. (Interruption).

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ****

Mr. Speaker : Mr. Majra, I am warning you. Please resume yor seat otherwise I will name you. Everybody resume his seat please. I am warning you. Please resume your seat.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ****

श्री अध्यक्ष : आपने मेरे से कोई परमिशन नहीं ली। You are standing without my permission. पहले बैठिए आप। You do not have got my permission. If you again stand up without my permission then I will name you.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ****

Mr. Speaker : Let him read his motion first.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ****

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य तथा शिरोमणी अकाली दल का एक मात्र सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करने लगे)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम तो केवल अपनी सीटों पर ही खड़े हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री नरेश कुमार शर्मा : स्पीकर सर, यह सदन हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है जहां पर हर सदस्य अपनी बात रख सकता है। (शोर एवं व्यवधान) यह लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से बहस के लिए तैयार हैं.. (शोर एवं व्यवधान) जब हम सब बहस के लिए तैयार है तो यह लोग सदन से क्यों भाग रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को सदन से भागने का बहाना चाहिए है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप संपत सिंह जी को अपना प्रस्ताव लाने के लिए कहें... (शोर एवं व्यवधान) बाहर तो इन लोगों को जाना ही जाना है .. (शोर एवं व्यवधान) ये लोग खुले मन से बहस करने की बात करते हैं (शोर एवं व्यवधान) लेकिन मैं कहता हूं कि यदि बहस करनी है तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कौन सा है? (शोर एवं व्यवधान) इससे बड़ा मंच प्रदेश में न तो कोई दूसरा है और न ही हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यों का नाम लेना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, please sit down. (Interruption)

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य तथा शिरोमणी अकाली दल का एकमात्र सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री नरेश कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह लोग भागना चाहते हैं (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री राम पाल माजरा : *****

Mr. Speaker: Majra ji, please stop all this. (interruption) आप प्लीज इस तरह बोलना बंद कीजिये (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : *****

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप भी प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : *****

Mr. Speaker: I am warning you. You all may please go to your seats. आप हाउस को डिस्रप्ट कर रहे हैं, आप सदन को डिस्रप्ट कर रहे हैं, आप अपनी सीटों पर जाईये, आप अपनी सीटों पर जाईये। (विघ्न) I am requesting you last time. You may please go to your seats. (noises and interruption). Don't interrupt the House. (Interruption).

(All the members of Indian National Lok Dal and a member of Shiromani Akali Dal present in the House did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continued raising slogans in the well of the House.)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी अपनी सीटों पर जाईये । (noises and interruption) Hon'ble Members go back to your seats. This is the last warning, I am issuing to you. (noises and interruption) Hon'ble Members go back to your seats. (noises and interruption)

**चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

(All the members of Indian National Lok Dal and a member of Shiromani Akali Dal present in the House did not pay heed to the repeated requests made by the Hon'ble Speaker and continued raising slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, you are interrupting the proceedings of the House. (noises and interruption). Please maintain the decorum of the House. (noises and interruption).

Alright, I am naming S/Shri Ashok Kashyap, Ashok Arora, Bishan Lal Saini, Bahadur Singh, Dharampal Obra, Dilbag Singh, Ganga Ram, Hari Chand Middha, Abhay Singh Chautala, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammad Ilyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh Nambardar, Phool Singh Kheri, Raghbir Singh, Rajbir Singh Barara, Rameshwar Dayal, Saroj Mor, Subhash Chaudhary, Ram Pal Majra, and Charanjit Singh Rori. I have named all of you. Please leave the House. Please leave the House. आप बाहर चलिये । (शोर एवं व्यवधान) आप बाहर जाईये । (शोर एवं व्यवधान) आप बाहर जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

(All the members of Indian National Lok Dal and a member of Shiromani Akali Dal did not withdraw from the House and continued raising slogans in the well of the House.)

Mr. Speaker : Marshal take them out of the House.

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch & Ward Staff took them out of the House.)

श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के हरियाणा विधान सभा सदस्य तथा प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी बने रहने का नैतिक अधिकार खोने संबंधी स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 पर चर्चा की स्वीकृति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, an important discussion/debate on Adjournment Motion has to take place. (interruption)

प्रो. संपत सिंह : स्पीकर सर, मैं यह चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सबकी टेबल पर सर्कुलेट कर दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, this matter will be discussed for two hours because this motion has to terminate within a time span of two hours. So, I am fixing just two hours then we have to take up next motion. Most of the Members want to speak on this issue so, please take care of time. Mr. Sampat Singh, you may move your motion.

Prof Sampat Singh : Sir, I beg to move—

That the House do now adjourn.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप किसी को बात ही नहीं करने देते हैं।

Mr. Speaker : Please sit down.

प्रो. संपत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बहुत समय और जोर लगाने के बाद आप इस प्रयास में सफल हुए और मेरा ऐडजर्नमैंट मोशन मूव करके मुझे बोलने की परमिशन दी। सर, कोई हवा वाली बात नहीं है न ही मैं कोई पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं और यह मेरी आदत में भी नहीं है, न ही मैं कोई गैर कानूनी तथा असंवैधानिक बात करता हूं। मेरी ईमानदारी से इनको तकलीफ रहती है कि मैं स्पष्टवादी हूं और जो कुछ बोलता हूं पूरी ईमानदारी से बोलता हूं। ईमानदारी, सदाचार और नैतिकता मेरे पास ये गहने हैं और मैं इन बातों को सबसे बड़ा गहना मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीजों से प्रभावित जो ऐलीगेशन और काउंटर ऐलीगेशन लगाते हैं उसके पीछे कारण और हैं उन कारणों को सारा प्रदेश और प्रदेश के सभी लोग जानते हैं और वह कारण स्पीकर सर, उम्र भर रहेगा। अब वह मेरे बस की बात नहीं है और वह कारण जब बन गया तो उस कारण से जो इनको चोट लगी है उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए कि उस कारण को ठीक कर वापस अपने जीवन में आएं।

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, have you read your entire motion? Please read your entire motion.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के अधीन सदन के कार्य के स्थगन के लिए निम्नलिखित मामले पर चर्चा करने के उद्देश्य हेतु 26 फरवरी, 2013 के लिए स्थगन प्रस्ताव की सूचनी दी है, अर्थात् :--

> "कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का सदा बहुत महत्व है। सार्वजनिक जीवन में सच्चाई के महत्व पर हमेशा जोर दिया गया है तथा विशेषकर संसद तथा विधान सभाओं के क्षेत्र में, कि वे जिन्हें न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो, उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रहना चाहिए। माननीय विशेष न्यायाधीश-II, केन्द्रीय जांच ब्यूरों, रोहिणी न्यायालय, नई दिल्ली ने श्री ओम प्रकाश चौटाला, नेता प्रतिपक्ष को "जे.बी.टी. भर्ती" घोटाले के नाम से प्रसिद्ध एक मामले में 16-1-2013 को दोषी ठहराया है। माननीय न्यायाधीश द्वारा 22-1-2013 को समुचित सजा दी गई। माननीय विशेष न्यायाधीश-II, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, रोहिणी न्यायालय ने श्री ओम प्रकाश चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 1000/- रुपये की राशि के जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की अदायगी के व्यक्तिक्रम में, उन्हें छह मास का साधारण कारावास भोगना होगा। उन्होंने आगे श्री ओम प्रकाश चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 418/467/471 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के अधीन 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 1000/- रुपये की राशि के जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की अदायगी के व्यक्तिक्रम में, उन्हें छह मास का साधारण कारावास भोगना होगा। इस आदेश में वर्णित दोषी की सभी सजाएं समवर्ती चलेगीं।
>
> इसलिए श्री ओम प्रकाश चौटाला को ऐसी परिस्थितियों में हरियाणा विधान सभा के सदस्य तथा प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं आगे कहना चाहता हूँ कि यह एक अत्यावश्यक लोक महत्व का विषय है तथा माननीय अध्यक्ष महोदय से इस सदन के सूचिबद्ध कार्य को स्थगित करने तथा जनहित में इस महत्वपूर्ण मामले को तुरन्त लेने का निवेदन करते हैं।"।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक अति लोक महत्व का आवश्यक मामला, कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व है, उठाया है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के उन्मूलन पर आजकल बहुत बहस हो रही है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जैसे कुछ राजनैतिक नेताओं द्वारा अपनाई गई अवैध तथा दागपूर्ण प्रक्रियाओं के कारण, सभी राजनैतिक नेताओं के आचरण पर उनके दोष के बिना ही सवाल उठाए जा रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, निष्कपटता, कुशलता तथा सच्चाई का मामला राष्ट्र तथा विशेषकर युवाओं की शीर्ष प्राथमिकता पर है। सार्वजनिक जीवन में सच्चाई के महत्व पर हमेशा जोर दिया गया है तथा विशेषकर संसद तथा विधान सभाओं के क्षेत्र में, कि वे जिन्हें न्यायालय द्वारा सजा दी गई हैं, उन्हें किसी सार्वजनिक पद पर नहीं रहना चाहिए।

माननीय विशेष न्यायाधीश-II, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, रोहिणी न्यायालय, नई दिल्ली ने श्री ओम प्रकाश चौटाला, नेता प्रतिपक्ष को "जे.बी.टी. भर्ती घोटाले" के नाम से प्रसिद्ध एक मामले में 16-1-2013 को दोषी ठहराया है। माननीय न्यायाधीश द्वारा 22-1-2013 को यथेष्ठ मात्रा में सजा दी गई। माननीय विशेष न्यायाधीश-II, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, रोहिणी न्यायालय ने श्री ओम प्रकाश चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 1000/-/ रुपये की राशि के जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की अदायगी के व्यक्तिक्रम में, उन्हें छह मास का साधारण कारावास भोगना होगा। उन्हें आगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 418/467/471 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के अधीन 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 1000/-/ रुपये की राशि के जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की अदायगी के व्यक्तिक्रम में, उन्हें छह मास का साधारण कारावास भोगना होगा।

इस आदेश में वर्णित दोषी की सभी सजाएं समवर्ती चलेगीं।

भारतीय दंड संहिता की सभी उपरोक्त धाराओं, जिनके अधीन विपक्ष के नेता को सजा हुई, की व्याख्या करना मेरा परम कर्त्तव्य है।

भारतीय दंड संहिता, 1860-467 : मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी -------- दोषी को आजीवन कारावास की सजा होगी, अथवा एक अवधि के लिए दूसरी प्रकार का कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा।

भारतीय दंड संहिता, 1860-418 : जानबूझ कर धोखा करना कि जिन व्यक्तियों के हित सुरक्षित करने के लिए अपराधी बाध्य है उनको अनुचित ढंग से हानि पहुंचाना।

भारतीय दंड संहिता, 1860-471 : जाली दस्तावेज़ को प्रमाणिक रूप में प्रयोग करना-जो कोई भी किसी दस्तावेज़ को छलपूर्ण अथवा बेईमानी से प्रमाणिक रूप में प्रयोग करता है जो कि वह जानता है अथवा जाली दस्तावेज़ होने का विशवास रखता है, उसी ढंग से दंडित होगा जैसे कि उसने ऐसे दस्तावेज़ की जालसाज़ी की थी।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 13(2) : कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक दुराचार करता, एक अवधि के लिए कारावास की सजा के लिए दण्डनीय होगा, जोकि एक वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

[प्रो. सम्पत सिंह]

जन प्रतिनिधित्वों के आचरण तथा जन जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन पर गम्भीर चर्चाएं हुई हैं। अन्यथा भी जब एक राज्य की विधान सभा का सदस्य शपथ ग्रहण करता है, इसकी भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में भली प्रकार से व्याख्या की गई अर्थात् "मैं क. ख. .... जो विधान सभा के लिए सदस्य/सदस्या निर्वाचित हुआ/हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/लेती हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, कि मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को बनाए रखूंगा/रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला/वाली हूं, उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा/करूंगी"।

श्री चौटाला ने शपथ ली है कि वह जिस पद को ग्रहण करने वाले हैं, उसके कर्त्तव्यों का वह श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। श्री चौटाला उसे सौंपे गए कर्त्तव्य को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने में असफल हुए हैं। उन्हें माननीय न्यायाधीश द्वारा उसके आपराधिक आचरण, धोखाधड़ी तथा जालसाजी के लिए धारा 13(2) के अधीन दोषी ठहराया गया है इसलिए उन्होंने ली गई शपथ का उल्लंघन किया है। इसलिए उनको अपने एम.एल.ए. तथा प्रतिपक्ष के नेता के पद पर सार्वजनिक जीवन में भी बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके अपने वकील श्री एस.के. सक्सेना के अनुसार उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार खो दिया है। श्री एस.के. सक्सेना वकील ने श्री ओम प्रकाश चौटाला को इस आधार पर सजा देने में उदारता दिखाने के लिए जोरदार ढंग से प्रार्थना की है कि श्री चौटाला, अजय सिंह चौटाला तथा शेर सिंह बड़शामी को उनके राजनैतिक जीवन में भारी क्षति हुई है क्योंकि इस मुकदमें के दर्ज होने के पश्चात् उनकी पार्टी ने सत्ता खो दी है और व्यक्तिगत रूप से ये दोषी पूरी तरह से चुनाव हार गए हैं। उन्होंने आगे बहस करते हुए कहा कि उनके लिए यह सजा ही बहुत बड़ा दण्ड है क्योंकि उन्हें समाज का सामना करने में भी कठिनाई है।

न्यायालय में यह स्टैंड लेते हुए उन्होंने कहना चाहा कि वे अपने कृत्यों पर पछताते हैं, तथापि, न्यायालय के बाहर उन्होंने न्यायालय में लिए गए अपने स्टैंड का व्यापक रूप से विरोध करने के लिए एक गलत सूचना अभियान चला रखा है।

दोनों चौटाला को न्यायालय में दिए अपने अभिवचन याद रखने चाहिए थे और भविष्य में किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन कभी न करने का संकल्प लेना चाहिए था बजाए इसके वे अपनी सजा का गुणगान कर रहे हैं जोकि शर्मनाक है। तथापि, अब यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपने रास्ते कभी भी बदलने नहीं चाहे।

अब श्री चौटाला को 10 वर्ष तथा 7 वर्ष के लिए सजा हो गई है, यद्यपि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। माननीय न्यायाधीश ने आगे कहा, "मैंने मुख्य फैसले में पहले ही चर्चा की है कि अवार्ड सूचियों की जालसाजी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 के अन्तर्गत अमूल्य सुरक्षाओं के बराबर दण्डनीय है, जो उम्र कैद तक की सजा देती है। अपराधों की गंभीरता आगे और कारणों के दृष्टिगत बढ़ जाती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की अतिपवित्र संवैधानिक गारंटी का निर्लज्जता से उल्लंघन हुआ है।"

माननीय न्यायाधीश ने अपने निर्णय में आगे कहा "इसलिए अपराधों की गंभीरता तथा ढंग जिनमें राजनीतिज्ञ नौकरशाही परस्पर संबंधित होने के फलस्वरूप ऐसे बहुत से अभ्यर्थी जो अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हुए हैं पर विचार करते हुए मैं उन अभियुक्तों को, जो पूरे षड़यंत्र के मास्टर माइंड

थे या उसे क्रियान्वित करने में सहयोग कर रहे थे, जो सजा देने में ढिलाई के लिए कोई कारण नहीं पाता हूँ।"

भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा प्रतिपक्ष के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. तथा शेर सिंह बड़शामी, एम.एल.ए. को अध्यापक भर्ती मामले में जेल की सजा देना एक ऐतिहासिक फैसला है जो देश में राजनैतिक व्यवस्था को साफ-सुथरा करने की शुरूआत का संकेत है।

यह निर्णय भारतीय राजनीति तथा गणतंत्र प्रणाली के लचीलापन में लोगों का विश्वास बहाल करने में सहायक होगा।

यह पहली बार है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जैसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को भ्रष्टाचार के मामले में कठोर सजा दी गई है। तथ्य यह है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला को 17 वर्षों की जेल की सजा हुई है 10 वर्ष जालसाजी के लिए तथा 7 वर्ष भ्रष्टाचार के लिए यह सिद्ध करता है कि प्रभावशाली भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के लिए राजनैतिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है।

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब उपरोक्त नेताओं पर अभियोग लगाया गया था, तो माननीय सदस्य, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने प्रतिपक्ष के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला तथा दो अन्य एम.एल.एज. के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत भी किया था। यह प्रस्ताव 23-8-2011 अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। अब माननीय न्यायाधीश ने उन्हें सजा सुना दी है, मामला अति लोक महत्त्व का बन गया है तथा सजा के इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर सर, जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में क्योंकि राजनीति में हमारा सार्वजनिक जीवन होता है। इसलिए मैंने जो ईमानदारी, सदाचारी और नैतिकता की जो बातें कही हैं उनकी बहुत अहमियत हैं । जिन लोगों से हम चुनकर आते हैं उन लोगों के सामने हम यह एजेण्डा रखते हैं कि हम हर किस्म से आपकी सुरक्षा, इमानदारी और नैतिकता से करेंगें और आप लोगों ने हमें जो जिम्मेवारी दी है उसमें हम किसी प्रकार की छल कपट नहीं करेंगे । आपकी दी हुई हमारे पास यह एक अमानत है और वेल्यूऐबल सिक्योरिटी है उसकी हम रक्षा करेंगे । सर, जब हम चुनकर यहां आ जाते हैं उसके बाद जिस तरह से हम पदों का इस्तेमाल करते हैं आज वह एक सोचनीय विषय है । आज सारा देश इस बात को जान गया है कि जब भी कोई क्रप्शन की बात आती है तो सारा देश एक दम खड़ा हो जाता है और खासकर युवा वर्ग खड़ा हो जाता है । सर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ राजनीतिक लोगों ने जिस तरह का यह माहौल बनाया है । आज सजा किस में हो रही है फोरजरी में हो रही है, चिटिंग में हो रही है और पी.सी.एक्ट में हो रही है । अगर ये चीजें हम राजनीतिक लोग करेंगे, पब्लिक के आदमी करेंगे और उस लेवल पर आकर करेंगे तो लोगों द्वारा यह कैसे बर्दाश्त की जा सकती है । यह जो न्यायालय का फैसला आया है जैसा कि ये लोग कह रहे थे कि ऐसा पहले बार हो रहा है । ऐसा पहली बार हिन्दुस्तान में हुआ है कि इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हुए किसी व्यक्ति को 17 साल की सजा दी गई है । आज से पहले कभी 3 या 4 साल की सजा एक या दो केसिज में हुई है लेकिन दस साल की सजा वाला केस जो एक साथ इकट्ठी चलेगी वरना तो 17 साल की सजा श्री ऐसा केस आपको हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा । यह प्रैसीडैंट हरियाणा ने पहली बार स्थापित किया है जहां हरियाणा अच्छे काम करता है उसके साथ साथ राजनीतिक लोगों के नाम से हरियाणा प्रदेश बदनाम भी हुआ है । राजनीतिक तौर पर हरियाणा प्रदेश का नाम बहुत छोटे तौर पर लिया जाता है । जब भी हरियाणा प्रदेश का आदमी बाहर जाता है कुछ राजनीतिक लोगों का नाम बाहर के देशों

[प्रो० सम्पत सिंह]
में इतना उजागर हो गया है कि पोजिटीव काम करने वाले लोगों का नाम शायद इतना नहीं होता जितना नैगेटिव एक्टिविटीज करके, अपने एडवर्स कार्य करके, संविधान और कानून को तोड़कर जिस तरह से इन्होंने काम किए हैं उन कामों को ज्यादा याद किया जाता है । लोग विदेशों में भी यही कहते हैं कि ऐसे राजनीतिक लोग भी हैं जिनके नाम से लोग कांपते हैं । जिनके नाम से बिजनैस बढ़ाने की बात आती है तो लोग अपना बिजनैस बन्द करके चले जाते हैं । किसी कानून रूप से वह बिजनैस मैन काबू न आये तो उसकी फैक्टरी के सामने खाईयां खुदवा दी जाती हैं, पीपल लगा दिए जाते हैं। कांटेदार तार लगा दिए जाएं। किसी दफ्तर में अलमारी पड़ी है तो उसमें वैल्यूएबल डाकूमैंट्स पड़े हैं और उन डाकूमैंटस को निकाल दिया जाता है। सर, यह तो जिक्र एक आई.ए.एस. अधिकारी ने अपनी कम्पलेंट्स में किया है । उन्होंने कहा है कि मेरे से उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि .... (विघ्न)

स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह जजमैंट दिया जाना था उससे पहले जो आरगूमैंट चलती हैं । आप तो खुद एक लर्नेड वकील हैं। उसमें जो जिक्र आया है कि उस समय के एक आई.ए.एस. अधिकारी जिन्होंने उस समय इस विभाग को हैड किया था । उन्होंने यहां तक कहा कि जब मैंने देखा कि अलमारी सील है । मेरे से पहले जो मेरी प्रैडीसैशर थी वह इस विभाग की डायरेक्टर थी । वह उस जे.बी.टी. भर्ती के रिजल्ट को अलमारी में सील करके चली गई । क्यों वह इस रिजल्ट को सील करके चली गई । स्पीकर सर यह 306 पेज की जितनी जजमैंट दी गई है उसमें बाकायदा ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि उस आफिसर पर भी काफी दबाव डाला गया था । उसके बाद भी वे ईमानदार रही, इस पर हमें गर्व है । जहां हमारे ओफिसर, पोलीटिकल लोग बेईमान भी हैं वहीं इमानदारों की भी कोई कमी नहीं है और इस तरह के काम होने पर वे सारे के सारे लपेटे में आ जाते हैं । आज पोलीटिकल लोगों का, ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस का क्रिमिनल लोगों के साथ नैक्सस बना हुआ है । इस तरह के लोगों की वजह से हमारा नाम बदनाम होता है । जब मौके के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अलमारी पर सील है उस पर उनके खुद के दस्तखत हैं और 4-5 मुलाजिमों के भी दस्तखत हैं । उसके बाद चाबी को भी लिफाफे में सील किया हुआ है । अब उनको तोड़ें कैसे । इसका सीधा सा जवाब था कि अलमारी को दीवार के साथ ले जाकर आगे सरका दो और पीछे से उसको काट लो और लिस्ट निकाल लो और बाद में वैल्डिंग कर लो । अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह अपने ब्यान में कहा है कि यह कर लो । अगर इस तरह की बात और इस तरह का प्रोसीजर स्टेट के पोलीटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं तो इससे फालतू निंदनीय बात और क्या होगी और क्या स्टेट में सदाचार रहेगा । कानून की बात तो अलग है क्योंकि कोई कानून की जकड़ में आ जाता है और कोई कई बार कानून की पकड़ में नहीं आता । पहली बार ये जकड़ में आए हैं और जकड़ में आने के बाद हौसलें ठिकाने आ जाते हैं । अदरवाइज ताकत से एकदम अंधा हो जाना और सारी उम्र यह कहना कि मैं तो इस कुर्सी से नहीं हटूंगा और मैं सारी उम्र इसी कुर्सी पर रहूंगा, यह कोई तरीका होता है? इसका मतलब है कि आप यहां सामंतवाद तरीके अपनाते हो । अध्यक्ष महोदय, इनके दिमाग से आज भी वह फ्यूडेल्जिम नहीं गया है तभी तो इस तरह की असभ्य भाषा बोलते हैं । ये बातें जो होती हैं इनसे सामंतवाद की बू आती है कि अपने आपको दूसरों से छोटा न मानना, चाहे कोई उम्र से कितना बड़ा हो या छोटा हो । सामाजिक तौर पर या पब्लिक तौर पर कोई किसी भी पद पर था, ये उन पदों को नहीं मानते थे बल्कि ये अपनी बात को मानते थे और अपनी चौधर चलाने का प्रयास करते थे । अध्यक्ष महोदय, ऐसी चीजों से नुकसान होता है । जैसे इस केस में हुआ, इस केस में जजमैंट देते समय 4 चीजों का विशेष हवाला दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, आप तो वकील हैं लेकिन बहुत से मेरे साथी वकील नहीं है। इसमें पहले तो यह कहा गया है मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी valuable security के साथ

फोरजरी करना । दूसरा जानबूझकर धोखा करना कि जिन व्यक्तियों के हित सुरक्षित करने के लिए अपराधी बाध्य हैं उनको अनुचित ढंग से हानि पहुंचाना । तीसरा इसमें कहा गया है जाली दस्तावेज को प्रमाणिक रूप में प्रयोग करना, जो कोई भी किसी दस्तावेज को छलपूर्ण अथवा बेईमानी से प्रमाणिक रूप में प्रयोग करता है। इन सभी धाराओं को मिलाकर उनको यह सजा सुनाई गई थी । अध्यक्ष महोदय, फोरजरी में आप जानते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमैंट भी हो सकती है और इनको 10 साल की सजा दी गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दो बातें मेरे दिमाग में खटक रही हैं । पहली बात तो यह खटक रही है कि आप संविधान की शपथ लेते हैं और उसके बाद संविधान की शपथ को आप तोड़ते हैं तो इसको हम क्या कहेंगें। अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी शपथ भी ली होगी और इससे पहले आपने कई शपथें देखी होंगी । आपने अपने पूज्य पिता के टाइम में भी देखा होगा और उसके बाद का भी समय देखा होगा । अध्यक्ष महोदय, जब हम शपथ लेते हैं उसको यदि हम पढ़े तो शपथ में क्लीयर लिखा हुआ है कि मैं जो विधान सभा के लिए सदस्य चुना गया हुं, नियुक्त किया गया हूं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा । अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं, पहली तो हमने संविधान की शपथ ले ली और दूसरी संविधान की शपथ को भी हम तोड़ते हैं और उसको कैसे तोड़ते हैं कि उसके बारे में माननीय न्यायधीश ने भी कहा है that there were so many rather numerous candidates they have been deprived of their constitutional and fundamental rights अगर किसी आदमी को हम संवैधानिक अधिकारों से वंचित करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम संविधान को तोड़ रहे हैं, संविधान के अगेनस्ट हम काम कर रहे हैं । संविधान ने हमें इक्वल ओपरचुनिटी का मौका दिया है, मैरिट का मौका दिया है और हम उनके मौके को छीनते हैं या उनसे डिप्राइव करते हैं तो इससे फालतू संविधान की अवहेलना हम क्या करेंगें । अध्यक्ष महोदय, ड्यूटी की बात आती है कि हमें क्या ड्यूटी दी गई थी । क्या यह ड्यूटी हमें इस तरह से लिस्ट बदलने के लिए दी गई थी । 3206 कैंडिडेटस की लिस्ट बन गई और यह लिस्ट इन्हीं के टाइम में बनी है । सिर्फ पोलीटिकल सीन चेंज हुआ था और पोलीटिकल सीन चेंज होते ही इनके दिमाग में यह बात आ गई कि लिस्ट में चेंज कर दें । इन्होंने सोचा कि अब किसी इंडिपैंडेंट या दूसरे विधायकों की जरूरत नहीं है इसलिए लिस्ट चेंज कर दें । इसका मतलब यह है कि वे मैरिट तोड़ते थे और विधायकों के हिसाब से चलते थे या those who were close to them उनके हिसाब से चलते थे । इसका मतलब इन्होंने एक सर्टीफिकेट दे दिया कि इन्होंने कानून के तहत और ईमानदारी से काम नहीं करना है। इन लोगों ने उस लिस्ट को बदलने के लिए जिस तरह का तरीका अपनाया, उससे बारबैरिक तरीका और नहीं हो सकता था। अध्यक्ष महोदय, कई बार तो पशु भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं । इन्होंने यह देखा कि इतने नम्बर देने से फलां बच्चा सैट हो सकता है और किसी के इतने नम्बर कम करने से मैरिट से कट सकता है । यह भी किया गया कि यदि कोई एस.सी. या बी.सी. का बच्चा जनरल में आ रहा है और अब ये लोग बार-बार एस.सी. और बी.सी. की बात करते हैं । अध्यक्ष महोदय, यदि किसी एस.सी. या बी.सी या और कोई कैटेगरी के कंडीडेट की मैरिट अच्छी है तो वह जनरल में भर्ती हो सकता है । उनको डाऊन करने के लिए कि ये बच्चे जनरल कैटेगरी में न आये और जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज यूं की यूं ज्यादा रह जायें । यह बस एडजैस्ट करने के लिए इन्होंने यह तरीका अपनाया कि किसी के 17, 18 या 19 नम्बर थे उनको कम करके 5 कर दिए गए और जिसके 5 थे उनके साढ़े 19 कर दिए गये । सर कोर्ट के फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि प्रूफ के रूप में काफी कंडीडेटस के नम्बर लिखे थे उनके पास जो सर्वे किया गया था और नम्बरों वाली बात सही पाई गई अध्यक्ष महोदय, इसमें जिलावार सिलैक्शन होनी थी क्योंकि इस बारे में

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

[प्रो० सम्पत सिंह]

जिला कमेटियां बनी हुई थी लेकिन जहां से उनका पुत्र चुनकर आया था और [illegible] के साथ ही है। इनके हलके में 60 वैकेंसिज थी लेकिन वहां पर ज्यादा भर्ती कर ली गई। उस टाईम के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि मेरे पास जो लिस्टें भेजी थी कि ये उनके कैंडीडेट्स लगाने हैं और उससे पहले उस डायरेक्टर ने और भी खुलासा कर दिया कि सर्व शिक्षा अभियान में भी कुछ कैंडीडेट्स लगे थे। उस टाईम पर मेरे पास इन 5 के नाम भेजे थे कि ये लगाने हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई चोरी करता है या कानून तोड़ता है तो वह यह न सोचे कि कभी भी ये चीजें सामने नहीं आएंगी। इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं क्योंकि इनका पूरा ग्रुफ है यदि एक दिन भी साहूकार को मिल जाता है तो बहुत होता है, चाहे चोर के 100 दिन हों । यही बात है कि यह सारा मैटर सामने आया और आने के बाद जिस तरह के हालत हुए ये सबके सामने हैं । अध्यक्ष महोदय, इसको भी ये लोग गलोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल जाना तो हमारा गहना है । इसका क्या मतलब बनता है । इसका मतलब यह हुआ कि यह उनका पेशा है । कौन सा पेशा, जेल जाना और जेल भी अंडर कंविक्शन/सजा में जाना । ऐसा नहीं है कि किसी कस्टडी में जा रहे हैं, कोई फैसला नहीं आया है ऐसा नहीं है । पब्लिक इम्पोर्टेंस या पोल्टीकल केस में जेल नहीं गये बल्कि सजा में गये हैं । अगर कोई किसी एजीटेशन में जेल जाए वह अलग बात होती है । इन बातों को छोड़कर यदि चिटिंग में, फोरजरी में या करप्शन में जेल जाते हैं तो बहुत गलत बात है और फिर भी ये लोग अपने आपको गलोरीफाई करते हैं कि यह हमारा गहना है, हम तो जेल जाते रहे हैं । अब अगर जेल जाना इनका गहना है तो इन्होंने कानून अपने हाथ में लेने के बारे में सोच लिया है। इसके बाद ये लोग क्या कहते हैं कि यदि किसी को रोजगार देना अपराध है तो यह अपराध हम बार-बार करेंगे । अध्यक्ष महोदय, यह अजीब स्थिति है, एक अपराधी कह रहा है कि मैं बार-बार कत्ल करूंगा, फोरजरी करूंगा, चिटिंग करूंगा या बार-बार पी.सी. एक्ट के अंडर काम करूंगा इसका मतलब उनका यह हो गया कि हमने सब कुछ करना है और न्यायालय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता । ये लोग अपने आपको कानून, न्यायालय और संविधान से भी ऊपर समझते हैं लेकिन यह दूसरी बात है कि ये लोग पकड़ में पहली बार आये हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह लैंडमार्क डिसीजन आया है । इससे आने वाली राजनीति पर असर पड़ेगा । मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के काम करने वाले लोग फिर वे कह रहे हैं कि हम बार-बार यह अपराध करेंगे । अध्यक्ष महोदय, नौकरी देने वाली क्या बात है, इसको भी यदि आप जजमैंट पढ़ेंगे तो देख लिजिए उसमें बाकायदा इनके वकील ने उठाया है । वकील वही बात उठाता है जो मुवकिल कहता है । लैंगवेज वकील की होती और शब्द मुवकिल के होते हैं । एक अपराधी उसके अंदर यह और कहता है कि साहब 12 साल से जो ये लोग यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं who are reaping the benefit for the last 12 years, उन पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया । उनको तो आपने हटाया नहीं । उस पर जज साहब ने कहा - "Yes, I will reply at the appropriate time." एप्रोप्रियट टाईम पर जज साहब ने क्या कहा है कि "ठीक है, you are right, they are co-conspirators." यह शब्द यूज किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि इसमें जो सरकार को करना है तो वह अपने लैवल पर कर ही लेगी । इस बारे में मेरी यह राय है इन पोस्टों के लिए दोबारा अखबारों में एडवरटाईजमैंट देकर इंटरव्यू ले लिये जायें । This is my suggestion, not my direction. शायद सरकार के स्तर पर यह कार्यवाही कर भी ली गई है। अब वहां जो आप देख रहे हों कि उनका वकील खुद मांग कर रहा है कि इनको हटाया जाये और बाहर ये कहते हैं कि वे 3206 चूल्हे जलाने के लिए जेल में गये हैं । मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि ये 3206 चूल्हे बुझाने के लिए और अपना अकेले का चूल्हा जलाने के लिए जेल में गये हैं इससे ज्यादा इनका कोई मतलब नहीं है । ये यह चाहते हैं कि इनका अपना चूल्हा जलता रहे और बाकी

चाहे सारे बुझ जायें इससे इनको कोई लेना देना नहीं है लेकिन सरकार की अभी भी कोई ऐसी मंशा नहीं है । सरकार अभी भी इस बारे में लीगल जानकारी ले रही है और कानूनी राय ले रही है कि इस बारे में क्या किया जा सकता है । मैं यह मानता हूं कि इस बारे में सरकार एप्रोप्रिएट समय पर आवश्यक कार्यवाही कर लेगी क्योंकि सी.बी.आई. कोर्ट में भी केस चल रहा है और यहां पर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है । मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । सर, इसके अलावा मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के आदमी हैं जो कोर्ट के अंदर तो कुछ बोल रहे हैं और बाहर जनता के सामने कुछ बोल रहे हैं इनका असली चेहरा हर हाल में जनता के सामने आना ही चाहिए । ये बाहर जनता के सामने तो लोगों को नौकरियां देने की बातें करते हैं और कोर्ट के अंदर उनको नौकरियों से छुट्टी करवाने की बात करते हैं । इस बारे में मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि ये लोग बाहर तो दहाड़ते हैं और कहते हैं कि हम यह अपराध बार-बार करेंगे जबकि कोर्ट के अंदर जज के सामने यह कहते हैं 'मी लॉर्ड' मैं बूढ़ा हो गया हूं । मैं अस्वस्थ हूं । मैं चल फिर नहीं सकता । चलो हम यह मान लेते हैं कि ये मानवीय बातें हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मानवीय बातों को कोर्ट किस प्रकार से लेता है यह कोर्ट का काम है । कितना इनको respond back करता है या कानून के सामने इन बातों की क्या कद्र है इस बारे में कोर्ट को देखना है । मैं इस बारे में कोर्ट के फैसले पर नहीं जाना चाहता । यहां तक तो ठीक है क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं हरेक व्यक्ति के साथ हो सकती हैं मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता परन्तु मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वर्ष 2003 में केस की रजिस्ट्रेशन हुई थी जिसमें अब जाकर सज़ा हुई है । मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2003 में इनकी खुद की सरकार थी और जिस डायरेक्टर से उन्होंने इस प्रकार का कार्य करवाया वह इनका चहेता था जिसको इन्होंने तीन महीने के अंदर दूसरे दो डायरैक्टरज़ को हटाकर लगाया था। जो डायरैक्टर इनका चहेता था और जिस डायरैक्टर को इन्होंने अपने आप लगाया था उसी डायरैक्टर ने कोर्ट से रिलीफ मांगा था । उसने रिलीफ इसलिए मांगा था क्योंकि उसको सस्पैंड कर दिया गया था । I cannot say on record कि इस तरह की बातें उड़ी थी कि उसने अपने कुछ बच्चे लगा लिये थे या ऐसा कर लिया या वैसा कर लिया जिस कारण वे उससे नाराज़ हो गये और उसके खिलाफ सर्व शिक्षा अभियान में कोई केस रजिस्टर्ड कर दिया I do not want to touch that matter मैं इस विषय को छेड़ना नहीं चाहता लेकिन मेरे कहने का यह मतलब है कि जिस आदमी को उन्होंने अपना डायरैक्टर नियुक्त कर दिया उसी आदमी को आपने सस्पैंड कर दिया और वह भी किसी और मैटर में इस मैटर में नहीं । उसको और मैटर में सस्पैंड करने के बाद वह आदमी फिर कोर्ट में जाता है और जब वर्ष 2003 में सुनवाई होती है तो बाकायदा हाई कोर्ट ने यह कहा कि yes this is a serious matter और मैं उसकी जांच सी.बी.आई. को सौंपता हूँ। सर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह फैसला इतना स्ट्रॉंग क्यों हुआ है । जो यह फैसला हुआ है यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है इसलिए that is why this was taken as most serious case. इस केस को कोर्ट ने टॉप प्रॉयरटी देने की कोशिश की फिर भी इस केस में 12 वर्ष का समय लग गया । इसलिए मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि 2003 में उनकी अपनी सरकार थी और उस समय जब इस केस को सी.बी.आई. को दिया जाता है तो इनकी तरफ से दो बातें कही जाती हैं । ये एक तरफ तो कहते हैं कि इस केस की जांच सी.बी.आई. से करवाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करवा ली जाये या फिर इस बारे में इंक्वायरी करने के लिए कोई कमीशन बिठा दिया जाये लेकिन इस केस की जांच सी.बी.आई. से न करवाई जाये । यह वर्ष 2003 की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2003 में भी they were fearing, they were fearing of CBI. आज वे यह कहते हैं कि सी.बी.आई. तो बेईमान हो गई है और सी.बी.आई. को खरीद लिया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि भले आदमियों वर्ष 2003 में उनकी अपनी एन.डी.ए. की

[प्रो० सम्पत सिंह]

सरकार थी जो कि इनके समर्थन से चल रही थी । उस सरकार में इनके पांच एम.पी. थे और जो पांच एम.पी. उस सरकार को समर्थन दे रहे थे वे तो ये स्वयं जाने कि वो किस स्वार्थ में सरकार को समर्थन दे रहे थे लेकिन इसके साथ ही साथ वे यहां पर भी सी.बी.आई. से डर रहे हैं । यह भी सोचने की बात है । सैंट्रल गवर्नमैंट खुद की थी इसके बावजूद भी यह केस ये सी.बी.आई. को देना नहीं चाहते थे । अगली तारीख पर गये तो इंक्वायरी एक्ट के अंदर यह कहा कि इस बारे में इंक्वायरी करने के लिए कोई कमीशन बिठा दिया जाये । यह तो जस्टिस की मर्जी है कि वह क्या करना चाहे । इस पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने कहा कि नहीं इस केस की जांच सी.बी.आई. ही करेगी । इसमें क्या जुल्म कर दिया ? अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि फलां आदमी का नाम एफ.आई.आर. में नहीं था । एफ.आई.आर. में सभी के नाम दर्ज नहीं भी होते हैं। कई बार ब्लाइंड एफ.आई.आर. भी दर्ज होती है, किसी का नाम भी उसमें दर्ज नहीं होता । उसमें भी तो बाद में दोषी शामिल होते हैं । इसी तरह से जिसमें कोई पकड़ा जाता है ओबवियशली उसके बयान लेने होते हैं कि तेरे साथ और कौन-कौन इस साजिश में शामिल थे तथा किसने क्या किया ? जब पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि किसने मुझे अलमारी काटने की सलाह दी और किसने लिस्ट बनाने की सलाह दी या दूसरी लिस्ट बदलने की सलाह दी गई । उसके बाद जिस तरीके से सारी कार्यवाही चली है, सारी आरगूमैंट सुनने के बाद ही यह सजा सुनाई गई है । अध्यक्ष महोदय, यह जो बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और सी.बी.आई. मिले हुये हैं । कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने कोई शिकायत नहीं दी, यहाँ तक कि किसी प्राइमरी मैम्बर ने भी शिकायत नहीं की और न ही सी.बी.आई. ने इस केस को सुओमोटो लिया तो कांग्रेस और सी.बी.आई. के मिले होने की बात कैसे कही जा सकती है ? इसमें इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं है बल्कि इनके वकील ने जिक्र किया है कि सी.बी.आई. कांग्रेस के दबाव में काम कर सकती है । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कांग्रेस पर भी चार्ज लगाये हैं । जो चार्ज ये पब्लिक में लगा रहे हैं यही आरोप वहाँ पर जज के सामने कोर्ट में भी लगा चुके हैं लेकिन कोर्ट ने उन सब बातों को ध्वस्त कर दिया कि no, there is no such evidence, there is no such proof कि कोई पार्टी इसके पीछे काम कर रही है । ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं । मैंने जो फंडामैंटल राईट्स की बात कही थी उसके बारे में लिखा है कि nexus of political masters and bureaucrats इन्होंने इन दोनों महत्वपूर्ण वर्गों पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है कि ये लोग इस तरह के काम करते हैं । करते ये हैं और जिम्मे हम सबके लग जाते हैं । यह इतना डैट्रेंट इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का काम न करे तथा इसीलिए इस तरह का फैसला आया है ताकि आगे इस तरह के काम न हों । ये बार-बार कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं । जेल के अन्दर भी रूल्ज को तोड़ते हैं यह दूसरी बात है कि जेल अथॉरिटी ने उसको लिनियेन्टली ले लिया लेकिन ये बाहर भी यही कहते जा रहे हैं । बाहर भी डिबेट कर रहे हैं तथा बार-बार मुख्य मंत्री जी को चैलेंज कर रहे हैं लेकिन कहाँ माननीय मुख्य मंत्री जी और कहाँ ये ? इनका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है । जिस आदमी ने राजनीति के मायने ही बदल दिये हैं, जिस आदमी ने बता दिया कि नैतिकता क्या होती है, सदाचार क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, बिना बायस के साफ-सुथरी राजनीति क्या होती है? यह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की देन है और सबसे बड़ी बात मैं यह मानता हूँ कि जो कुछ चल रहा था, जो मारधाड़ की ट्राइबल पॉलिटिक्स चल रही थी, एक दूसरे पर लाम्छन तथा दोष निकालने की चल रही थी, उन्होंने उन सब चीजों को छोड़ा है । 20-22 एम.एल.एज. ने विकास पार्टी छोड़ कर या दूसरी पार्टी छोड़ कर इनको मुख्य मंत्री बना दिया । सन् 2000 में जब ये दोबारा मुख्य मंत्री बन गये तो एक को भी नहीं छोड़ा, सभी के ऊपर केस दर्ज करवा दिये । अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि मैं इनका अपोजीशन लीडर था ।

दिसम्बर, 1993 में मैंने नो कोन्फीडेंस का मोशन दिया था और उस समय के जो मुख्य मंत्री थे he was so perturbed मैं जो डेढ़ घंटा बोला तो उनको इतनी परेशानी हो गई कि he threatened me कि मेरे पास फलां के बेटे एक्स एम.एल.ए. की आपके खिलाफ शिकायत आई है जो आज विपक्ष के नेता अन्दर हैं उनके छोटे भाई ने शिकायत की है कि सम्पत सिंह के पास ये-ये नाजायज प्रोप्रटी है । मैंने कहा कि ठीक है, आपकी सरकार है, आप इन्वैस्टीगेशन कीजिए और अगर कहीं सजा होनी हो तो मुझे सजा भी दिलवाइये । अध्यक्ष महोदय, केस रजिस्टर्ड हुआ, केस रजिस्टर्ड अगले महीने की 5 तारीख को होना था लेकिन सैशन के दौरान ही केस रजिस्टर्ड करवा दिया गया । इतना बायस हो कर यह काम किया गया और बायस हो कर ही रेड डाली गई । उस समय मेरी बदनामी भी बहुत हुई थी । उस समय मेरे घर से 200-400 रूपये मिले थे और 1 तोला या 2 तोला सोना भी मिला था । मैं उसको अपनी बदनामी मानता हूँ कि लोग पता नहीं क्या समझेंगे कि इसके घर में क्या मिला है? इन्होंने वह काम भी कर दिया, अपने भाई से कह कर करवा दिया । ये खुन्दक तो रखते थे और अब भी रखते हैं लेकिन मैं इन खुन्दकों से नहीं डरा करता । मैंने पब्लिक सेवा का एक लक्ष्य शुरू से ले रखा हुआ है कि ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करनी है हालाँकि इसमें बाधाएं बहुत आती हैं और मेरे सामने भी आई लेकिन मैं इन बाधाओं से निकल गया क्योंकि मैं हमेशा ही एक रिस्पैक्टेबल गैप रखता था । आज तो मेरा हौंसला और भी ज्यादा बढ़ता है क्योंकि हमारा नेतृत्व मुझे ईमानदारी से, सदाचारी से तथा नैतिकता से काम करने का मौका दे रहा है ।

हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में खुद एक आदर्शवादी व्यक्ति बन गए हैं। जिन्होंने ये वैल्यूज स्थापित की हैं। अगर किसी के खिलाफ रूटिन में कोई कार्यवाही होती है, कोई केस दर्ज होता है, तो होता रहे अपनी तरफ से but he will not ask anybody to register case against any political adversary. हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी बढ़िया राजनीति, इतना बढ़िया माहौल दे रखा है कि ताकि हर आदमी अपना आराम से काम करें, ईमानदारी से काम करे, कानून के मुताबिक काम करे क्योंकि ऐसे माहौल में आदमी ज्यादा काम करता है। स्पीकर सर, जो नीति विपक्ष के नेताओं की सन् 2003 में थी, जब इनकी सरकार थी। मुख्यमंत्री जी की तो आज भी ये नीति नहीं है कि किसी विपक्ष के नेता के साथ किसी प्रकार की द्वेष की भावना से व्यवहार किया जाए। इन्होंने राय मांगी तो मुख्यमंत्री जी ने उनको राय दे दी, तो फिर ये मेरे से किस प्रकार का डिस्कशन चाहते हैं। हाई कोर्ट के किसी वकील से राय लें ताकि वह उनके काम आए। ये बाहर तो डिबेट्स के लिए चैलेंज करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि आपका अब कोई प्लेटफार्म नहीं है। अगर आप सदाचार और ईमानदारी पर रिहर्सल कर लें तो अच्छा रहेगा। सर, अब इनको सदाचार और ईमानदारी पर रिहर्सल कर लें तो अच्छा रहेगा। सर, अब इनको सदाचार और ईमानदारी पर रिहर्सल करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जैसे आप फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, आज आप जो भी चैनलों पर देखते हैं तो कोई न कोई प्रोग्राम आते रहते हैं। अखबार आते हैं। रागनियां गाई जाती हैं। चुटकले पढ़े जाते हैं। कविताएं गाई जाती हैं। ये सारी चीजें जो समाज को आदर्श रूपी आईना दिखाने वाली थी लेकिन आज उन आदर्शों पर कालिख पौंछकर यह चीजें दिखाई जा रही है। सर, पहले तो राजनीति के अन्दर पुराने लोग आदर्श हुआ करते थे और अब इन चन्द लोगों ने अपने कारनामों से सारी राजनीतिक जमात को बदनाम कर दिया है। सर, अगर आप भेड़ों का समूह देखें तो उसमें अगर कोई काली भेड़ होती है तो वह अलग से नजर आ जाती है। लेकिन इन लोगों ने अलग से नजर आने का मौका ही नहीं दिया। ये तो लोगों को गुमराह करते रहे हैं। पहली दफा असलियत सामने आई है तो चिन्ता हो ही जाती है। सर, अब राजनीति का जहां भी जिक्र आएगा तो हर जगह राजनीति के नाम पर कालिख पौंछी जाएगी। सर, आज कुर्ता-पजामा पहन कर बाहर जाने में डर लगने लग गया है। लोग कह देंगे कि यह राजनेता जा रहा है।

[प्रो० सम्पत सिंह]
जब ऐसे हालात होंगे तो पीड़ा तो होगी ही। इसलिए तो मैंने यह कहा है कि इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि हमारा राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए। कम से कम अपने जीवन में ईमानदारी से काम करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : क्या आपने इसलिए कुर्ता-पाजामा पहनना छोड़ दिया ?

प्रो. सम्पत सिंह : सर, ज्यादा बड़ा कारण तो यही है, क्योंकि डर लगता है और मेरी बाडी भी ज्यादा नेता वाली नहीं लगती जिससे यह पहचान लें कि नेता है। मैं तो अगर भीड़ में से जा रहा हूं तो पता भी नहीं लगता कि कौन जा रहा है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : सर, हम तो प्रोफैसर कहते हैं लेकिन ये तो आपको प्रोफैसर भी नहीं मानते।

प्रो. सम्पत सिंह : सर, मैं तो इनके लिए कुछ नहीं हूं। आज तो मुझे कोई मास्टर कहता है, तो भी उसको अच्छा मानता हूं। लेकिन कल को वही फिर प्रोफैसर बोलते हैं जो मास्टर भी नहीं मानते। जैसे कल भी इन्होंने प्रोफैसर कहा था जिस पर मुख्यमंत्री जी ने भी, मंत्री जी ने भी और आपने भी प्वाईंट आउट किया था। वह अपने आप बोल रहे थे मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे प्रोफैसर कहो। I was called Professor first time on 23rd May, 1977 in Bhattu Kalan public meeting by Late Chaudhary Devi Lal. उन्होंने कहा क्या काम करते हो? मैंने कहा कालेज में पढ़ाता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रोफैसर तू तो बोलेगा, भाषण देगा। सर, फर्स्ट टाईम जो "प्रोफैसर" का शब्द यूज किया था वह चौधरी देवीलाल जी ने किया था। अब विपक्ष कहता है कि मुझे चौधरी देवी लाल जी राजनीति में लेकर आए थे। मैं कब कहता हूं कि नहीं लेकर आए। मैं तो उनका ऋणी हूं और उम्र भर ऋणी ही रहूंगा। चौधरी देवी लाल जी में सौ बुराईयां हो सकती हैं लेकिन मैं उनमें गुण देखता था और वह गुण मैंने प्राप्त किए हैं लेकिन ये लोग उनके गुणों को तो भूल गए और उनकी राजनीतिक सम्पत्ति को हथिया कर उसको कई गुणा करने में लगे हुए हैं। एक कहावत है जिन्दा हाथी एक लाख का और मरा हुआ हाथी सवा लाख का। यहां तो सवा वाली बात नहीं है एक का सवा लाख गुणा वाली पोजीशन हो रही है। सर, अब ये अपने बुजुर्गों के सिद्धान्तों को, उनकी बातों को छोड़ गए हैं। ये तो मेरी राय लेना भी छोड़ गए। सर, तभी तो ये दुर्गती हुई है। सर, पब्लिक लाईफ में जब हमारे व्यवहार पर, हमारे चरित्र पर, सदाचारी पर, हमारी आदत पर, हमारे एक्शन पर बात उठती है, तो इसका असर सारे समाज पर पड़ता है। पिछले दिनों लोगों ने पार्लियामैंटरी डैमोक्रेटिक सिस्टम पर सवाल उठाया। अब देश में इससे बढ़िया सिस्टम कोई दूसरा नहीं है। संविधान के निर्माताओं ने इस सिस्टम को बड़ा सोच-समझकर ही बनाया था और बाद में कांग्रेस पार्टी ने इस सिस्टम को बिल्डअप करने में, हर चीज को सोशलाईज करने में, कानूनी रूप देने में बहुत लंबा समय लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने इसमें जो अमैंडमैंट्स किये हैं, वह सारे के सारे बिल्कुल बढ़िया अमैंडमैंट्स किये हैं जिसकी वजह से कहीं भी कोई लूपहोल्ज नहीं बच सके हैं। अब यह पार्टी अच्छे-अच्छे बिल्ज लेकर आ रही है परन्तु विपक्ष के हमारे साथी ऐसी कोई चीज करना ही नहीं चाहते हैं। इन लोगों का मकसद तो लोगों को गुमराह करके, शोर मचाकर वोट ले जाना ही है। ये लोग कभी कुछ कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं। कोई जवाबदेही इनके अंदर देखने को नहीं मिलती है जोकि राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत जरूरी होती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि मतदाताओं को भी आज इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर राजनीति के अंदर कत्ल करने वाले अपराधी लोग हैं , लूटने वाले

लोग हैं, डकैती डालने वाले लोग है तो फिर सावर्जनिक जीवन में हम लोगों के लिए क्या आदर्श बनेंगे? हम लोग भी पब्लिक सर्विस में ही आते हैं और पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं अगर हम ही कोई गलत काम करने लग जायेंगे, तो फिर हम क्या खाक आदर्श बनेंगे ? So, we should be ideal for that. इसी तरह से दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अभी हमने देखा कि सिस्टम पर आई बातों पर शोर-शराबा हुआ। हमने देखा कभी यूथ जुलूस निकाल रहे हैं, कभी कोई और जुलूस निकाल रहा है। हालांकि यह कार्य कुछ ऐसे लोगों के टोल ने शुरू किया था जिनका मकसद केवल मात्र पॉलिटिकल था और जो बाद में नजर भी आ गया कि कैसे उन्होंने नॉन-पॉलिटिकल प्लेटफार्म पर पॉलिटिकल मूवमैंट चलाने का प्रयास किया था। स्पीकर सर, जो हर जगह पीट जाते हैं, वह हर जगह नॉन-पॉलिटिकल प्लेटफार्म बनाते हैं, वह भी उन लोगों की एक पॉलिटिक्स होती है। आज देश की जनता यह पूछना चाहती है कि यह लोग जो इतने बेईमान हो गये हैं, इनके खिलाफ केसिज सालों से पैंडिंग पड़े हुए हैं तो फिर भी इन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसे केसिज के अन्दर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जाये ताकि जो पब्लिक सर्वेंट करप्शन में इंवोल्वड हैं उनके जजमैंट का फैसला जल्दी आ जाये वरना किसी आदमी को न्याय मिलने में एक लंबा समय लग जाता है और किसी को सजा मिलनी होती है तो भी उसमें बहुत डिले हो जाती है। इससे दोनों के लिए फायदा होगा । जो व्यक्ति बरी होगा उसके लिए भी फायदा है, जिसको सजा मिलती है तो उससे यह फायदा होगा कि सिस्टम सुधरेगा । फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह का प्रावधान तो हमने अपने प्रदेश में कर दिया है इसके साथ-साथ हम गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भी लिखेंगे कि जितने भी पैंडिंग केसिज पड़े हुए हैं उन केसों का जल्दी से निपटरा करवाया जाये और जब जल्दी निपटारा हो जायेगा तो सर इनका भी लगभग सारा निपटारा हो जायेगा। इन लोगों का आधा निपटारा तो हो ही लिया है और बाकि निपटारा भी जब इन केसिज का निपटारा होगा तो उसके बाद सारे का सारा निपटारा अपने आप ही लोग कर देंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पहले क्राईम अगेंस्ट वूमैन के खिलाफ फॉस्ट ट्रैक कोर्ट्ज की अनाउंसमैंट भी की थी और कल 21 फास्ट ट्रैक कोर्ट्ज का प्रावधान भी उन्होंने बजट में कर दिया है तो उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। यह फॉस्ट ट्रैक कोर्ट्ज हमारे सिस्टम को सुधारने में एक अहम भूमिका निभायेंगे । इसी तरीके से संसद पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठा दिये हैं। उनके लिए अब संसद भी तकलीफ का कारण बन गई है और संसद को खत्म करने की बात कहकर जो लोगों को गुमराह करने की बात किया करते थे वे लोग अब इन फॉस्ट ट्रैक कोर्ट्ज के स्थापित होने से गुमराह नहीं कर पायेंगे। इससे लोगों के अंदर एक मैसेज जायेगा कि देखिये फलां आदमी ने ये गलत काम किया था और जज साहब ने उनको 17 साल की बामुश्कत सजा सुनाई है। हालांकि यह 17 साल की सजा 10 साल में पूरी हो जायेगी लेकिन सजा तो 17 साल की ही है जोकि हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। जेल अथॉरिटी चाहे उनको किसी फैक्ट्री के अंदर काम करने पर लगाये या और कहीं ड्यूटी लगाये आबियियशली उनको मशक्कत तो करनी ही पड़गी और वहां से जो आईटम वह तैयार करेंगे वह मार्का भी बन जायेगा और जेल से जो स्किल्ड वे सीख कर आयेंगे वो स्किल्ड उनके काम ही आयेगी। गर्वनमैंट ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार तो स्किल्ड प्रोग्राम पर पैसा लगा रही हैं और कुछ लोगों को तो यह स्किल्ड डैवलपमैंट वहां पर फ्री भी मिल जायेगी और उसके बदले उनको तनख्वाह भी मिल जायेगी। इस तरह की बातों से लोगों में यह मैसेज जायेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। यह हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में एक एक्जैंपल सैट हो गया है। यह जो लैंड मार्क जजमैंट आया है, इससे इस प्रकार के भ्रष्ट लोग जो किसी न किसी पार्टी में बैठे हुए हैं, उन सबको सर्तक होना पड़ेगा कि यस कानून.वाच्ड डोग है और न्यायालय हमें आगे एक्जीक्यूट करने वाला है इसलिए हमें उससे डरना पड़ेगा। ऐसे फैसले लेने में व्यक्ति को कानून का खोफ रहेगा जिसमें किसी को अनुचित उसका लाभ मिल जाये और उचित को लाभ से वंचित कर दिया जाये। मैं यही

[प्रो० सम्पत सिंह]
कहना चाहता था कि सख्त कानून के साथ-साथ राजनीति में सदाचारी, ईमानदारी और नैतिकता की भी बहुत वैल्यू है आपने मुझे टाईम दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री आनंद सिंह दांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर संपत सिंह जी ने जो लोकहित में प्रस्ताव आज सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और आज समय का तकाजा है कि जिस प्रकार से राजनीति और कुछेक राजनीतिक लोगों ने अपने कार्यकलापों से इस फील्ड को बदनाम करके रख दिया है, उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। प्रजातंत्र में दो स्थान पार्लियामैंट और विधान सभा ऐसे हैं जहां हम जनहित और जनसेवा के लिए खुलकर अपनी बात कह सकते हैं और उनके कार्यान्वियन के लिए अपनी कार्यवाही कर सकते हैं । पार्लियामैंट और विधानसभा में हम जिस तरह से चुनकर के आते हैं, उसमें लोग हमारे लिए हर प्रकार की दिक्कतें उठाते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और कई बार दूसरे हालात भी बन जाते हैं लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम लाखों करोड़ों लोगों की जिन आंकांक्षाओं और भावनाओं के लिए पार्लियामैंट और विधान सभा में आते हैं, उसके बाद हम अपनी जिम्मेदारी से हटकर अपने रास्ते से हटकर अपना दूसरा माध्यम लूटखसोट का और भ्रष्टाचार का बना लेते हैं और अपनी जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात और धोखा करते हैं। (विघ्न)

प्रो० संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में टोक रहा हूं। मैंने एक कंटैस्ट में बात की थी कि जब बीमारी वाली बात आई। अमानवीय वाली बात आई, तब दूसरा पहलू रह गया, दूसरा जो पहलू रह गया था, वह यह था कि जो आज सजायाफ्ता लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने 2003 से सारे चुनाव हार लिए हैं, हमने सत्ता खो दी है। जितने चुनाव आए वह हम हार चुके हैं हमारे लिए यह सजा ही काफी है। दूसरा प्वॉयंट यह बताया कि हमारे लिए एक किस्म की कंविक्शन ही बहुत बड़ी सजा है आगे हम समाज में अपना मुंह कैसे दिखायेंगे ? This is enough for us. हमारे लिए यही बहुत है। हमें माफ करिए। अब वहां तो यह कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं वैसे तो हर आदमी गिड़गिड़ाता है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि वह चीज आपने वहां कह दी और बाहर आकर कुछ और कह रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं कि अगर नौकरियां देना अपराध है तो यह अपराध तो हम सारी उम्र करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां तो यह कहते हैं कि हमारा सब सत्यानाश हो गया, अब हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैं कह रहा था कि हम सब यहां बैठे हैं। विधान सभा और पार्लियामैंट ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम लाखों लोगों की भावनाएं जिस तरह से हम यहां लेकर के आते हैं, हमें उस पर खरा उतरने की आवश्यकता है। ईमानदारी से काम करना, सदाचार और अच्छा व्यवहार करना चाहिए और एक स्वच्छ और सुच्चे हिसाब से जनता की सेवा करनी चाहिए। अपनी भाषा के जरिए से किसी को कटु शब्द बोलकर जनता में नाराजगी नहीं करनी चाहिए। मिलनसार होना बहुत जरूरी है। आदर्श राजनीति प्रस्तुत करने का हमारा फर्ज बनता है। आदर्श राजनीति इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आज राजनीति और राजनीतिक लोगों को जिस तरह से बदनाम कर दिया गया है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सब लोग बदनाम नहीं हैं। कुछेक लोग ही ऐसे हैं जिनके नाम आए हैं इसके अलावा और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से सारी की सारी जमात बदनाम हो जाती है। सबके ऊपर उंगलियां उठनी शुरु हो जाती हैं। आज जिस प्रकार से प्रो. सम्पत सिंह जी ने कहा कि कुर्ता पायजामा पहनना हमारे लिए एक गलत लाईन बन गई है । आज लोग कुर्ता पायजामा पहनने वाले को दूसरी दृष्टि से देखने लगे हैं । सब कुछ इन लोगों का ही किया हुआ है । जब भी राजगद्दी किन्हीं कारणों से इन लोगों के हाथों में आई तो इन्होंने हमेशा ही ऐसे ही काम किए हैं । इन्होंने हमेशा ही झूठ

और लूट की राजनीति की है । लोगो से झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, उनसे वोट ले लेना और सत्ता हासिल करना । फिर चारों हाथों से लूट और खसूट करना उसका माध्यम चाहे कोई भी हो । मैं तो यह कहता हूं कि यह नहीं कि पैसे की हवस है बल्कि ये तो आल राउण्डर भ्रष्टाचारी लोग हैं । इनका इस प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है, किसी के भले से कोई मतलब नहीं है । किसी का अच्छा करने से कोई मतलब नहीं है । ये लोग रोजगार की बात करते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार देने के लिए जुल्म किया तो किया । यह एक बहुत बड़ा जुल्म है जिसमें एक आदमी का हक काटकर उसका हक दूसरे आदमी को दे दिया । इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता । जब भी इन लोगों के हाथ में राज सत्ता आई है उसी वक्त इन लोगों ने यही काम किया है । वर्ष 1990 में भी इन लोगों ने एक इतिहास बनाया था । अब ये लोग कहते हैं कि श्री ओमप्रकाश चौटाला प्रदेश के पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं । पांच बार का इतिहास क्या था कि एक बार तो तीन दिन, एक बार 6 दिन और एक बार 14 दिन का इतिहास रहा है यानी 20 दिन में तीन बार चीफ मिनिस्टर बन गये । कभी किसी को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया और फिर तीसरे दिन उसको कहा कि पीछे हट मैं दोबारा चीफ मिनिस्टर बनूंगा । स्पीकर सर, यह प्रजातंत्र है । न्यायपालिका है, इसमें कोई व्यक्ति इन चीजों से बड़ा नहीं हो सकता । आज न्यायपालिका ने ओमप्रकाश चौटाला के कु-कृत्यों की वजह से ही ओमप्रकाश चौटाला को जेल में भेजा है । उसमें जैसा जो करता है उस व्यक्ति को वैसा भुगतना पड़ता है । उसी का वह कारण है 1990 में जब वे जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय भी इन्होंने टैक्सेशन इन्सपैक्टर्ज की एक लिस्ट आऊट की थी । उससे पहले मैं सर्विस सिलैक्शन बोर्ड का चेयरमैन था । उस समय टैक्सेशन इन्सपैक्टर के पद के लिए रिटन टैस्ट मेरे समय में हुआ था । लेकिन जब मैंने ओमप्रकाश चौटाला के मुकाबले में महम का चुनाव लड़ा था और मेरे चेयरमैन के पद से रिजाईन देने के बाद इन्होंने टैक्सेशन इन्सपैक्टर की लिस्ट को आऊट किया था । स्पीकर सर, उस लिस्ट में 17 ऐसे लड़के थे जिन्होंने टैक्सेशन इन्सपैक्टर के पद के लिए फार्म भी एप्लाई नहीं किये थे लेकिन उन लड़कों के नाम सिलैक्शन लिस्ट में शामिल थे । वह लिस्ट कोर्ट में चेलेंज हुई और चेलैंज होने के बाद सारे के सारे लड़के 120 के करीब थे सभी को घर में बैठना पड़ा ।, वे 17 लड़के कौन थे जिनका बोर्ड के रिकार्ड में कोई नामोनिशान नहीं था वे सारे पैसे के लोग थे । उनसे पैसे लेकर के उनका सिलैक्शन किया गया था। इससे अन्धा सौदा और कोई नहीं हो सकता । उस समय जो बोर्ड के मैम्बर्स थे उनको भी कोर्ट ने सजा सुनाई । यह और कोई नहीं बल्कि पैसे की हवस की बात है । इसके बाद एच.सी.एस. की लिस्ट में ऐसा ही किया गया और वह लिस्ट भी कोर्ट के विचाराधीन है । आज भी वही बात है इस जे.बी.टी. की लिस्ट में भी सारा जोर जबरदस्ती किया गया है । कोर्ट में यह बात कहते हैं कि यह तो कैबिनेट का फैसला था इसलिए सम्पत सिंह का भी नाम लिया गया कि वे भी उस कैबिनेट की मीटिंग में शामिल थे। सम्पत सिंह जी आज सदन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उस समय कैबिनेट की मीटिंग में सम्पत सिंह जी की वहां कोई पूछ नहीं थी । सब कुछ चीफ मिनिस्टर के हिसाब से और सरकार की जिम्मेवारी के हिसाब से बात होती थी । इस बात के लिए आज हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जैसा ईमानदार, सदाचारी सच्चा और सुच्चा इन्सान आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है । जहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आज प्रदेश में चारों तरफ अमन चैन और सुख शान्ति है । हर व्यक्ति पेट भरकर खाता है और आराम की नींद सोता है । लेकिन उस समय चीफ मिनिस्टर होते हुए वह यह कहते थे कि कोई उंगली उठायेगा तो उसका हाथ कटवा दूंगा और कोई आंख उठायेगा तो उसकी आंखें निकलवा दूंगा । वह चीफ मिनिस्टर ही क्या, वह राजा ही क्या जिसके नाम से रात को भरी नींद से उठकर सपने में दिख कर चारपाई से नीचे न गिर जाये । अरे, वह क्या चीफ मिनिस्टर है, वह तो जल्लाद है, वह व्यक्ति तो जल्लाद है ऐसे व्यक्ति को किसी प्रदेश की बागडोर संभालना और चलाना जनता के साथ बहुत

[श्री आनंद सिंह दांगी]
बड़ा धोखा और विश्वासघात है । ऐसे व्यक्ति को तो राजनीति में ही नहीं आना चाहिए । आज जो सम्पत सिंह जी ने बात रखी है वह बिल्कुल सच्ची और सही बात है । अगर कहीं थोड़ी बहुत नैतिकता हो, कहीं थोड़ी बहुत गैरत हो तो अगर किसी पंचायत मैम्बर के खिलाफ कोई केस हो जाता है चलो पंचायत मैम्बर को छोड़ो अगर किसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के खिलाफ 7(51) का केस दर्ज हो जाता है तो उसको सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से सैसपैण्ड कर दिया जाता है । इनके खिलाफ तो 17-17 साल की कैद है और जुर्माना है । भ्रष्टाचार का केस अलग है, फोरजरी का केस अलग है । जिन धाराओं के तहत ज्यादा सजा होती है वे धाराएं लगाकर इनको सजा हुई है । उसके बाद भी ये बड़े दावे के साथ कहते हैं कि यह प्रीज्युडिश केस है । हमारा हाउस का इतना ज्यादा समय इन्होंने बरबाद किया है । यह प्रीज्युडिश कह कर सदन का समय खराब करने जा रहे हैं । क्या है प्रीज्युडिश ? प्रीज्युडिश तो तब होता जब कोर्ट ने सजा दे दी और ये आराम से बैठकर अपने किए हुए कर्मो को भोगते । जनता को बरगलाने के लिए ये जनता में घूम रहे हैं । क्या वहां यह केस प्रीज्युडिश नहीं है ? इनकी दो दो क्या तीन तीन पीढ़ियाँ यानि इनके पोते भी कहते हैं कि मेरा दादा इनोसैंट है, मेरा बाप इनोसैंट है और ये कोर्ट क्या करेगा, ये अदालत क्या करेगी । इसका मतलब तो यह है कि कोई यह कहता है कि मैं बूढ़ा हूं, मैं अपंग हूँ, मुझे टी.बी. है या दमा है इसलिए मुझे माफ कर दिया जाए और मुझे सजा थोड़ी दी जाए । क्या भारत के संविधान, भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली और भारत की न्याय पालिका ने किसी बूढ़े को क्राइम करने की इजाजत दे रखी है या कोई भी जुल्म करने की छूट दे रखी है । जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा, चाहे वह 100 साल का ही क्यों न हो ! यह वास्तव में सच्चाई है कि इन लोगों के साथ जो हुआ है वह इनके किए हुए का फल है इसलिए जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा भरेगा । मेरे साथी वैल में आते हैं तो आमने सामने जो नारेबाजी होती है उसमें हमारे साथी कहते हैं कि चोर मचाए शोर । चोर के शोर मचाने वाली बात है तो इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इनका तो यह विचार है कि हम जितना शोर मचाएंगें उतनी लोगों को यह तसल्ली हो जाएगी कि इन्होंने यह काम नहीं किया । ये लोग कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा यह कर रहा है, वह कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ऐसे इंसानियत से भरपूर व्यक्ति हैं जिसने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया । उस दिन डिबेट के अंदर अभय सिंह चौटाला जी कह रहे थे कि मेरे खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस भलमानसी के कारण ही इनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया क्योंकि लोग यह कहेंगें कि आपस में राजनैतिक द्वेषता के कारण इनके खिलाफ केस किया गया है । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो किसी को नहीं बक्शा । जिसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई उसको इन्होंने नहीं बक्शा । मेरा तो ज्यादा बड़ा कसूर था क्योंकि मैंने तो इनके खिलाफ इलैक्शन लड़ा था । जब देश में इनकी तूती बोलती थी । हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं उस समय चौधरी देवी लाल जी उप प्रधानमंत्री होते हुए एक मायने में प्रधानमंत्री के रूप में उस कुर्सी पर बैठे थे और यहां ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी । इनको यह था कि आनन्द सिंह दांगी ने अपनी आवाज कैसे उठा ली और अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी, प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये किस तरह डटकर खड़ा हो गया । यह एक मसला था कि इनको जेल में जाना पड़ा । बड़े गजब की बात तो यह है कि मेरा बेटा और भतीजा जिन्होंने लॉ इंट्रैंस का यूनीवर्सिटी में पेपर दिया और 5 दिन बाद वाइस चांसलर के दफ्तर में बैठकर इन्होंने उनके खिलाफ एफ.आई.आर. लोज करवाई । एफ.आई.आर. में इन्होंने यह कह दिया कि बी.एड के पेपर में इन दोनों लड़कों ने दूसरे लड़के से पेपर करवाया है उसी आधार पर दोनों लड़कों के खिलाफ एफ.आई.आर. लोज की गई और दोनों को जेल में डाल दिया । अध्यक्ष महोदय, दोनों लड़के लॉ इंट्रैंस का पेपर दे रहे हैं और ये नोटिस

बी.एड. के पेपर का दे रहे हैं । यह रिकार्ड की बात है । अध्यक्ष महोदय, इससे अंधा काम और क्या हो सकता है । इससे बड़ी द्वेषता और इससे बड़ी वैर भावना और क्या हो सकती है कि आनन्द सिंह दांगी अम्बाला जेल में और उनके दोनों बेटे रोहतक जेल में और रातों-रात उनको भिवानी जेल में भेज दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कितने ऐसे कुकृत्य हैं जो इन्होंने किए हैं । एक वक्त आता है जब निश्चित रूप से आदमी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका निश्चित रूप से यह फैसला आगे भी चलाएगी और कोई ताकत इनको नहीं बचा सकती है । अध्यक्ष महोदय, जो बातें रिकार्ड में हैं उनको कोई व्यक्ति झुठला नहीं सकता, उनको कोई बरगला नहीं सकता और उनसे अलग नहीं किया जा सकता । अध्यक्ष महोदय, एक स्वच्छ, पवित्र और भ्रष्टाचार रहित शासन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है । एक ऐसा वक्त भी इस प्रदेश में था जब कभी गली में श्री ओम प्रकाश चौटाला या इनका बेटे जाते थे तो लोग डर जाते थे कि कहीं उनकी नजर तुम्हारे घर पर न पड़ जाए कि कितना अच्छा मकान बना रखा है और कितनी अच्छी कोठी बना रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस हाउस में जरूर बताना चाहूंगा कि अभय सिंह चौटाला के यहां लड़का हुआ था और हमारे सदन के एक माननीय साथी मर्सडीज लेकर सी.एम. रैजीडैंस पर गए । इन्होंने खिड़की में से झांक कर देख लिया । मैं उस सदस्य का नाम नहीं लूंगा । उनके आते ही चौटाला जी ने कहा कि बड़े गजब की गाड़ी लाए हो और बड़े मौके पर लाए हो । आज ही मेरे पोते का जन्मदिन है और उस गाड़ी की चाबी रखवा ली । अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे लोग हैं । आज भ्रष्टाचार को खत्म करके सही रास्ता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने लाइन दी है और सिस्टम को बदला है । आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी एक नया पैसा सार्वजनिक रूप में किसी से नहीं ले सकता । अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जहां कोई प्रोग्राम या जलसे होते थे वहां मालाओं के ढेर लग जाते थे । सबसे पहले यह होता था कि तू कितने देगा, तू कितने देगा । अच्छे अच्छे घर बरबाद करके इन्होंने रख दिए थे । अच्छे अच्छे खानदान के जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे उनसे भी ये पैसे की उगाही करते थे । इनका तो टाईम टेबल बना हुआ था कि गन्ने का सीजन हो तो इस साईड जाना है, जीरी का सीजन हो तो उस साईड जाना है । एक-एक हल्के में 20-20 को थप्पी दे रखी थी कि तेरे को टिकट दी जायेगी । इस लालच में लोग जीरी का ट्रैक्टर मंडी में बेचकर लो चौधरी साहब कहकर पैसे दे जाते थे । इन लोगों ने प्रदेश की जनता को हर तरह से बर्बाद करके रखा । अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ हमने तो अपनी आंखों से देखा है जब हम इनके साथ थे । मैं और भाई रघुबीर सिंह कादियान जी हम भी पापी हैं क्योंकि इन लोगों को वहां तक पहुंचाने में हमारा भी योगदान रहा है अदरवाईज इनके चौटाला गांव में इनकी स्पोर्ट का सरंपच कभी नहीं बना और आज भी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इनकी जो उस समय पोजीशन थी उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब भी कभी ओम प्रकाश चौटाला महम में चौधरी देवी लाल जी की स्पोर्ट में आता था तो बस में आता था और बस अड्डे पर आनंद सिंह दांगी की जीप का इंतजार करता था और आज देखो लूट खसूट करके ये लोग कहां पहुंच गये हैं। इन्होंने प्रदेश की जनता को बहुत ठगा है और आज इनके पोते भी एक-एक करोड़ रूपये की मर्सीडीज गाड़ियों में चलते हैं । आज जहां इनका तेजाखेड़ा फार्म हाउस है वहां पहले चार कच्चे कोटड़े थे और चौधरी देवी लाल के लिए एक कमरे में बालू रेत में 4-4 फिट ऊंचे पाये का पलंग होता था जिसमें वे गर्मी में आराम करते थे जबकि आज 200 ऐयर कंडीशन वहां लगे हुए हैं और बहुत बड़ा महल वहां बना हुआ है । आज के दिन इन लोगों के पास अरबों खरबों की प्रोपर्टी है । देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रोपर्टी बना रखी है । अध्यक्ष महोदय, यह प्रोपर्टी कहां से आई है । हम भी राजनीति कर रहे हैं और 400 बीघे का आनंद सिंह दांगी भी मालिक है लेकिन हम ईमानदारी की रोटी खेतीबाड़ी करके खाते हैं । इनके घर में न कोई खेती करता, न कोई नौकरी करता और न कोई बिजनैस करता फिर इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया । ये लोग केवल लूट खसूट करते हैं । लोग कहते

[श्री आनंद सिंह दांगी]
थे कि एक 'चौटाला दो बेटे इस हरियाणा को लूट बैठे' । इन लोगों ने हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया । अध्यक्ष महोदय, सबके सामने की बात है जो व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोक सभा सीट और 90 विधान सभा सीट्स में से 85 सीट जीत जाये और अढ़ाई साल के बाद न के बराबर सीट आयें इसका क्या कारण था ? इसका कारण यही था कि जिन लोगों ने इनका साथ दिया उनके साथ इन्होंने विश्वासघात किया । इन लोगों ने प्रदेश के लोगों को एस.वाई.एल. के नाम पर आंदोलन में झोंक दिया और लोगों ने इनके पीछे अपने ट्रैक्टर और जानें भी गंवाई । लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चौधरी देवी लाल के मुंह से उस समय निकला हर शब्द कानून बनने वाली बात थी और धर्म के सिक्के चलने वाली जैसी बात थी लेकिन सरकार बनने के बाद और उप-मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एस.वाई.एल. का नाम तक नहीं लिया तथा सारे हरियाणा प्रदेश की जनता को दुःख दिया । स्पीकर सर, ये तो रिकार्ड की बातें हैं । यह किसने और कब करवा दिया? प्रदेश और देश दोनों जगह इनका राज़ था । इनके राज में सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किये । 11 साल तक इस मामले में इंक्वायरी चली है । उससे पहले प्राईमरी रिपोर्ट भी दर्ज़ हुई है । इनके खिलाफ एफ.आई.आर. मुख्यमंत्री होते हुए दर्ज़ हुई है । फिर इस मामले में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी कहां से आ गये, कांग्रेस पार्टी कहां से आ गई, श्रीमती सोनिया गांधी जी कहां से आ गई और डॉ. मनमोहन सिंह जी कहां से आ गये ? देश और प्रदेश की सरकारें इनकी अपनी थी । वे स्वयं मुख्यमंत्री थे फिर भी इनके खिलाफ केस दर्ज़ होने लग रहे थे । जो इन लोगों ने प्रदेश के लोगों के साथ धोखा और विश्वासघात किया है इससे बढ़कर कोई और पाप नहीं हो सकता । ऐसे लोगों को तो इस राजनीति में ही रहने का कोई अधिकार नहीं है । पद पर बने रहना तो बहुत दूर की बात है । इन लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इन लोगों ने राजनीति को बहुत ज्यादा दूषित कर दिया है । इस प्रकार के लोगों की वजह से राजनीति क्षेत्र के सभी लोगों के ऊपर लोगों द्वारा शक की नज़र उठाई जाती है कि इसने भी भ्रष्टाचार किया होगा और इसने भी पैसे लिये होंगे । कुल मिलाकर इन लोगों ने राजनीति के पाक पवित्र सिस्टम को ही खराब कर दिया है । ये लोग अपनी किसी भी प्रकार की बदनामी से भी नहीं डरते । यानि बदनामी होती है तो होती रहेगी । ये लोग इनका राज़ आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं । इनमें से न किसी को बोलने का ढंग है । न ही इनको किसी की इज्जत करने का ढंग है । इन्होंने जिंदगी में प्यार करना तो कभी सीखा ही नहीं। इन्होंने प्रदेश की जनता को आंखों से डराया और लूट-खसोट की । इससे दूसरी उन्होंने कोई बात नहीं की । इनके खिलाफ ऐसे बहुत से केस हैं जिनके बारे में जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है । आज ऐसे लोग जेल में बैठे हैं और यह कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा । हम उनसे यह पूछते हैं कि वे इस्तीफा कब देंगें अगर वे आज इस्तीफा नहीं देते तो और दो महीने के बाद उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा । यह बात हम उनसे कहना चाहते हैं । स्पीकर सर, अगर उन्होंने प्रदेश की जनता पर जुल्म किया है और भ्रष्टाचार किया है तो उसका भुगतान उनका करना ही पड़ेगा । भारत का संविधान है और न्यायपालिका है जो हर व्यक्ति को सुख से जीने का अधिकार देते हैं । ये लोग तो वैसे भी हमेशा अधिकार छीनने की बात करते थे। प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है । वोट से ही सब कुछ बदलता है । यहां पर प्रत्येक व्यक्ति वोट के माध्यम से ही आता है । जब वह व्यक्ति सत्ता में था तो उस समय यह कहता था कि अगर मेरा वश चले तो मैं हरियाणा प्रदेश के बनियों और पंजाबियों को वोट ही न डालने दूं अर्थात वह उनके वोट के अधिकार को ही समाप्त करने की मंशा रखता था । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनको ऐसा करने का क्या अधिकार है क्योंकि यह भारत के संविधान द्वारा लोगों को दिया गया अधिकार है जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है और जो चौधरी रणबीर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी संविधान समिति के

सदस्य थे उन लोगों ने भारत के संविधान को बनाया है । प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया है । इसके साथ-साथ संविधान ने अपने हक को लेने का अधिकार भी दिया है । इस प्रकार से संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनने की किसी के वश की बात नहीं होती ! स्पीकर सर, इस बारे में और ज्यादा लम्बी बात न करते हुए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस राजनीति में हमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है । हम सबको अपने आप में भी सुधार करने की जरूरत है । चाहे हम कहीं भी हैं । हम से भी कोई गलती रह सकती है। हमारा भी यह फर्ज़ बनता है कि अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई गलती है तो उसे दूर किया जाये । अगर हमारे व्यवहार में जनता के प्रति कोई कमी है तो हमें उसको भी दूर करना चाहिए । आपस में मेल जोल की बात हो, भाईचारे की बात हो और चाहे जिम्मेदारी निभाने की बात हो हमें अपने आपको उस पर खरा उतारने की कोशिश दिल से करनी चाहिए । सर, जिन लोगों की वजह से हम यहां पर बैठे हैं अगर हम उनको ही दुत्कारने लग जायेंगे तो यह बहुत गलत बात है । अगर हम उनको ही धक्के देकर बाहर निकालने लग जायें तो यह भी ठीक नहीं है । अगर हम इस बारे में अपने व्यवहार को सही नहीं रखते तो फिर पांच साल के बाद सारी की सारी बातें सामने आ जाती हैं । जो ये लोग विधानसभा चुनावों में बहुमत की आशा लगाये बैठे हैं मैं यह कहता हूं कि इनको प्रदेश की जनता के ऐसे जूते पड़ेंगे कि उसे ये उम्र भर याद रखेंगे । मुझे यह आश्चर्य है कि पता नहीं ये इतनी संख्या में जीतकर विधानसभा में कैसे आ गये । हो सकता है कि इसमें कहीं न कहीं हमारी गलती रही होगी, कही पार्टी की गलती रही होगी और कहीं टिकटों के वितरण में हमारी गलती रही होगी । इनमें से कोई भी हमारी गलती हो सकती है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले विधान सभा चुनावों में इनकी गिनती 10 भी नहीं हो सकेगी । ये लोग भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के बारे में बात करते हैं । ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति के सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है । इन्होंने राजनीति में एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो पूरे देश में हर किसी के लिए अनुकरणीय है । आज चर्चा चलती है कि अगर किसी प्रदेश को तरक्की और प्रगति करनी हो तो श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के हरियाणा प्रदेश को देखे । हर वर्ग के लिए, हर गरीब के लिए, किसान के लिए तथा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कुछ न किया हो । हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उनके हितों के लिए उनकी भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। यह राजनीति गंदी चीज है । ये जो इस तरह के गन्दे लोग हैं, इन्होंने हर तरह से सिस्टम को खराब कर दिया है । राजनीति तो ये चलाते हैं ये अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं । इनमें जितनी बुराईयाँ हैं ये ऊंचा बोल कर उन बुराईयों को दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसे कोई बात कभी नहीं दब सकती, वह निश्चित रूप से ऊपर आयेगी । पानी का बुलबुला हर हालत में पानी से ऊपर आयेगा । वे विधान सभा में बहस से क्यों भागते हैं, इससे अच्छा सिस्टम और कहाँ पर हो सकता है । यहाँ पर जनता द्वारा चुने हुये 90 प्रतिनिधि बैठे हुये हैं, प्रैस वाले भी बैठे हुये है तथा अधिकारीगण बैठे हुये हैं । सारा सिस्टम यहाँ पर है । आज संवैधानिक सिस्टम, प्रजातंत्र को चलाने का सिस्टम व सारे का सारा सिस्टम यहाँ पर मौजूद है । वे अगर साफ हैं तो इस बात से क्यों डरते हैं ? ऐसा कौन-सा मैटर है जिसका आज उनकी चार पीढ़ियाँ गांवों में प्रचार कर रही हैं कि मेरे दादा जी बेकसूर हैं । गांवों में इस बात को फैला रहे हैं कि श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सी.बी.आई. के साथ मिलकर, उसका दुरूपयोग करके हमारे साथ यह कार्यवाई करवाई है । अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. एक संवैधानिक संस्था है वह एक मुख्यमंत्री के घर की नहीं है । यह सब सी.बी.आई. का ही किया हुआ है, उस समय मुख्य मंत्री कौन था, जिस वक्त उनके खिलाफ शिकायत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. से जांच करवाने के आदेश दिये ? क्या सी.बी.आई. का डायरेक्टर श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कहने से लगाया गया था, क्या श्री मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गाँधी जी के कहने से सी.बी.आई. का डायरेक्टर लगाया गया ?

[श्री आनंद सिंह दांगी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सी.बी.आई. का डायरेक्टर लगाया गया , ओमप्रकाश चौटाला द्वारा सी.बी.आई. का डायरेक्टर लगाया गया था और उसने जो किया वह दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया । उन लोगों को जहाँ होना चाहिए था आज वे वहीं पर हैं । यह व्यक्ति वहाँ पर आज नहीं बल्कि आज से 20 साल पहले होना चाहिए था और अगर ऐसा होता तो यह प्रदेश बच जाता । इस प्रदेश में सुख शान्ति तथा अमन-चैन रहता और प्रदेश चहुंमुखी विकास करता जैसा कि आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कर रहा है । इन लोगों ने सिस्टम को खराब करके रख दिया । अध्यक्ष महोदय, आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है । आज ये लोग ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं, उनको यहाँ आ कर अपनी बात भी कहनी चाहिए और हमारी बात भी सुननी चाहिए । यह सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़ा दरबार है, और वे इससे भाग रहे हैं । मैं तो यही कह रहा था कि प्रो० सम्पत सिंह जी ने जो प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में हमें भी तो पता लगना चाहिए कि वह प्रस्ताव क्या है? कम से कम उनको सुनना तो चाहिए कि सच्चाई क्या है, लेकिन वे सुनेंगे तो सच्चाई सामने आयेगी और जो बकवास वे जनता के बीच में कर रहे हैं, उसकी पोल खुलेगी । यही एक कारण था कि ये यहाँ से चले गये । वहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं होता, वहाँ चाहे कोई कुछ भी कहता रहे और ऐसे लोगों को सुनने वाले भी खास किस्म के लोग होते हैं । ये इस बात को चाहे जनता के सामने जैसे मर्जी रख लें लेकिन जनता पर इन बातों का असर होने वाला नहीं है । आज सारी जनता को पता है कि ये किस प्रकार के जुल्मी, भ्रष्टाचारी लोग हैं । ये किस तरह के कातिल लोग हैं, किस तरह के जुल्म और अत्याचार करने वाले लोग हैं । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि अगर इनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो, असल में तो इनमें नैतिकता बची हुई ही नहीं है क्योंकि जो मुख्य मंत्री यह कह दे कि अगर कोई अंगुली उठा देगा तो मैं हाथ कटवा दूंगा, कोई उसकी तरफ देखेगा तो आंख निकलवा दूंगा, वह मुख्य मंत्री ही क्या जिसको याद करके लोग रात को चारपाई से न गिर जायें । ऐसे आदमी में गरिमा और नैतिकता कहाँ रहेगी ? इस तरह के इनके सिस्टम को हम देखते आ रहे हैं । पिछले 8 साल से तो हम यहाँ हाउस में लगातार देखते आ रहे हैं । इन लोगों को बोलना ही नहीं आया । इनमें सभ्यता और संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है जो किसी के साथ इज्जत से बात कर सकें, सम्मान के साथ बात कर सकें और किसी भाई को इज्जत और सम्मान के साथ सम्बोधित कर सकें । हमेशा जो एक अनपढ़ आदमी या हाली और पाली भी नहीं बोल सकते, उस तरह की भाषा का यहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को थोड़ा सा सख्ती से लिया जाये । जो लोग जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, धोखा करते हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, ऐसे लोगों को किसी तरह से बख्शने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। सर, बाकि सारी डिटेल तो प्रोफेसर सम्पत सिंह ने दे दी है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि विपक्षी नेताओं में अगर कहीं थोड़ी बहुत भी गरिमा व नैतिकता बची है, तो उनको वहां जेल में बैठे-बैठे कल ही इस्तीफा भेज देना चाहिए कि हम राजनीति के काबिल नहीं हैं। सर, यह सच है कि अगर एक फोर्थ क्लास कर्मचारी या एक पंचायत के मैम्बर के खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाता है तो within 24 hour उसके अधिकारी या बी.डी.ओ. जहां भी हैं उनको सस्पैंशन के आर्डर पकड़ा दिए जाते हैं और यह तो एक बहुत बड़ा मंच है और इस मंच के लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार में, फौरजरी में, पैसे के लेन देन में जुर्माने हुए हों, 17-17 साल की सजा हुई हो तो ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। स्पीकर सर, बस मैं यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

प्रो. सम्पत सिंह : सर, पिछला सारा हफ्ता चला गया लेकिन विपक्ष ने मेरा एडजर्नमैंट मोशन नहीं लगने दिया और जब पूरा हफ्ता कोई चीज टलती जाएगी तो ओब्विशयली उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वह चीज खत्म नहीं होती। सर, आज भी आपने मेरा एडजर्नमैंट मोशन लगा ही दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे तो आज भी नहीं लगता था कि ये आज भी मेरा एडजर्नमैंट मोशन लगने देंगे। सर, मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। एक तो विपक्ष बार-बार कहता है कि हमें सजा सी.बी.आई. ने और कांग्रेस ने दी है। सर, सजा ना तो सी.बी.आई. ने दी और न ही कांग्रेस ने दी, सजा न्यायालय ने दी है। दूसरी बात, विपक्ष ये कहता है कि हमारे ऊपर पैसे का कोई चार्ज नहीं लगा। सर, पैसे का चार्ज तो लगा है लेकिन पैसे के चार्ज प्रूव नहीं होना वह एक अलग बात है, लेकिन पैसे का एलिगेशन लगा था। सर, 9-7-2003 में जब श्री ओमप्रकाश चौटाला खुद मुख्यमंत्री थे। खुद मुख्यमंत्री होते हुए और केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार होते हुए उसमें Clause on the heals of the suspended Haryana IAS officer petition in Supreme Court accusing the Haryana Chief Minister, Om Prakash Chautala making an attempt to a temper with the JBT records selection of 2000. Several candidates today moved the Apex Court alleging that nearly Rs. 1.00 lac each had been demanded from them on behalf of the Chief Minister to include their names in the selection list. आगे सर, और भी है six candidates in their petition alleged that 5 out of them had made the initial payment of Rs. 5000 each of two person's Mahender Khanna of Gurgaon and Ajay Pal or Faridabad, who had introduced them to Chief Minister's OSD Mr. Vidhayadhar at Haryana Bhawan on 10th September, 2000. सर, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। सर, यह जजमैंट 308 पेज की है। जिन लोगों का जे.बी.टी. अध्यापक की भर्ती लिस्ट में नाम नहीं मिला जोकि असल में उस भर्ती के हकदार थे तो उन्होंने एक जे.बी.टी. यूथ फैडेरेशन बना ली। Six petitioner's S/Shri Vijender Dutt, Narangi, Balkishan, Joginder, Surender & Sahum of Gurgaon and Faridabad districts alleged that since they had not been able to make full payment due to financial constraints their names had been excluded from the selection list which was released on October, 2000. सर, जे.बी.टी. यूथ फैडरेशन ये कहती है कि हमारा नाम लिस्ट में इसलिए नहीं आया कि हम फुल पे-मैंट नहीं कर सके।

श्रीमती किरण चौधरी : सर, प्रोफेसर सम्पत सिंह कितनी गलत बात कह रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : सर, अब बहन जी, कह रही है कि इतनी गलत बात कह रहे हैं। इसमें गलत बात नहीं है आदमी जब गिरेगा तो पता नहीं कितनी नीचे तक गिर सकता है। There is no limit गिरने की कोई लिमिट नहीं है और ऊपर चढ़ने की हाईट भी कोई नहीं है। आजकल तो स्काई हाईट वही लोग पार करते हैं जिनकी नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं है। स्पीकर सर, जब विपक्ष के ये कारनामें थे तो मैंने उनके बारे में कह दिया तो क्या जुल्म कर दिया। मैंने तो एक ही बात कही है कि हरियाणा की बदनामी हो रही है थोड़ा उसको धोने के लिए पछतावा तो करना ही चाहिए। स्पीकर सर, जीवन में हर कोई पछतावा करता है। कई बार हम किसी को डांट देते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि अगर इसको न डांटते तो ठीक रहता क्योंकि गलती तो हर आदमी से हो ही जाती है। अगर किसी से कोई गलत काम हो जाता है और यदि उसके लिए जज की जजमैंट है, तो उसके अनुसार जो सजा मिली है वह तो काटनी ही पड़ेगी और सारा काम करना ही पड़ेगा। स्पीकर सर, इन्हें पब्लिक को पत्र जारी करने की आदत भी है। यह लोग कल को सार्वजनिक जीवन में रहने लायक न रहें उससे तो अच्छा यही है कि यह लोग प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र जारी कर दें कि आपने हमें यहां तक पहुंचा दिया है अब हम सभी

[प्रो० सम्पत सिंह]
हरियाणा की आम जनता से माफी चाहते हैं, आपने हमें जिस पद की जिम्मेवारी सौंपी थी उसके हम अब लायक ही नहीं रहे हैं इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन के पद से भी और एम.एल.ए. की सदस्यता से भी अपना इस्तीफा देते हैं। स्पीकर सर, अगर इस तरह का पत्र लिखकर आ जाता है तो लोगों को थोड़ी बहुत ठंडक पड़ जायेगी। यह लोग कभी तो कहते हैं कि हमने तो जेल में रहना अपने बाप दादों से सीखा है। सर, इस तरह के इन लोगों के ब्यान से तो आज की नई पीढ़ी यह सोचेगी कि चौधरी देवी लाल जी भी कंविक्शन के चलते जेल गये थे। मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये लोग अपना डिफैंड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये लोग अपने बड़ों का तो डिफैंड कर ही सकते हैं। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : संपत जी, अब आपकी बात वहां पर कोई नहीं मानेगा? (विघ्न) उनमें कोई क-ख तो लिखना जानता नहीं है, उन पर किसी का प्रैशर नहीं है वह ऐसे ही थोड़ें किसी की मानते हैं?

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाईफ का सवाल है, it is a good debate. क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं?

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि आप भी इस विषय पर कुछ विचार रखें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप भी प्लीज प्रोबिटी इन पब्लिक लाईफ पर अपने विचार रखें?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मैं आलरेडी इस विषय पर अपने विचार रख चुका हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): गुर्जर जी, सारा सदन प्रोबिटी इन पब्लिक लाईफ पर आपकी राय जानना चाहता है?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मैं पहले ही इस विषय पर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लीयर कर चुका हूं इसलिए अब इस विषय पर और क्या कहूं? जो कहना था वह तो कोर्ट ने कह ही दिया है इसलिए अब तो हमारे कहने की जरूरत ही नहीं है।

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : स्पीकर सर, इन लोगों को तो यह इंस्ट्रक्शंज मिली हुई हैं कि इनके खिलाफ बोलना ही नहीं है?

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अब आप एडजर्नमैंट मोशन पर अपने विचार रखें। चूंकि आप इस सदन के एक सीनियर मैंबर हैं इसलिए मैं आपको 10 से 15 मिनट बोलने का समय देता हूं।

डा. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : स्पीकर सर, प्रो. संपत सिंह जी ने जो अंडर रूल 66 एडजर्नमैंट मोशन दिया है उसके ऊपर जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आजादी के बाद यह पूरे देश में पोलिटिकल लोगों का और ब्यूरोक्रेसी के नैक्सैस का एक बहुत बड़ा आउटकम हुआ है और यह धुंआ उस धरती से उठा है जिस धरती पर कर्म में विश्वास रखने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। इस आउटकम ने पूरे देश में हरियाणा का मान-सम्मान, उसकी पगड़ी, उसकी लाज को छोटा करने का काम किया है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे पर दो-तीन प्रोपर सीटिंग्ज हों..(विघ्न)

Mr. Speaker : The rule is that we can't go beyond two hours.

श्री रघुवीर सिंह कादियान : ठीक है सर, मै तो केवल यही कहना चाहता था कि जो सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं उनको इस विषय पर बोलने के लिए पूरा समय मिल जाये। वैसे तो प्रो. संपत सिंह जी और दांगी जी इस विषय पर बहुत ज्यादा मैटीरियल लेकर आये हैं और सदन को पूरी तफसील से इसके बारे में बताया है लेकिन आनरेबल स्पीकर सर, इतना ज्यादा मैटीरियल इन लोगों के खिलाफ है कि यदि यह पूरा हाउस इस पर डिस्कशन करें या अपने अपने विचार दें तथा अपने-अपने एक्सपीरियंसिज दें तो इस डिस्कशन से राजनीति में कुछ पैरामीटर्ज बन सकेंगे। इन लोगों के इस तरह के कार्यो से आज राजनीतिक लोगों का एक एक्सपोजर हुआ है, एक सिस्टम का एक्सपोजर हुआ है तथा हमारे संवैधानिक ढांचों को ठेस पहुंचाने का भी काम हुआ है। इन पैरामीटर्ज पर पूरे सदन में एक मुश्त प्रस्ताव पास हो और वह प्रस्ताव पंचायतों, नंबरदारों के पास, कालेजिज में, स्कूल्ज में तथा पढ़े-लिखे लोगों में ले जाया जाये ताकि समाज में पॉलिटिकल लोगों का एक स्टैंडर्ड मैंटेन हो सके कि आज भी राजनीतिक लोग ईमानदार हैं। जैसाकि संपत सिंह जी ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और सादगी की बात कही, यह कोई बुस्टिंग की बात नहीं है। एक आम आदमी में, पॉलिटिकल आदमी में और एक सामाजिक आदमी में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए यह वे मिनिमम बातें हैं तो इसमें मेरा यह सुझाव है कि टाइम की जहां तक बात है आप जितना कहेंगे उतना ही बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम लोग उन संस्कारों के लोग हैं जो किसी के बुरे वक्त में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते। दुख चाहे दुश्मन का हो हम उसमें हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। मैं कोई उस लाइन पर नहीं जाना चाहता लेकिन आज सामाजिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्र में एक ऐसा काम हुआ है, जिसकी मैं यहां पर चर्चा करूंगा। अध्यक्ष महोदय जो फैसला माननीय न्यायाधीश ने सुनाया उससे इतना तो जरूर हुआ है कि दोषी कितना ही बड़ा हो, कानून को तोड़ने वाला कितना ही बड़ा हो, उसको सजा के दायरे में लाया गया है। संविधान के दायरे में उसको सजा हुई है, इससे न्यायपालिका में पूरे देश का विश्वास बढ़ा है। इससे यह हुआ है कि कितना ही बड़ा दोषी होगा वह अंदर जायेगा। इससे न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास, भरोसा और यकीन बढ़ा है, यह बहुत बड़ी बात है। कोर्ट का जो फैसला आया है वह पूरा फैसला 308 पेज का है, इसके बारे में कितनी ही चर्चा की जाए, वह कम है। अध्यक्ष महोदय मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रो.संपत सिंह व दांगी साहब ने जो बातें कहीं हैं वह रिपीट न हो। इस फैसले को एक नजर में देखते हैं तो पाते हैं कि 24 जुलाई,1999 को ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, 8 सितंबर,1999 को चौटाला मंत्री मंडल ने अपनी बैठक में आयोग से भर्ती वापस लेने का फैसला लिया। पहले जे.बी.टी. की भर्ती कमीशन के पास थी वह कमीशन से वापस लेने का फैसला 8 सितंबर,1999 को किया। 15 सितंबर,1999 को आयोग से भर्ती वापस ली तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा को शिक्षकों की भर्ती के लिए जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से करने के लिए अधिकृत किया गया। 14 नवंबर, 1999 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अध्यक्षता में बैठक में साक्षात्कार के बाद जो इंटरव्यू के नंबर थे उनको 12.5 परसैंट से 20 परसैंट करने का फैसला लिया गया, इसमें अध्यक्ष महोदय, इंटैंशन क्या रही है ? 15 नवंबर,1999 को 3206 जे.बी.टी. अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन दिये। 1 दिसंबर, 1999 को इंटरव्यू शुरु हुए। जनवरी, 2000 में साक्षात्कार हुए और मैरिट सूची तैयार की गई, फरवरी, 2000 में आम चुनाव के बाद ओम प्रकाश चौटाला की सरकार फिर बनी, 27 अप्रैल, 2000 को श्री आर.पी.चन्द्रा का निदेशक प्राथमिक शिक्षा पद से तबादला किया और श्रीमती रजनी शेखरी सिब्बल को निदेशक लगाया गया। जैसाकि प्रो.संपत सिंह बता रहे थे कि उन मैडम ने बहुत बड़े ऐलीगेशन भी लगाए। Sir, as per prosecution - Smt. Rajni Shekhri Sibbal received a unanimous phone call at her residence and she was offered 5% share of the collected money to agree to the aforesaid proposal. इसका आगे फैसला बहुत लंबा है उन्होंने मेरिट सूची समेत अल्मारी सील की।

[श्री रघुवीर सिंह कादियान]
11 जुलाई, 2000 को सिब्बल का तबादला हुआ और उनके स्थान पर संजीव कुमार को निदेशक लगाया गया और 16 सितंबर, 2000 को मेरिट सूची निकाली गई और नियुक्तियों की दूसरी लिस्ट 18 जिलों की जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को हरियाणा भवन और चंडीगढ़ के गैस्ट हाउसिज में बुलवाकर तैयार करवाई गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस फैसले के बारे में कह रहा हूं। (विघ्न) 3 अक्टूबर, 2000 को जे.बी.टी. टीचर्ज की चयन सूची सार्वजनिक हुई। और दिनांक 12.10.2000 को 3032 टीचर्ज को पोस्टिंग दे दी गई । 25.11.2003 को श्री संजीव कुमार, आई.ए.एस. की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जे.बी.टी. भर्ती मामले की जाँच सी.बी.आई. को अपने हाथ में लेने के निर्देश जारी किए । आई.ए.एस. अधिकारी ने श्री चौटाला पर चयन सूची में बदलाव करने के लिए दबाव के आरोप लगाये थे । प्रभावी अभ्यर्थी भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे । आई.ए.एस. अधिकारी संजीव कुमार पर भी मिलीभगत के आरोप जड़े गये थे । इस मामले की जांच एन.डी.ए. की वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान जब श्री ओमप्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 25.11.2003 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सी.बी.आई. को सौंपी गई थी और दिसम्बर, 2003 में सी.बी.आई. ने इस मामले की जांच शुरू की । 6 महीने की इन्कवारी के बाद और सारे ऐवीडैंस के ऊपर सी.बी.आई. ने श्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे श्री अजय सिंह चौटाला सहित कुल 62 लोगों के खिलाफ 24.5.2004 को केस दर्ज किया । इस केस का सारा ब्यौरा मैंने स्पीकर सर आपकी नजर में प्रस्तुत किया है । जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया कि हमें विरासत में क्या मिला था? कैसे इनके संस्कार थे, कैसे इनकी कार्यशैली थी, किस तरह से इन्होंने पीछे राज किया इसके बारे में दांगी साहब ने पूरा जिक्र किया है । लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बैंसी गांव के अन्दर निर्दोष लोगों को लोकतंत्र में अपनी वोट का इस्तेमाल करते हुए उनकी छातियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। बैन्सी गाँव में 6 लोग मारे गये थे । एक आदमी का मैं नाम नहीं लेना चाहता वह बहुत बड़े परिवार से था और बहुत बड़े नेता का नाम उसमें आता है । उस आदमी ने वहां गोलिया चलवाई और खुद भी चलाई । उस आदमी ने पुलिस की ड्रैस पहनकर अपनी ड्रैस पुलिस वाले को दे दी । वह आदमी तो पुलिस की ड्रैस पहनकर बच गया । लेकिन जिस पुलिस वाले ने उस आदमी का कुर्ता पजामा पहना था लोगों ने वह देखा कि कुर्ता पायजामा पहनने वाले व्यक्ति ने ये गोलियां चलाई हैं वह पुलिस वाला बेचारा वहां मारा गया यह रिकार्ड की बात मैं सदन में कर रहा हूं । यह इतना बड़ा काण्ड 28.2.1990 को हुआ और 1 मार्च 1990 को हमने मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया । आनरेबल स्पीकर सर, हमारे से एक गलती हुई है । जैसा कि प्रोफैसर साहब चौधरी देवीलाल जी के गुण बता रहे थे क्योंकि चौधरी देवीलाल जी को मैं अपना राजनीतिक गुरू मानता हूं । हमने उनमें गुणों को देखा है । चौधरी देवीलाल जी के कहने पर हमने चौटाला के मंत्रिमण्डल को ज्वॉयन किया। यह गलती तो हमसे हुई थी । जब थोड़े दिन के बाद यह काण्ड हुआ तो हम लोगों ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दिया उनमें चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी थे, खुद चौटाला के भाई चौधरी रणजीत सिंह थे, प्रो. बीरेन्द्र सिंह जो उस समय शुगर मिल के अध्यक्ष थे, श्री रावत और श्री रणसिंह मान ने भी इस्तीफा दिया । डा. महासिंह ने इस्तीफा दिया । ऐसे कुल 8 - 10 आदमी थे जिन्होंने बैंसी काण्ड पर इस्तीफा दिया था। यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उन लोगों के खिलाफ हुआ जो लोकतंत्र में अपना वोट इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा काण्ड अमीर सिंह की हत्या हुई । अमीर सिंह की हत्या के बारे में सेकिया कमिशन की रिपोर्ट है। उसमें कई आब्जर्वेशन पहले भी आई हैं । अगर ये सारी बातें यहां रखी जायें तो उनकी कार्यशैली और उनकी करतूतें जो उसमें शामिल हैं । अमीर सिंह की हत्या के फौरन बाद हमारे माननीय साथी जो एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर कर आये हैं । स्पीकर साहब, अन्दाजा लगाओ जिस आदमी को यह नहीं पता

था कि आगे मौत है या जिन्दगी है । जीवैगा या मरैगा, और ये आज फोरच्यूनैटली यहां बैठे हैं इस माननीय साथी के घर पर भी गोलिया चलाई गई थे किसी तरह से बचकर वहां से निकले यह अपने आप में इनकी कार्यशैली को दर्शाता है। निर्दोष लोगों की वहां पर भी हत्या हुई थी। एक लड़की जो बेचारी अपने घर की खिड़की से यह सारी घटना देख रही थी उसको भी गोलियों से भून दिया गया और एक बुढ़िया को भी गोलियों से भून दिया गया । कितने बड़े बड़े गुनाह इन्होंने किए हैं । जो सत्ता इनके दिमाग में चली गई वह सामंतवादी का रूख है । फयूडेलिज्म इनकी टैंडैंसी थी और उसी टैंडैंसी के कारण ही इनको यह था कि किसकी हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत हो गई और किसकी इतनी ताकत कि हमारी बात का जवाब दे । इन्होंने बहुत बड़े बड़े कुकृत्य किए परंतु परमात्मा के यहां देर है अंधेर नहीं । पता नहीं इन्होंने कितने कुकर्म किए, अमानवीय कार्य इन लोगों ने किए, कितने लोगों की आत्माओं को इन्होंने दुखाया । ये सारे कर्मों का नतीजा इस फैसले में है, यह केवल जे.बी.टी. घोटाले का मामला नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी कार्य शैली के बारे में जरूर बताना चाहूंगा । हमारे यहां से एक लड़का फीजी में जाकर अपनी मेहनत से, अपने गुणों से और अपने संस्कारों से और वहां के लोगों की आवाज को उठाकर प्रधानमंत्री बना । वह जब अपदस्थ किया गया तब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक मुहिम चलाई कि महेन्द्र चौधरी को कुछ चंदा दिया जाए ताकि वह अपनी पोलीटिकल लड़ाई लड़ सके । अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि उस समय दो करोड़ रूपये इकट्ठा हुआ था। यह पैसा पैंशनधारक जो 100-100 रूपये पैंशन लेते थे, नम्बरदार, पंचायतों के और बी.डी.ओज. के माध्यम से इकट्ठा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, हाउस की जानकारी के लिए यह पता लगाया जाए कि यह पैसा किसके खाते में है और इस पैसे को कौन खा गया । विदेश से आज उस आदमी के बच्चों की चिट्ठी आती है कि हमें हमारा पैसा लौटाया जाए । उनके द्वारा विदेशों में भी हरियाणा को बदनाम करने का काम किया गया है । कितने बड़े गुनाहगार ये लोग हैं । ये इनकी कार्यशैली थी । आज चौधरी देवी लाल यूनीवर्सिटी जो इनकी अपनी यूनीवर्सिटी है उसमें जितनी जमीन है वह कैसे दी गई यह मैं बताना चाहता हूं । वैसे तो ये थोड़े थोड़े न्यायवादी भी है कि इन्होंने इस यूनीवर्सिटी के लिए जिनकी जमीन ली थी उनको पैसे भी दिए । इन्होंने उनको बुलाकर कहा कि तेरी कितनी जमीन है तो वह व्यक्ति बोला मेरी 3 किले जमीन है और उसकी कीमत 20 लाख है तो इन्होंने कहा कि उठा ले 20 लाख और लिखकर दे कि मैं देवीलाल यूनीवर्सिटी को यह जमीन गिफ्ट में देता हूं, दान करता हूं । इन्होंने 300-350 एकड़ जमीन दान करवा ली और पैसा ब्लैक मनी का खर्च किया । यह रिकार्ड की बात है इसलिए इसकी इन्कवायरी भी होनी चाहिए ।(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चारों तरफ लूट खसोट करने का काम किया और इनके पास पैसा रखने की जगह नहीं थी । बहादुरगढ़ में एक पब्लिक मीटिंग में 90-90 लाख की माला देवीलाल ट्रस्ट के नाम पर डलती थी । अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा में रिकार्ड की एक बात अपने हल्के की बताना चाहता हूं । रोहतक लोकसभा से ये एम.पी. थे और वहां मदाना और मदाना कलां गांव दो छोटे छोटे गांव हैं । दोनों गांवों के गरीब, हरिजन लोगों ने 10-10, 20-20 या 30-30 रूपये इकट्ठे करके 4 लाख रूपये इकट्ठा किये और इनके द्वारा यह तय हुआ कि मैं मैंचिंग ग्रांट से ये पैसा डबल करवा दूंगा और स्कूल में ये पैसा लग जाएगा । अध्यक्ष महोदय, 4 लाख की माला डली और इन्होंने माला उतारकर बोला कि मैं यह माला देवीलाल ट्रस्ट को दूंगा और यह पैसा हरियाणा के किसान के और गरीब आदमी के काम आएगा । ऐसा ये बोलते थे । गांव वाले उस माला को अपनी तरफ खींच रहे थे और ये अपनी तरफ खींच रहे थे । ये उस समय के मुख्यमंत्री के साथ हुआ । अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड की बात कर रहा हूं । यह मेरे हल्के मदाना कलां में हुआ । इन्होंने पैसा तो बहुत लम्बा चौड़ा इकट्ठा किया था । अध्यक्ष महोदय, जब 1999 में ये सत्ता में आये उस दौरान कितना पैसा ट्रस्ट में आया और जब 2005 में इनकी सरकार चली गई उसके बाद कितना पैसा ट्रस्ट में आया ? एक कोड़ी भी 1999 से पहले और 2005 के बाद ट्रस्ट में नहीं आयी थी यह

[श्री रघुवीर सिहं कादियान]

रिकार्ड की बात है । अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या बात थी कि जब इनकी सरकार थी उस दौरान अरबों खरबों रुपया ट्रस्ट में नहीं आ गया और जाने के बाद या उससे पहले एक पैसा भी नहीं आया इसकी भी इन्क्वायरी करने की बात है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गरीबों की, किसानों की आवाज उठाने के लिए कहते थे कि जन संदेश नाम का अखबार निकालेंगे । इसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अध्यक्ष जी आपके दरवाजे भी आये, हमारे दरवाजे भी आये और सैंटर से वाजपेयी सरकार से दिल्ली में प्लाट लिया तथा हरियाणा में भी गुड़गांव में प्लाट इस अखबार के लिए ले लिया । लेकिन आज जन संदेश का पता नहीं कहां चला गया । हो सकता है यह अखबार कहीं छपता हो और जेल में जाता हो । (हंसी) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी कार्यशैली और नीयत की बात करना चाहूंगा शराब के ठेकों की निलामी से जो पैसा राज्य के खाते में आना चाहिए था और प्रदेश के हित में खर्च होना चाहिए था उसमें भी इन लोगों ने बहुत हेरा-फेरी की थी । किस तरह से वह पैसा इनकी जेबों में गया इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उस समय इन्होंने पूरे प्रदेश में चार जोन बना रखे थे लेकिन अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक्साईज पॉलिसी बनाई है और हमारी बहन किरण चौधरी जी एक्साईज मिनिस्टर हैं । उस समय किस तरह से एक्सप्लायटेशन, फेवरेटीजम और नेपोटीजम ये लोग करते थे इस बारे में बताना चाहूंगा कि 4-5 लोग थे और उनमें ओम प्रकाश चौटाला का संबंधी भी था जो इस सारे काम को देखता था । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता । चारों जोन जो उस समय बने हुए थे उनका ठेका उन 4-5 आदमियों को दिया जाता था । उस टाईम पर ये लोग विडियो फिल्म भी उतारते थे और सी.डीज. भी बनती थी, किसी तरह फिल्म उतारते थे यह एक्साईज वाले अच्छी तरह जानते हैं । जिस ठेके की नीलामी उस समय 100-100 करोड़ में होनी चाहिए थी उसको 5 करोड़ रूपये में दे दिया जाता था और प्रदेश के लोगों के धन के साथ कुठाराघात एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया और सारा पैसा उन लोगों की जेब में चला गया । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माईन्ज में भी इन लोगों ने प्रदेश की जनता का पैसा लूटकर अपनी जेबों में ले गये । मैं पंचकुला की एक माईन के बारे में बताना चाहूंगा कि 2005 में जब हमारी सरकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनी उससे पहले पंचकुला की रोड़ी-बजरी की वह खान 5 करोड़ रूपये में दी जाती थी और जब हमने उसकी ओपन ऑक्शन रखी तो हमारे पास भी लोग आये और मुख्यमंत्री जी के पास भी आये कि हमारी सिफारिश करो । मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि ओपन ऑक्शन है और खुला मैदान है वहां जाकर बोली लगाओ। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि ओपन आक्शन में वह खान 2005 में 40 करोड़ रूपये में गई और पहले केवल मात्र 5 करोड़ रूपये में दी गई थी । इन लोगों ने इस तरह से प्रदेश में लूट खसौट करके प्रदेश की जनता के हित्तों के साथ कुठाराघात किया । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि पंचायतें प्रजातंत्र की सबसे छोटी यूनिट होती हैं उनमें भी लूट खसौट करने के लिए उन लोगों ने एक समांतर समिति बना दी क्योंकि एच.आर.डी.एफ. का पैसा पंचायतों को जाता था । इस बात की भी इन्क्वायरी करनी चाहिए कि कितनी पंचायतों की शामलात जमीन चौधरी देवी लाल के नाम की गई । यहां कागज पड़े हैं और कई बार जब हम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं तो देखते हैं कि हर जगह चौधरी देवी लाल ट्रस्ट की जमीन दिखती है । फरीदाबाद-बहादुरगढ़ में भी चौटाला के बोर्ड लगे हुए हैं वहां भी चौटाला ने जमीन घेर रखी है । हमारे करीबन 6745 गांव हैं हर गांव से रिकार्ड मंगवाया जाये कि उनकी कितनी शामलात जमीन उन लोगों ने ट्रस्ट के नाम ली थी? अगर इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । मेरा दावा है कि यह कई हजार करोड़ की जमीनें निकलेंगी । हमने अपने पास इस बारे में पूरा रिकार्ड रखा हुआ है । इन लोगों ने अपने शासन काल में रैस्ट हाउस तक को बेच दिया था। माननीय सदस्य दांगी साहब कह रहे थे

कि इन्होंने अपने शासन काल में निर्दोष लोगों को जेल में डाला था । मैं यह कहना चाहता हूं कि out of the feeling of vengeance यानी बिना किसी ठोस कारण के निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया था। जिनके साथ दुश्मनी निकालनी थी उनके खिलाफ कोई छोटा-मोटा बहाना बनाया और उन्हें जेल में डाल दिया । इस प्रकार से उन्होंने 22 से 23 भूतपूर्व मंत्रियों को जेल में डाल दिया था। अगर हम विस्तारपूर्वक गहराई से सभी की गिनती करेंगे तो यह संख्या और ज्यादा भी हो सकती है । जैसे कि दांगी साहब कह रहे थे जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष के नेता थे तो उस समय वे इनकी तरफ उंगली करके कहा करते थे कि जब तक जीऊंगा तब तक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूंगा और तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर विधान सभा में तो मूंग दलने के लिए चक्की नहीं थी अब उनको वह चक्की कहां पर मिली है यह तो आपको भी पता होगा । ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सिविलाईजेशन है और हमारे जो संस्कार हैं उसमें अनेकों मान्यतायें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में छोटे-बड़े की शर्म भी रखनी चाहिए । जहां तक इसका सम्बंध है कि छोटा बड़ा आदमी पद से भी होता है, ओहदे से भी होता है और उम्र के हिसाब से भी होता है लेकिन मैं यहां पर उम्र की बात करना चाहूंगा । जो छोटे-बड़े की शर्म होती है उसमें एक अदब है कि क्या मुझे अपने बच्चों के सामने बोलना है और क्या मुझे अपने पेरेन्ट्स के सामने बोलना है ? यानी आज वह जेल में है और उनकी तीन पीढ़ियां पूरे प्रदेश के लोगों के सामने झूठ बोलने लग रही हैं। उनकी सबके सामने पोल खुली पड़ी है और वे दूसरों की पोल खोलने का पर्दा उठाये घूम रहे हैं । यह सारा राजनीति करने का खेल मात्र है । उनकी पार्टी के सदस्य यहां पर कह रहे थे कि यह मामला सब ज्युडिश है, यह मामला ऐसा है और यह मामला वैसा है । इसमें सारी पॉलिटिकल बात थी । यहां पर उनकी पोल खुलने का भय था। इसलिए कभी वे रूल की किताब उठा लेते थे तो कभी कुछ उठा लेते थे । स्पीकर सर, आपने मुझे विधान सभा की प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन बनाया है । इस बारे में मैं तो यह कहना चाहूंगा कि प्रिविलेज कमेटी के पास जो केसिज़ हैं उनमें झूठ बोलने के दो मुकद्दमें तो स्वयं आपने ही करवा रखें हैं । वह व्यक्ति इस महान सदन में अपने बच्चों के सामने झूठ बोलने लग रहा था । हमारे संसदीय कार्य मंत्री उनको बार-बार टोक रहे हैं कि माननीय सदस्य जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हरगिज़ नहीं है और यह बात इस प्रकार से है, लेकिन वे नहीं मानते । उनमें शर्म नाम की, संस्कृति नाम की और सिविलाईजेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है । उनके खिलाफ आज प्रिविलेज कमेटी में तीन मुकद्दमें पैंडिंग पड़े हैं । एक मुकद्दमा पिछली टर्म का है जो कि अब तो समाप्त हो गया है । मैं आपको एक जबरदस्त बात बता रहा हूं कि एक आदमी के करैक्टर की जो डैफिनेशन है, एक आदमी के चरित्र की जो दशा और दिशा है और जो उसकी समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं, जो सदन के प्रति जिम्मेदारियां हैं, जो संविधान के प्रति जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने अपने व्यवहार में उनका कहीं पर किसी प्रकार से ख्याल नहीं रखा है । स्पीकर सर, यह मामला सब-ज्युडिश है। मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन फिर भी मैं यह तो कहना चाहूंगा कि लूट-खसोट का मुकद्दमा सब-ज्युडिश है । जो होटल, जो महल, जो किले, जो समुद्री जहाज़, जो सिडनी और मेलबोर्न में फार्म हाउसिज हैं, वह इनफोर्समैंट डिपार्टमैंट का मामला है। वे यहां से रूपये पैसे लेकर जाते थे और फिर वापस ले आते थे । वे कितने रूपये पैसे वहां पर लेकर जाते थे और कितने वहां से लाते थे यह मामला भी इनफोर्समैंट डिपार्टमैंट के तहत चल रहा है । इस मामले में क्या फैसला आयेगा यह हम नहीं कहते लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले में भी हो जायेगा । मैं इस मामले में ज्यादा लम्बी चौड़ी बात न करता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हमारी समिति की बैठक होती थी तो उस समय समिति की बैठक में इनकी पार्टी के एम.एल.एज. आते थे तो वे पूरी तरह से भयभीत हुआ करते थे । जब हम उनके बारे में कोई भी

[श्री रघुबीर सिहं कादियान]
थोड़ा-बहुत चर्चा किया करते थे तो इस विषय में मैं यह बताना चाहूंगा कि नॉमर्ली एक व्यक्ति की गर्दन 90 डिग्री के एंगल पर घूम सकती है लेकिन इनकी पार्टी के सदस्यों की समिति की बैठक में गर्दन 100 डिग्री के एंगल पर घूमा करती थी कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है ? वे साथ में यह भी कहते थे कि डॉ. साहब आप क्यों हमें मरवाना चाहते हैं? यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह बात उनकी पार्टी के एम.एल.ए. कहा करते थे यानी एक इलेक्टिड रिप्रेजेंटेटिव जो कि दो से अढ़ाई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वह इस प्रकार के डर के माहौल में रहता था । जिस लोकतंत्र को और जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जैसी शख्सियतों ने बहुत मेहनत की थी वे कांस्टीच्युशनल असैम्बली के आदमी थे उन्होंने जो संविधान बनाया वह संविधान ऐसे ही नहीं बना है। अध्यक्ष महोदय, संविधान बनाने की स्थिति लाने के लिए हजारों लोगों ने जेलों के सींखचों के पीछे अपनी जिन्दगी बिताई । बर्फीली चट्टानों के ऊपर अंग्रेजों के कोड़े खाये, लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ देकर इस देश के लोगों को आजादी दिलाई और हमारा संविधान बनाया। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने उस संविधान का भी मजाक उड़ाया तथा उसके प्रतिनिधियों का भी मजाक उड़ाया था । मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात न कहते हुए आप से और हाउस से यह कहना चाहता हूँ कि इस फैसले का और माननीय सदस्यों की भावना का एक प्रस्ताव मैजोरिटी से पास हो और वह प्रस्ताव सभी पंचायतों को, नम्बरदारों को, सरपंचों को, पंचों को, ब्लॉक समिति के सदस्यों को, जिला परिषद के सदस्यों को, कॉलेजिज को तथा टीचर्ज के पास जाये। जिस प्रकार से प्रो. सम्पत सिंह जी ने फॉस्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है इसी तरह से और साथियों को भी सुझाव देने चाहिएं। वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी सबकुछ कर रहे हैं । इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं को ऊपर उठाने का काम किया है । इस बारे में कुछ सुझाव और भी आने चाहिएं । मेरा सुझाव है कि यह सदन ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला ले और वह फैसला जनता में जाये । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री प्रहलाद सिंह गिलांखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं प्रो. सम्पत सिंह जी के इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और समर्थन करने की बात नहीं है यह सच है कि आज के हमारे सार्वजनिक जीवन में जिस तरह से सभी अधिकारों का हनन हुआ है वह गलत हुआ है । **(इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्रजातंत्र में ही इस तरह का माहौल हो जायेगा तब आम आदमी का क्या होगा ? आज जो सजा हुई है वह न्यायपालिका का किया हुआ न्याय है । वे चाहे इस सजा को कोई भी रूप दें । सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, सी.बी.आई. के कहने पर न्यायपालिका ने यह फैसला किया है । उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है जिनके खिलाफ यह फैसला आया है उन्होंने उसको राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया यह प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक बात है । लेकिन सच्चाई कुछ और ही है और वे लोगों में कुछ और ही बयान कर रहे हैं । यह रिकॉर्ड की बात है कि जब यह काम हुआ उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी । वे जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनमें माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम मुख्य रूप से लिया जा रहा है । मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि ये नाम कहाँ से आ गये? उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया 1999 से शुरू हुई थी जब चौधरी बंसी लाल की सरकार थी, हम उनके साथ थे । हरियाणा में अध्यापकों की कमी को देखते हुए उन्होंने हरियाणा में लगभग 3000 अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन राजनीतिक हालात बदल गये और भारतीय जनता पार्टी जो उस समय उनकी सहयोगी थी, ने उनको धोखा दिया और उनकी सरकार गिर गई । उस समय इन लोगों ने इनैलो का साथ दिया और बदकिस्मती से इनैलो की सरकार बनवा दी और ओमप्रकाश चौटाला

मुख्य मंत्री बन गये। मुख्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को तो जारी रखा कि अध्यापक भर्ती करने हैं लेकिन उन्होंने इस सारे सिस्टम को बदल दिया । उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत होने वाली भर्ती को जिला स्तर की कमेटियों के माध्यम से करने का निर्णय लिया । उन्होंने कहा कि हमें यह भर्ती जरूर करनी है लेकिन हम कमेटियों के माध्यम से करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इन्टरव्यू के साढ़े 12 नम्बर लगते थे उनको बढ़ा कर 20 कर दिया गया । उसी समय इस बात का अहसास हो गया था कि इस मामले में कुछ न कुछ घपलेबाजी होने वाली है और वह हुई । उन्होंने अपने तरीके से भर्ती शुरू की और उसके बाद हर एक जिले के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पूरी करके दिसम्बर, 2002 व जनवरी, 2003 तक उन अध्यापकों को लगा दिया । उसके बाद इन्हीं के एक अधिकारी जिनको इन्होंने अपना चहेता समझकर लगाया था उन्होंने यह कम्प्लेंट सुप्रीम कोर्ट के अन्दर डाल दी कि हरियाणा के अन्दर जो जे.बी.टी. की भर्ती हुई है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसलिए इस जे.बी.टी. की भर्ती की सी.बी.आई. से इन्कवायरी करवाई जाए और उससे सारा मामला साफ हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर सर, जब वह रिट सुप्रीम कोर्ट में गई तो सारे हरियाणा में पता चला कि लिस्ट चेंज हो गई है। उन लड़कों ने जो असल में उस भर्ती के हकदार थे उन्होंने एक यूनियन बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक पैरलल रिट डाल दी। डिप्टी स्पीकर सर, जब सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार के खिलाफ इतना भयकर एलीगेशन जाएगा, दो-दो रिट दायर होंगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए श्री ओमप्रकाश चौटाला से पूछा कि हम इस भर्ती की इन्कवायरी करवा दें क्योंकि उस वक्त उन्हीं की सरकार थी। श्री ओमप्रकाश चौटाला ही मुख्यमंत्री थे और उनके कहने के बाद ही सी.बी.आई. की इन्कवायरी हुई। इन्कवायरी होने के बाद 24-5-2004 में सी.बी.आई. ने 62 आदमियों के नाम भी डिकलेयर कर दिए थे। 24-5-2004 में हरियाणा में श्री ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और उसके 9 महीने के बाद 5-03-2005 को हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी थी। अब जब श्री ओमप्रकाश चौटाला की असलीयत सामने आ गई तो वह बार-बार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर, कांग्रेस का नाम लेकर और सोनिया गांधी का नाम लेकर क्या बताना चाहते हैं? वह सच्चाई को कैसे छिपा सकते हैं। सारी इन्कवायरी होने के बाद आज जब सजा हो चुकी है, उसके बाद वे लोगों के बीच में जाकर ये कहने की बजाए कि सारी सच्चाई सामने आ गई है और मैं अपने इस कार्य के लिए अपनी गलती मानता हूं, उल्टा उन्होंने इस केस को राजनीतिक रूप देना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं बल्कि हर गांव में जाकर ढिंढोरा पीट रहे हैं, गांव-गांव में जाकर खुला चेलेंज करते हैं और अखबारों की प्रैस कान्फ्रैंस करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे सामने आ जाए तो हम साबित कर देंगे कि हमें सजा दिलवाने में मुख्यमंत्री का कितना बड़ा रोल है। डिप्टी स्पीकर सर, जब वह इतनी बात कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से आमने-सामने किसी बात को पूछने के लिए सदन से बड़ा मंच कोई नहीं हो सकता । डिप्टी स्पीकर सर, जो साथी तीन दिन तक लगातार बहस से बचते रहे और आज भी वह बच कर चले गए हैं, उनको कम से कम इस सदन के अन्दर मौजूद रहना चाहिए था और प्रोफेसर श्री सम्पत सिंह के स्थगन प्रस्ताव को सुनना चाहिए था। उसमें अगर उनको कोई कमी लगती तो उनके पास हरियाणा की जनता को बताने का एक अच्छा मौका था और इसके लिए उनको बार-बार प्रैस वालों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रैस वाले तो सारी हकीकत अपने आप ही लिखते। लेकिन उन्होंने यह नहीं किया, क्यों नहीं किया ? किस लिए नहीं किया ? अब ये बात खुद-ब-खुद सामने आ रही है। आज जो यह सारी बातें इस प्रस्ताव के अन्दर आई वह सारी रिकार्ड की बातें है इसका उनको भी पता है। लेकिन वे इन सब बातों का जवाब नहीं देना चाहते थे। डिप्टी स्पीकर सर, इसलिए आज जो इस तरीके की राजनीति हो रही है यह बड़ी गलत बात है! डिप्टी स्पीकर साहब, आज हमारे नैतिक मूल्य गिर रहे हैं। जिस तरीके की बातें आज हो रही

[श्री प्रहलाद सिंह गिलांखेड़ा]

हैं, इनकी अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो जब-जब भी ऐसा प्रशासन आया, तब-तब कानून नाम की कोई चीज नहीं रही। हर आदमी यह समझता था कि मैं कुछ भी कर लूं मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। कानून मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अभी जो बातें कादियान साहब और दांगी साहब ने आपके सामने बताई उन्हीं का आज यह नतीजा है कि हर व्यक्ति ने गलत काम करना शुरू कर दिया और जिससे हमारी नैतिकता इस हद तक गिर गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, न्यायालय ने जो फैसला दिया मैं उसको बहुत ही अच्छा मानता हूं। इस फैसले के आने के बाद कम से कम एक बात तो लोगों के सामने आई है कि इस दुनिया के अन्दर न्याय भी है और भगवान भी है। डिप्टी स्पीकर साहब, भगवान तो मैं इसलिए कहता हूं कि एक कहावत है कि अति का अन्त आवश्यक है। आज जो यह इनके साथ हुआ है वह उनके ही किए हुए कर्मों का फल है जिसके कारण आज वे सजा भुगत रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलती तो लोगों का भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता। डिप्टी स्पीकर सर, हम सब को इन सारे प्रकरणों के ऊपर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कादियान साहब ने कहा कि जो प्रस्ताव पास होकर आया है वह जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब में बल्कि दूसरे सूबों में भी भेजा जाए। सैद्धान्तिक तौर पर कुछ आदमियों की बदौलत जो हरियाणा के लोगों की छवि खराब हुई है और जिनके द्वारा आज सारी राजनीति को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, सभी जगह हमारा यह प्रस्ताव जाए तो कम से कम जनता को यह पता तो लगे कि हरियाणा की विधान सभा में ये प्रस्ताव पास हुआ है और हरियाणा में सब लोग ऐसे नहीं हैं जो आज सजा भुगत रहे हैं। इसमे अच्छे लोग भी है। ये लोग आज क्षेत्रवाद की बात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इल्जाम लगाते है। वास्तव में यह लोग क्षेत्रवाद की बात करके अपने जुर्म को ढकना चाहते हैं। अभी जैसे प्रो. संपत सिंह जी ने बताया है मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि चौधरी देवीलाल के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसके ऊपर इनके शासन काल में केवल मात्र 8-9 करोड़ रुपये ही खर्च किये थे और बाद में हमारी सरकार के शासन काल में इसके ऊपर 150-200 करोड़ रुपये खर्च करके इस यूनिवर्सिटी को असलियत में एक यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया है। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी क्या चीज होती है। आज यह एक देखने वाली चीज है। यहां के आर.ओ.बी. को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही बनाया है। सिरसा के अन्दर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार आने के बाद पिछले 8 सालों में जितना पैसा खर्च किया गया है शायद इतना पैसा तो इनके समय में भी खर्च नहीं किया गया था। जो बात मैं सदन में कह रहा हूं यह वास्तव में एक रिकॉर्ड की बात है। हरियाणा की खुशहाली प्रगति का सबसे बड़ा आईना है जो इस बात का सूचक है कि कितना पैसा आज हमारे हरियाणा के विकास पर खर्च किया गया है। जब बजट पर चर्चा होगी तब इस खर्च का विवरण पूरी तरह से दिया जायेगा। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की बात चली है तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के हमारे साथी जो बार-बार सदन की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं और एक बार में ही सारे साथी खड़े होकर जिस तरह से सदन को दबाने की कोशिश करते हैं, वह इस हाउस में एक गलत परंपरा है। आपको इसके बारे में बड़ी सख्ती से आदेश करने होंगे और उनके दिमागों में यह बात बिठा देनी होगी कि जो भी सच्चाई है वह तेज आवाज में बोलने से नहीं दब सकती है, झूठ से सच्चाई कभी नहीं दब सकती है बल्कि सच्चाई से ही झूठ को दबाया जा सकता है। यह चीज आज के समय में सबसे जरूरी है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस बारे में अलग से मीटिंग बुलाकर के इस पर निर्णय करो। वैसे तो आप मीटिंग्ज बुलाते भी रहते हो लेकिन इन लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं होता है। स्पीकर साहब ने भी इन लोगों को बार-बार समझाया है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इन लोगों पर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ है। आज सारे समाज के अन्दर जिस तरीके का

माहौल पनप रहा है उस माहौल को क्रियेट करने में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। इन लोगों के सामने तो कानून नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सार्वजनिक जीवन में आप भी हैं और हम भी हैं। हमारे पास जब हमारे क्षेत्र से मतदाता आते हैं तो उनको हमारे से यही उम्मीद होती है कि हम उनकी मदद करें। डिप्टी स्पीकर सर, हमारी भी एक लीमिट होती है और हमें उस लीमिट में ही काम करना पड़ता है और उस लीमिट में ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं । यह फैसला आने से पहले हमारे सामने एक व्यवहारिक समस्या आती थी कि जब हमसे कोई वर्कर मिलने आता था तो हमारे सामने केवल एक ही उदाहरण पेश करता था कि आप तो हमें नौकरी नहीं लगा सकते लेकिन जब इन लोगों का राज होता था तब कैसे लोगों को नौकरी पर लगा दिया जाता था और हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती थी। लेकिन आज मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो यह फैसला दिया है इस फैसले के आने के बाद अब लोगों ने भी इस बात को समझ लिया है कि गलत काम के लिए कोई सिफारिश नहीं की जाती है। नौकरी उसी की लगेगी जो मैरिट पर होंगे। आज लोगों ने हमारी इस बात को सच मान भी लिया है जिसको वह पहले नहीं मानते थे। माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में जो नौकरियां लगी हैं वह सारी की सारी नौकरियां मैरिट पर ही लगी हैं। अगर किसी को शक है तो इसका सारा रिकार्ड भी चैक किया जा सकता है । वास्तव में अब लोग इस बात को मानने भी लग गये हैं। इसलिए किसी आदमी का नाम लेकर के, झूठी बात करके किसी गलत बात को यदि यह लोग ढकना चाहते हैं तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये लोग इस बात को भूल जायें कि हरियाणा की जनता इस बात को नहीं जानती वह आज हर चीज को देख रही है और समझ रही है। आज हरियाणा के लोग सच्चाई जान चुके हैं। जब तक लोगों के सामने आकर के आप अपने गलत कामों पर पछतावा नहीं करोगे तब तक आपके जोर से बोलने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इस हाउस के अन्दर जो यह एडजर्नमैंट मोशन आया है इसका सभी साथियों ने समर्थन किया है जिसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं तथा आशा करता हूं कि हमारे साथी भी जो उनके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उन्हें देंगे। डिप्टी स्पीकर सर, उनके इस कृत्य को जितना कंडैम किया जा सके उतना कंडैम किया जाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में राजनीति एक स्वच्छ और अच्छे तरीके से चले ताकि जिस तरह पहले कोई भी आदमी राजनीति में आते हुए गर्व महसूस करता था वैसा ही गर्व वह अब भी महसूस करे। पहले पॉलिटीशियन की जो कद्र थी वह इस तरीके के कामों से डिग्रेड हो रही थी। इस तरह का फैसला आने से एक बार फिर दोबारा से स्वच्छ राजीनति का सिलसिला शुरू होगा ऐसा मुझे विश्वास है। ज्यों-ज्यों वक्त बीतेगा सच्चाई सामने आयेगी और एक बार फिर राजनीति के अन्दर साफ और सुथरी छवि के लोग ही रह पायेंगे। खराब छवि के लोगों के लिए राजनीति के अन्दर कोई जगह नहीं है। यह बात सारे मतदाता भलीभांति समझ जायेंगे। हमारे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हरियाणा प्रांत के अंदर जो शासन चल रहा है, इस शासन में भी एक बदलाव लाने की कोशिश हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। मुख्यमंत्री जी पिछले आठ सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं लेकिन इतना लंबा पीरियड होने के बावजूद भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन के अंदर अपनी चादर को साफ रखा हुआ है जिसके लिए मैं मुख्यमन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर हल्के के अंदर विकास करके दिखाया है। आज जो विकास हरियाणा प्रान्त का हो रहा है यह बात भी विपक्ष के साथियों को पचती नहीं है। विपक्ष के साथी इस बारे में भी नैगेटिव सोचते हैं, क्या उनकी पौजिटिव सोच नहीं हो सकती ? जैसे अभी उदाहरण देकर बताया गया कि जब बंद होते थे उस समय विपक्ष के साथियों की सोच यह रहती थी कि बंद हो और कोई न कोई आदमी मरे जिससे वे उसकी मौत पर भी राजनीति कर सकें। हालांकि इस तरह की सोच सभी राजनीतिक लोगों की नहीं है। आज इस सोच में बदलाव की जरूरत है और उसी सोच के दृष्टिगत हमारी सरकार के समय में बदलाव की राजनीति चली है। हमारे

[श्री प्रहलाद सिंह गिलांखेड़ा]

मुख्यमंत्री जी ने कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं की और उन्होंने किसी के भी खिलाफ बदले की भावना से मुकदमे दर्ज नहीं किये । उन्होंने यह साबित कर दिया है कि राजनीति नैगेटिव तरीके से नहीं, अगर चलाने वाला हो तो पौजिटिव तरीके से भी चल सकती है। इसका यह एक उदाहरण है। इस उदाहरण को सभी को मानना चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो करके दिखाया है इसे हर आदमी को समझना चाहिए। हरेक राजनीतिक पार्टी को, हरेक राजनीतिक आदमी जो भी इस तरह के घिनौने काम, गलत काम करे, उसकी किसी को स्पोर्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि इसको कंडम करना चाहिए और जो लोग इस तरह के कारनामें करते हैं, उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए न कि झूठ बोलकर उसको दोबारा दबाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे काबिल साथियों ने जो इस बारे में सुझाव दिये हैं इन सब सुझावों को इकट्ठा सुझाव बना करके विधान सभा में पास करके सभी जगहों पर भेजा जाए जिससे कि हरियाणा प्रदेश में जो राजनीतिक तौर पर डिग्रेडेशन आई है, उसमें सुधार हो और लोगों को यह पता लगे कि हरियाणा की विधान सभा इस चीज को नहीं चाहती और जो लोग इस तरह की बात करते है उसमें आम पौलिटिशियन का कोई रोल नहीं है। सर, इससे सभी फील्ड्स में सुधार आएगा और प्रशासन में भी सुधार आएगा। आज चाहे कोई राजनीतिक आदमी है, चाहे कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी आदमी गलत काम करेगा तो उस गलत काम को करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इस गलत काम से 10 साल या 20 साल बाद भी सजा हो सकती है। इस बात का अहसास उनको हो जाएगा कि गलत काम की सजा भुगतनी पड़ सकती है। यह भी पता चलेगा कि अगर कोई भी पाप करेंगे और गलत काम करेंगे तो वह छुप नहीं पाएगा। आज जैसे यह सच्चाई सबके सामने आ गई है इस तरह से कोई भी गलत काम छुप नहीं पाएगा। यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए और ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया ऐतिहासिक फैसला है और यह फैसला आने वाले वक्त में नया रंग और नयी सोच देगा, उस हिसाब से स्वच्छ राजनीति देखने को मिलेगी। हम सब इस फैसले को देखते हुए आचरण के सुधार की दिशा में चलने की कोशिश करेंगे। यह भी बात हर आदमी के दिमाग में रहेगी कि सार्वजनिक जीवन में अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने देना चाहिए और बचकर चलना चाहिए। यह बात कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस काम रोको प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। इस पर मेरे काबिल साथियों ने जो-जो विचार रखे हैं उनके बारे में मैं यह जरूर ऐड करूंगा कि प्रदेश में हर जगह यह बात सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि विधान सभा की तरफ से लोगों में यह मैसेज जरूर जाए और सारे देश के अंदर यह बात जाए कि हरियाणा की विधान सभा ने इसको कंडम किया है, ताकि प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति सही ढंग से चले। मैं इसका समर्थन करते हुए और धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

मुख्य संसदीय सचिव (राव दान सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रो.संपत सिंह जी द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 3206 जे.बी.टी. के निर्णय के बाद ज्वलंत चर्चा देश और प्रदेश में चली हुई है कि आखिर क्या मसला था, क्यों इन लोगों को सजा हुई, कौन लोग दोषी थे ? इसके पीछे किनका हाथ था ? गांव में गली में यही प्रश्न सबके सामने था। हरियाणा की राजनीति के बारे में आज से नहीं बल्कि अनेक वर्षों से यह बात कही जाती है कि बदले की भावना से राजनीति की जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज का प्रयास नहीं किया कि इस सदन की जो गरिमा है उसको सही तरीके से निभाएं। हम आपस में एक दूसरे के लिए बदले की भावना से काम न करें । जहां तक किसी

भी भर्ती में राजनीति और प्रशासन के बीच जो संभावनाएं हैं उनको पारदर्शी रखें । एक ऐसा फैसला लें कि आम जनता के बीच में जाकर हम यह गर्व के साथ कह सकें कि आज हरियाणा के अन्दर फैसले बड़े न्याय के साथ किये जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, एक गलती एक क्षण के लिए हो या दो गलतियां एक बार हों दोनों सही नहीं हो सकती । इतिहास साक्षी है कि लम्हों की गलतियों को सदियों ने भुगता है । आज 3206 लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है । माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने साजिश से और मिलीभगत से उनको सजा दिलवाने के लिए कार्य निभाया है । यह सारी दुनिया जानती है कि न्यायपालिका के किसी कार्य को इस प्रदेश या देश के अन्दर प्रभावित नहीं किया जा सकता । चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जब प्रदेश की सत्ता संभाली, तो इन्होंने एक नई दिशा हरियाणा की राजनीति को देने का प्रयास किया, कि मैं बदले की भावना से काम न करूं । मैं किसी के साथ द्वेष की भावना से काम न करूं । आज आठ साल का इतिहास यह मानता भी है कि श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने आज तक किसी व्यक्ति के साथ बदले की भावना से काम नहीं किया है । फिर वे लोग जो दूसरों की तरफ उंगली करते हैं उनको पहले यह देखना होगा कि उनकी तीन उंगली उनके अपनी तरफ भी इशारा करती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस फैसले का सवाल है, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि जहां प्रदेश के लोगों को यह बताया जा रहा है कि इस काम में कांग्रेस का हाथ है । इसकी शुरूआत तो उनके कार्यकाल से ही हुई थी। शुरूआत उनके शासन के अन्दर शुरू हुई । शुरूआत उनके अधिकारियों के द्वारा शुरू हुई । शुरूआत उनके सिलैक्शन करने पर शुरू हुई । उनके अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर दस्तक दी थी। उनके जो सिलैक्शन में बचे हुए उम्मीदवार थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर दस्तक दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सी.बी.आई. की इन्क्वायरी की गई । सी.बी.आई. की इन्क्वायरी के बाद यहां पर सी.बी.आई. कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया । इसके अन्दर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी कहां से आई ? इस बात का अन्दाजा आज मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा की जनता ने बड़ी खुली आँखों से लगाया है । जो लोग दूसरों की तरफ ईशारा करते हैं उनका स्वयं का जवाब उनको मिला हुआ है । आज हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस गरिमामय सदन के अन्दर अच्छी परम्पराओं को लाने के लिए कहीं से तो शुरूआत की जानी चाहिए । चौधरी सम्पत सिंह जी ने जो प्रस्ताव आज सदन में रखा है, हम उस पर गहन विचार करके इतना ही कहना चाहेंगे कि भविष्य के अन्दर इस तरह की गलतियां न हों ताकि आज उन पर जो उंगली उठी हैं इसी प्रकार हमारे ऊपर भी कोई उंगली न करे । इस बात का हमें अहसास रहना चाहिए । मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो पारदर्शिता दी है वह अपने आप में एक उदाहरण है कि उन्होंने अपनी नीति को सीधा रखा है । इस प्रदेश को आगे ले जाने का विचार रखा है । लाइन से छेड़ छाड़ करके नहीं बल्कि उसके बगल में दूसरी लाइन खींचने का प्रयास किया है । यही एक सकारात्मक सोच इनकी है। यहां हमारे विरोधी भाई विरोध के लिए विरोध करना जानते हैं । सच्चाई को छुपाना जानते हैं । झूठ को सच बताना जानते हैं । आज हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर सच्चाई की बात थी तो उनको यहां पर उन बातों को रखकर लड़ना चाहिए था। उनको वे बातें बतानी चाहिए थीं जो आज तक हमारे पास नहीं आई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो सदन में चौधरी सम्पत सिंह जी ने स्थगन प्रस्ताव रखा है, उस स्थगन प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं और ऐसी अपेक्षा करते हैं कि सभी सदस्यों की तरफ से इस पर अच्छे प्रस्ताव आयेंगे जिसके कारण भविष्य के अन्दर जो राजनीति हो उसका निराकरण सही हो सके और स्वच्छ राजनीति इस प्रदेश में चले । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : शुक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय । सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा महत्व रहा है । चाहे वह हिन्दुस्तान का संविधान बनने से पहले की बात हो ।

[श्री आफताब अहमद]

हमारी जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें हमारे जो नेता, जितने हमारे आजादी दिलाने वाले स्वतन्त्रता सैनानी थे । उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस उद्देश्य के लिए या जिस के लिए वे अंग्रेजों से उनकी प्रताड़नाओं का उनके जुल्मों का मुकाबला करके लड़ रहे हैं । वह आजादी कभी हिन्दुस्तान को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी उनके जीते जी आजादी मिलेगी यह उनके मन में एक सपना था । उन्होंने जब यह लड़ाई लड़ी थी उस समय उनके मन में एक ही सवाल था और उनका एक ही लक्ष्य था । उन्हें यह था कि हमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का चाहे वह कितना बड़ा बलशाली हो, चाहे वह कितना बड़ा ताकतवर हो उसका शासन सहन नहीं करना है । अपना शासन बनाना है और आजादी लेनी है । इसके इलावा उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि उन्होंने कभी कल्पना भी की होगी कि आगे चलकर जब हमें आजादी मिलेगी तो उस समय देश के क्या हालात होंगे ? उस समय महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने आचरण, सादगी और ईमानदारी के मापदंड तय किए थे और उन पर जिंदगी भर रहकर देश को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया था । आजादी के बाद भी ऐसे नेता हुए । संविधान बनने के बाद सांसदों और विधायकों से यह उपेक्षा की गई थी कि वे पब्लिक लाइफ में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करेगें परन्तु कुछ ऐसे शासन, कुछ ऐसे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनकर आए जिन्होंने लोकतंत्र को तो शर्मसार किया ही बल्कि ऐसा नैक्सस बनाया और ऐसा षंडयत्र रचा जिसमें ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ मिलाकर ऐसे कार्य किए कि उनकी वजह से राजनीति बदनाम हुई और राजनेता बदनाम हुए । उपाध्यक्ष महोदय, एक बाप कभी अपने बेटे को त्यागता नहीं क्योंकि पुत्र मोह बहुत बड़ी चीज होती है लेकिन कुछ तो ऐसी बात थी कि एक बाप ने अपने बेटे को त्यागा और सार्वजनिक रूप से त्यागा । प्रो० सम्पत सिंह जी उन हालातों को बेहतर जानते होंगें क्योंकि हम तो उस वक्त छोटे हुआ करते थे ।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आफताब अहमद जी ने जो कहा मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी कोई आफत आ जाती है तभी कोई अपने बेटे को त्यागता है । हमारे समाज में एक सिस्टम है कि कई बार अपने बच्चे न होने की वजह से आदमी बच्चा एडोप्ट भी कर लेता है । हर आदमी की एक भावना होती है कि हमारे बच्चे हों चाहे वह लड़का हो या लड़की हो । पहले तो लड़के को बहुत महत्व दिया जाता था लेकिन अब दोनों में बराबर का अधिकार धीरे धीरे आने लग रहा है और आना भी चाहिए । बच्चे होने के बावजूद अगर उसका आचार या उसका कंडक्ट ठीक न हो तो मां बाप कहते हैं कि मारे गए । हर मां बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद भी देते हैं कि औलाद हमारा नाम रोशन करे, आगे बढ़े, पढ़े, मेहनत करे और अपनी कमाई करे और कहीं से कोई उलाहना न लाए । **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए ।)** अध्यक्ष महोदय, बात चल रही थी कि चौधरी देवीलाल जी ने अपने बेटे को डिसओंड कर दिया था । मैं तो यह कहता हूं कि हर मां बाप चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे हों, उसका कंडक्ट अच्छा हो और वह अच्छी संगति करे और अच्छा चाल चलन चले । वे मां बाप समाज में बड़े भाग्य शाली माने जाते हैं जिनके बच्चे ठीक निकल जाते हैं । कई बार आदमी में कोई ऐसी पीड़ा आ जाती है जिसकी कोई दूसरा आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि उस टाइम चौधरी देवी लाल जी पी.जी.आई. में दाखिल थे और मैं उनका पोलीटिकल सैक्रेटरी हुआ करता था । वे सुबह सुबह एकदम कहने लगे कि मेरे पास खबर आई है कि एयरपोर्ट पर कोई घड़ियों की घटना हो गई है और मैं आज अपने बड़े बेटे को डिसओंड करूंगा । एम.एस. पन्नु भी उन दिनों होते थे और वे चौधरी साहब के एडवाइजर थे और यह प्रताप सिंह कैरो के टाइम की बात है । हमने चौधरी साहब को काफी रोका कि नहीं जनाब आप ऐसा काम न करो क्योंकि इससे हमेशा के लिए मामला गड़बड़ हो जाएगा । डिसओंड बहुत बड़ी चीज होती है इसलिए आप और कोई सजा दे दीजिए लेकिन वे कहने लगे नहीं मैं इससे नीचे नहीं मानता । हमने बहुत

मनाया लेकिन कई बार वे इतने विजद हो जाया करते थे कि जो कह दिया वह करते थे और मानते नहीं थे । वे कहते थे कि ये काम मुझे करना है तो करना है । आज ये लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि वे बार बार जेल गए हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप लोग उस आदमी का नाम इस तरह तो न लो, जिस आदमी को अपने आप में इस बात पर इतनी ग्लानि हो गई थी कि तेरा दुनिया में नाम है और लोग तेरी इतनी इज्जत करते हैं और औलाद ने तेरा नाश कर दिया । पता नहीं उनके अंदर कैसी पीड़ा उठी होगी इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता । अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई मां बाप न हो जिसको अपने बच्चे डिसओंड करने पड़ें। उस टाइम चौधरी साहब ने अपने बेटे को डिसओंड करने के बारे में अनाउंस कर दिया था । हमारे कहने के बावजूद और बहुत सलाह देने के बाद भी वे नहीं माने । वे बहुत सी चीजों को टाल दिया करते थे और कहते थे चंगा और चंगा का मतलब है कि बात फिनिश और now matter ends. परन्तु उसी टाइम पर उन्होंने प्रैस को लैटर जारी कर कह दिया - "I disown my elder son." सर, इस तरह की बातें मैं भी नहीं समझ पाया कि कितनी पीड़ा उनको हुई थी लेकिन उन्होंने ऐसा किया था जबकि कोई मां-बाप ऐसा नहीं करता । उन्हें बहुत पीड़ा हुई होगी क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत लगाव था फिर भी मैं कल्पना नहीं कर पाया कि उन्हें कितनी पीड़ा इस घटना को लेकर हुई।

Mr. Speaker : Mr. Ahmed, if you want to speak then please conclude in one minute?

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि आजादी के दीवानों ने तो आजादी की कल्पना की थी लेकिन आजादी के बाद कुछ लोग राजनीति में ऐसे आये जिन्होंने राजनीति को भ्रष्टचार, लूटपाट और अनैतिक कार्यों का माध्यम बना लिया । जिसकी वजह से राजनीति शर्मशार हुई और राजनेता भी बदनाम हुए । इसका एक उदाहरण यह है कि किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया के बाद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की भी हमेशा दखल रही और एक अदालती फैसले के बावजूद अदालत में तो मानते हैं लेकिन बाहर जाकर अदालत के फैसले को किसी और के जिम्मे थोपना तथा किसी पर आक्षेप लगाना बहुत गलत बात है । इस बात का जो स्थगन प्रस्ताव आया राजनीति में ऐसे लोगों का और किसी बात को लेकर सजा हो जाये तो उन्हें तनिक भी अधिकार नहीं है कि वे किसी भी सार्वजनिक पद पर रहें । जो प्रोफेसर साहब ने एडजर्नमैंट मोशन दिया है कि उन्हें अपनी सदस्यता से और नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं । जिससे आने वाले समय में न्यायालय ने जो फैसला कर दिया उस बारे में हमारी विधायिका भी एक मार्ग प्रशस्त करके रास्ता दिखाये कि किस तरीके से सथगन प्रस्ताव लाकर ऐसे कार्यों की निंदा किसी असैम्बली ने की है । अध्यक्ष महोदय न्याय की कसोटी पर यह पूरा केस सुना जा चुका है जिसमें सजा भी हो चुकी है । मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए ।

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, our friends of BJP are there. Of course, their leader has gone. Madam Kavita Jain is there. Let have their opinion on behalf of the BJP.

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप इस पर बोलेंगे । कोई सदस्य तो बी.जे.पी. की तरफ से इस पर बोले ।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, इस मैटर को लेकर गुर्जर साहब बी.जे.पी. का स्टैंड बता चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने क्या बताया है ?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि सामाजिक और राजनैतिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और सच्चाई जरूरी है । जहां तक मेरा अपना मानना है और मैंने जो सीख ली है उसके मुताबिक राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिये हम समाज की सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं । मैं अपना पर्सनल स्टैंड बता सकती हूं कि मेरी जो राजनीति में एंट्रैंस हुई है वह लोक हित के लिए हुई है और मैं हमेशा इस पर कायम रहूंगी । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे पति के बारे में पूछा गया है मैं बताना चाहूंगी कि मेरा उनके साथ नवम्बर 1996 में गठबंधन हुआ था और तब से मैं उनको जानती हूं उनका जीवन पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित है ।

Shri Randeep Singh Surjewala : Our learned colleague has given her personal stand but the Leader of the BJP Shri Ani Vij is here and since this is a issue of paramount importance for the future of children of Haryana. Probity in public life is an instance of which there would be no two arguments and questions of disagreement. Shri Anil Vij may also enlighten by his thought provoking views that he always gives.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विज साहब अपनी बात कह सकते हैं । ये हमेशा कहते हैं कि इनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता । आज ये इस मैटर पर अपना स्टैंड बतायें ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यदि भारतीय जनता पार्टी चौटाला का समर्थन करती है तो भी ये बता दें । वैसे मुझे लगता नहीं ये समर्थन करेंगे । विज साहब को इस एडजर्नमैंट मोशन पर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लीयर करना चाहिए ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आज परम्परायें कुछ बदल रही हैं क्योंकि इससे पहले तो यह होता आया है कि जब हम बोलना चाहते हैं तो हमें इज़ाजत नहीं दी जाती है लेकिन आज हमें जबरदस्ती बोलने के लिए कहा जा रहा है ।

Mr. Speaker : I have not asked you to speak. You have raised your hand.

Shri Anil Vij : Yes Sir. It is because again and again I have been asked to speak from the Treasury Benches.

Mr. Speaker : But I have not asked.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, इस बारे में पहले भी हमारे माननीय साथी श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता होनी चाहिए और स्वच्छ जीवन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का यह स्टैण्ड है जो कि हमेशा से रहा है और हमेशा ही रहेगा लेकिन जिस ढंग से इस प्रस्ताव को इस सदन में लाया गया है और जिस प्रकार से इस प्रस्ताव के माध्यम से जो आक्षेप थे उनको उजागर किया गया है। जिस ढंग से बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई वह ठीक नहीं है । सर, अगर आप इस प्रस्ताव को देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 'admitted for 26th February, 2013'. Sir, this is admitted for 26th February, 2013 और आज है 04 मार्च । सर, यह जो प्रस्ताव हम सबको सर्कुलेट किया गया है, this was meant for 26th February, 2013 इस प्रकार से 26 फरवरी को इस बारे में डिस्कशन होनी चाहिए थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि 26 फरवरी का प्रस्ताव 04 मार्च को डिसकस नहीं हो सकता । यह **** तरीके से किया गया है और यह जो किताब

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

है इसमें जो लिखा हुआ है इसकी सारी .....(शोर एवं व्यवधान) सर, क्या मुझे सत्तापक्ष के लोगों की मर्जी से बोलना पड़ेगा? (शोर एवं व्यवधान) मैं इनके मुताबिक नहीं बोल सकता । मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । **** शब्द को हाउस की कार्यवाही से एक्सपंज करवाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, **** शब्द को हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, यह जो कानून की किताब है, ये जो Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly है सर, इसके जो **** (विघ्न)

Mr. Speaker : On this issue my ruling has already come. If you want to participate in the debate which is ongoing, you are most welcome to do it, otherwise if you are distracting, then you are insulting my judgement.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, अगर इस प्रस्ताव को ठीक ढंग से लाया जाता तो इस बारे में हम ज़रूर अपनी बात कहते । सर, विधान सभा को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है । यहां पर राजनीतिक स्पीचें दी जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष : विज जी, यह और क्या है? यह राजनीतिक मंच ही तो है। पूरी तरह से सुनी हैं ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, यहां पर इतने इम्पोर्टेंट इश्यू पैंडिंग चल रहे हैं । हमें बजट पर डिस्कशन करनी थी और प्रदेश में हुई ओलावृष्टि पर हमें डिस्कशन करनी थी । सर, जो तीन मैम्बर इनेलो छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आये हुए हैं मैंने उन तीनों माननीय सदस्यों की स्पीचें सुनी हैं । सर, उनके अंदर तो अपने मतभेद हैं । (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । सर, मैं श्री विज से यह पूछना चाहता हूं कि जब Leader of Opposition की कंविक्शन हो जाये और हाउस के अंदर अगर उसके ऊपर चर्चा न हो इससे बढ़कर शोचनीय बात और क्या हो सकती है । विज साहब को यह बात समझनी चाहिए और उसी के मुताबिक अपने विचार सदन के पटल पर रखने चाहिएं । ये विषय से भटक रहे हैं और मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि जो इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बिलास शर्मा जी का स्टैंड है इनको भी इस बारे में वही स्टैंड रखना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में स्वच्छता और ईमानदारी की पक्षधर है । मैंने यह बात कह दी है कि आप जिस ढंग से हाउस में इस बात को कहलवाना चाहते हो उस ढंग से हम आपकी 'हां' में 'हां' मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Thank you very much Vij Ji. (Interruption)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । सर, विज साहब की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं और समर्थक भी हैं । इनको इस बारे में अपना स्टैण्ड स्पष्ट करना चाहिए कि ये इस प्रस्ताव के हक में हैं या विरोध में हैं।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जो इस प्रस्ताव के ऊपर लिखा गया है आप उसको पढ़िये this was admitted for 26th February स्पीकर सर, मैं इस बारे में आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में सत्तापक्ष यह बताये कि आज 26 फरवरी है या 04 मार्च है? जिस प्रस्ताव को सारे पढ़ रहे हैं यह प्रस्ताव 26 फरवरी का है। (शोर एवं व्यवधान) मैं चाहता हूं कि अगर सरकार इस बारे में चर्चा करवाना चाहती है तो वह इस बारे में 04 मार्च का नया प्रस्ताव सदन में पेश करे हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारियों का विरोध होना चाहिए और विज साहब उसका समर्थन कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव 26 फरवरी, 2013 का है जिसको यहाँ उपस्थित सभी पढ़ रहे हैं । ****(विघ्न)

Mr. Speaker : Please sit down. Nothing should be recorded. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं, सीनियर हैं, काबिल हैं इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया कि वे ओमप्रकाश चौटाला के समर्थक हैं, उनके पक्षधर हैं और वे इस स्कैम के पक्षधर हैं । अभी इन्होंने कहा कि I will not participate, BJP is not participating. Speaker Sir, he has clarified. Thank you sir. इनका जो डबल चेहरा है वह आज खुलकर सामने आ गया । आपके ढोल की पोल भी सम्पूर्ण तरीके से खुल गई है। इनकी पॉलटिक्स यही है कि ये एक पार्टी में बैठे हैं और दूसरी पार्टी में जाने के लिए व्याकुल हैं । यह इनका कसूर नहीं है क्योंकि हरियाणा के 10 हजार से अधिक बच्चे जिन्होंने दरख्वास्त दी थी उनके हक छीनने में विज साहब भी शामिल थे । जब उनके हकों पर कुठाराघात किया गया, उनके हितों को बेचा गया, लिस्ट को बदल दिया गया तो विज साहब भी उस सरकार में शामिल थे । सच बात तो यह है । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ****

Cooperative Minister (Shri Satpal) : Speaker Sir, is he allowed to speak anything, how he can speak such a word that is unparliamentary word he is using for my worthy Minister. Ask him or he will withdraw his words. (Interruption).

Mr. Speaker : Mr. Vij, you should withdraw your words, you should not say these words. You are a 4th time Member of this House. (Interruption)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के लिए बहुत ही अशोभनीय शब्द इस्तेमाल किये गये हैं । This is not a parliamentary language ये वे शब्द वापिस लें या सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमें अधिकार है कि हम किसी भी मोशन पर अपने विचार रख सकें कितना बोलें, क्या बोलें और संसदीय कार्य मंत्री हमें अपनी बात नहीं रखने देते । (विघ्न)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक मंच से यह कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी । उसके बारे में विज साहब अपना स्टैंड क्लियर करें कि वे गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं ।(विघ्न)

**चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी बात कह दी है, चाहे इनको समझ में आये या न आये । हमने अपनी बात कह दी है कि हम राजनीति में स्वच्छता के पक्षधर हैं । अब हम इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते । अभी विधान सभा में क्लर्कों की भर्ती रद्द हुई उस पर भी बोलना पड़ेगा, पी.टी.आई. टीचरों की भर्ती हुई उस पर भी बोलना पड़ेगा । जब जे.बी.टी. की भर्ती हुई तब सम्पत सिंह जी उस कैबिनेट के सदस्य थे इनकी भी बराबर की हिस्सेदारी है, वह भी हमें बोलना पड़ेगा। इसलिए हम इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं । (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात क्लियर हो गई है कि विज साहब इस विधान सभा में केवल और केवल ओमप्रकाश चौटाला के वकील हैं । (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ । विज साहब ने जो बात उठाई है, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इनमें कौन बोल रहा है? इनमें जो बोल रहा है उसका अपने-आप आपको पता चल जायेगा । इन्होंने मेरे बारे में जो बातें कही हैं मैं उस बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूँगा । जहाँ तक कैबिनेट की क्लैक्टिव जिम्मेदारी की बात है तो वह मेरी भी है इसमें कोई दोराय नहीं है । मैं कैबिनेट मिनिस्टर था इसमें भी कोई दोराय नहीं है लेकिन ये बातें माननीय चौटाला जी ने कोर्ट के सामने कही हैं, अपने वकील से कहलवाई हैं कि यह कैबिनेट का फैसला था तो इनकी अकेले की जिम्मेदारी क्यों फिक्स की गई ? तब जज ने कहा कि it is for me who is culprit कसूरवार कौन है, यह मैं बताऊंगा । उन लोगों की किस तरह की इन्टैन्शन थी ? (विघ्न)

श्री अनिल विज : मोरल जिम्मेदारी तो आपकी भी थी । (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो बात विज साहब कह रहे हैं, मैं वही बात कहना चाहता हूँ । विज साहब, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहता लेकिन मेरे बारे में आपको यह कह देना कि नैतिकता, ईमानदारी या सदाचारी बेस पर आप अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं ठीक नहीं है। स्पीकर सर, मैं अपनी जो ओथ लेता हूं, उस पर 100 प्रतिशत चलता हूं और चलता रहा हूं। मुझको तुड़वाने के लिये, मुझको दबाने के लिए, मुझ पर चार्ज लगाने के लिए, बहुत फोरसिज आई। सब कुछ होने के बाद भी मैं सैशन कोर्ट से बरी हुआ, हाई कोर्ट ने फाईल कम्पलेनैंट के मुंह पर फैंकर मारी क्यों किसी भले आदमी को तंग कर रहे हो। हाई कोर्ट के मेरे प्रति ये कॉमेंटस थे। सर, जो ये कैबिनेट की बात कह रहे हैं, कैबिनेट की बातें चौटाला जी ने उठाई हैं। वहां वह तो चाहते थे कि सारी कैबिनेट साथ ही जेल में जाएं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : सर, एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है उसके ऊपर प्लीज पहले डिस्कशन करवा लें तो अच्छा रहे।

प्रो. सम्पत सिंह : सर, मैं और ज्यादा ना कहते हुए यह कहूंगा कि हमारी जो जिम्मेवारियां थी, कितनी थी, क्या थी ? वह कोर्ट ने अपने जजमैंट में सारी की सारी दे रखी है। इसलिए विज साहब, आप कोर्ट का जजमैंट पढ़ लें। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा। अगर कोई एक आदमी भी इशारा करता है कि प्रो. सम्पत सिंह ने गलत काम किया है तो प्रो. सम्पत सिंह राजनीति में नहीं रहेगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रो. सम्पत सिंह एडजर्नमैंट मोशन लेकर आए हैं और इसमें जिस किस्म की कन्विक्शन हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक प्रदेश के जो

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

मुख्यमंत्री रहे और शायद ही किसी प्रदेश में अब तक किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की कन्विक्शन नहीं हुई है। एक श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का सवाल नहीं है उनके साथ 56 आदमियों की और कन्विक्शन हुई है, जिसमें कुछ विधायक भी हैं और उनके जो निजी ओ.एस.डी. थे उनकी भी ऐसी ही कन्विक्शन हुई है। इस प्रकार से कुछ 56 आदमियों की कन्विक्शन हुई है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। प्रो. सम्पत सिंह जी, जो एडजर्नमैंट मोशन लेकर आए उसमें आपने सैंस ऑफ दि हाउस देख ली है। विज साहब, ने जो अपनी बात कही मैं इनका बड़ा मान करता हूं। लेकिन यह प्रो. सम्पत सिंह को कह रहे थे कि वे इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी में थे शायद उनका इस पार्टी से कोई विरोधाभास होगा। लेकिन वह तो मंत्री थे उनके साथ कोई विरोधाभास नहीं था। लेकिन उन्होंने हकीकत ब्यान की है। हां, यह हो सकता है कि विज साहब के दिन में कही न कहीं इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति जगह हो, क्योंकि यह उनके समर्थक रहे हैं। इन्होंने कहा कि राजनीति में जवाबदारी होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए और कुछ मान्यताएं मानी जानी चाहिए। यह सवाल आज हाउस के सामने था, सैंस ऑफ दि हाउस है कि मान्यता अगर कोई राजनीति में कबूल करे तो इस बारे में मेरे से प्रैस के साथियों ने पूछा कि अगर आप आज ओमप्रकाश चौटाला की जगह होते तो आप क्या करते ? तो मेरा यही कहना था कि अगर मेरा ऐसा एडजर्नमैंट मोशन होता और कन्विक्शन होती तो मैं इस्तीफा दे देता। मैं विपक्ष का नेता नहीं रहता। अध्यक्ष महोदय, इस केस में बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे साथियों ने यह कहा है। अखबारों में आप रोजाना पढ़ते हैं। जब से कन्विक्शन हुई है इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथी जगह जगह यह कह रहे हैं कि ये सी.बी.आई. कांग्रेस से मिल गई। कन्विक्शन तो ज्यूडीसरी ने की है। कहीं-कहीं मेरा भी नाम लेते हैं। मैं तो मार्च सन् 2005 में बना लेकिन यह मुकदमा तो सन् 2003 में हो लिया था और पहले कभी भी इस मुकदमें के बारे में यह सवाल नहीं उठा। जब यह मुकदमा अन्डर ट्रायल था उस वक्त हमारे किसी साथी ने यह नहीं कहा कि श्री ओमप्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए उनको लीडर ऑफ दि अपोजीशन नहीं बने रहना चाहिए क्योंकि उस समय मुकदमा अन्डर ट्रायल था और कन्विक्शन भी नहीं हुई थी। कन्विक्शन के बाद हाउस की क्या सैंस आई है ? हाउस क्या चाहता है ? आप सब इस बात को अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। हर व्यक्ति ने उठकर कहा कि नैतिकता के आधार पर लीडर ऑफ दि अपोजीशन अपनी पोस्ट से रिजाइन करे। अध्यक्ष महोदय, मेरे को बहुत खुशी होती जब इस एडजर्नमैंट मोशन में मेरे विपक्ष के साथी भी अपनी बात कहते और हो सकता था कि वे कोई और अच्छी बात कहते, सफाई की बात कहते या कोई और तथ्य रखते ताकि हरियाणा के सामने सारे तथ्य आ जाते। बाहर तो कहते हैं बहस करो। अध्यक्ष महोदय, यहां एक सदस्य ने जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता यह कहा कि मेरे पास सबूत हैं इन लोगों को सजा दिलवाने में सी.बी.आई. और मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर इन लोगों के पास सबूत हैं तो ये लोग क्यों नहीं इस सदन में बहस करते हैं और उन सबूतों को दिखाते हैं? यह तो मोरेलिटी की बात है। कभी कहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमें लोगों ने चुनकर भेजा है। अगर ये विपक्ष के हमारे साथी यह समझते हैं कि वह लोग तो ठीक है और हम लोग गलत हैं तो उनके पास तो एक सीधा सा रास्ता है "दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा " और हरियाणा के लोग क्या चाहते हैं इस बात का इनको भी पता चल जायेगा। जितने हमारे यहां विपक्ष के साथी हैं वे खुद अपनी विधान सभा की मैम्बरशिप से इस्तीफा दे दें और चुनाव कराकर देख लें, हम तो तैयार हैं अगर इनमें से आधे भी चुनकर आ जायें तो यह मेरा चैलेंज है, लोग इनका फैसला कर देंगे। यही एक तरीका है और प्रजातंत्र में पहले भी इस प्रकार के कार्य होते ही रहे हैं तो क्यों नहीं यह लोग आगे आते हैं। यह तो विपक्ष

के नेता का पद भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं । मैं कुछ मान्यताओं में यकीन करता हूं । इस बात पर यद्यपि हाउस की सैंस आ चुकी है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि किस व्यक्ति को कौन सी मान्यता राजनीति में अपनानी चाहिए? हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चोरी को चोरी न मानता हो, कोई किसी चीज को बुरी नहीं मानता हो यह तो उस व्यक्ति की अपनी मान्यता है। प्रो. संपत सिंह जी भी इस विषय पर अडजर्नमैंट मोशन लाये हैं और मैं भी समझता हूं कि हाउस की सैंस है, सारे हरियाणा के लोग भी यह समझते हैं तो मेरा हाउस से सिर्फ यह निवेदन है यद्यपि हाउस की सैंस आ चुकी है फिर भी विपक्ष का नेता उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए यह फैसला उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। (इस समय मेजें थपथपाई गईं)

Prof. Sampat Singh: I agree, Sir.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I think the Leader of the House has expressed his views and as there is a comprehensive debate, there is no need for further discussion on it. He has left it to the Leader of Opposition himself.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(i) हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में पारदर्शिता संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No.9 from Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A. and Shri Aftab Ahmed, M.L.A. regarding transparency in Public Distribution System in Haryana. I admit it. Shri Aftab Ahmed, M.L.A. may read out his notice.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में पी.डी.एस. (जन वितरण प्रणाली) का बहुत बड़ा महत्त्व है। यह सरकार का कर्तव्य है कि पी.डी.एस. का फायदा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे परन्तु पी.डी.एस. में जो कमियां पाई गई हैं उनको भी दूर करना अति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां तक कहा है कि सरकार को अपने स्तर पर पी.डी.एस. सिस्टम को नियंत्रण करना चाहिए।

क्या स्मार्ट कार्ड राशन कार्ड तक सीमित रहेगा तथा स्मार्ट कार्ड पूरे राज्य में कब तक बन जायेंगे ?

बी.पी.एल. की सूची बनाने में पारदर्शिता होनी चाहिए और खाद्यान्न पदार्थ की प्रत्येक व्यक्ति अर्थात् बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. परिवारों तक आपूर्ति होनी चाहिए। ए.पी.एल. के खाद्यान्न का दुरूपयोग कैसे रोका जाये ? सब्सिडी व पेंशन वितरण में आधार कार्ड की क्या भूमिका होगी? क्या पेंशनधारकों तथा सब्सिडी प्राप्त करने वालों को बैंकों में खाते खुलवाने जरूरी होंगे ? क्या आधार कार्ड केवल निजी पहचान तक सीमित रहेगा या इसके अन्य लाभ भी होंगे।

हरियाणा राज्य में प्रतिमास कितना राशन बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. योजना के अधीन लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है और ए.पी.एल. योजना के अधीन कितना राशन वितरित हो रहा है ? ए.पी.एल. के राशन के दुरूपयोग को रोकने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ? ये सभी मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं और जनता से संबंध रखते हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दें।

व्यक्तव्य--

राजस्व मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Minister will give his reply.

श्री महेन्द्र प्रताप : स्पीकर सर, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) परिवारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुये, हरियाणा में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) को लागू किया गया है। इन परिवारों की पहचान हरियाणा के ग्रामीण विकास तथा शहरी निकाय विभाग द्वारा क्रमशः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में की जाती है। बी.पी.एल. जनगणना का कार्य इन विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्डों/दिशा निर्देशों अनुसार किया जाता है। पारदर्शिता तथा असलियत को ध्यान में रखते हुये इन परिवारों की पहचान अत्याधिक सावधानी के साथ की जाती है। पहचानोंपरांत खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा ए.ए.वाई. परिवारों को गुलाबी रंग के राशन कार्ड तथा बी.पी.एल. परिवारों को पीले रंग के राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। जो परिवार ए.ए.वाई. तथा बी.पी.एल. की सूची में नहीं आते, उन्हें हरे रंग के राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। सामान्यतः इन परिवारों को ए.पी.एल. (गरीबी रेखा से ऊपर) परिवार कहा जाता है। लाभार्थियों को प्रति मास मिलने वाले राशन की मात्रा तथा दरें निम्न प्रकार से हैं :--

वस्तु	श्रेणी	पात्रता (किलोग्राम में)	उपभोक्ता मूल्य (प्रति किलोग्राम रुपये में)
गेहूँ	ए.ए.वाई.	35	2.12
	बी.पी.एल.	35	5.20
चीनी	ए.ए.वाई. एवं बी.पी.एल.	2	13.50

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में ए.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्न तथा चीनी का वितरण नहीं किया जाता। गेहूं तथा चीनी का प्रति मास औसतन उठान क्रमशः 41,849 टन तथा 2,285 टन है।

सरकार इस प्रणाली के सुधार हेतु कटिबद्ध है ताकि कमियों को दूर किया जा सके तथा योजना का पूर्ण लाभ जरूरतमंद तथा असली लाभार्थियों को मिल सके। इसके लिये गांव/वार्ड स्तर पर निगरान समितियों का गठन किया गया है जो कि वास्तविक वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिये सशक्त है। इसके अतिरिक्त वितरण एवं देख-रेख करने के लिये इसमें ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी शामिल किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश (सेवानिवृत) श्री डी.पी. वधवा कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार की टिप्पणी मांगी थी जिनमें अन्य बातों के इलावा यह भी कहा गया था कि राशन डिपू खोलने तथा चलाने का कार्य राज्य सिविल सप्लाई निगम द्वारा किया जाए। राज्य में हरियाणा राज्य सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार प्रसंघ लिमिटेड (कान्फैड) द्वारा राशन डिपू खोलने तथा चलाने का कार्य उत्साहवर्धन नहीं रहा। अतः राज्य सरकार की राय है कि राशन डिपू चलाने का कार्य जो कि इस समय निजी क्षेत्र में है, को जारी रखा जाए क्योंकि इनका आबंटन पारदर्शी तरीके से किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट कार्ड परियोजना, जो कि आरम्भ से अंत तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करेगी, के कार्यान्वयन उपरांत इस प्रणाली में व्याप्त चोरी (pilferage), विपथन (diversion), रिसाव (leakages) तथा अन्य कमियों को दूर किया जा सकेगा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्मार्ट कार्ड के आधार पर वस्तुओं का वितरण, केन्द्र सरकार के सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग से चलने वाली एक प्रायोगिक (Pilot) परियोजना है जो कि केवल इस प्रणाली में सुधार लाने के लिये समर्पित है। राज्य के चार खण्डों नामत: अम्बाला, घरौण्डा, सोनीपत तथा सिरसा में सामान का वितरण स्मार्ट कार्ड, जिनमें आधार संख्या तथा बायोमैट्रिक सत्यापन निहित है, के आधार पर शुरू किया गया है तथा आशा है कि इस परियोजना को दिसम्बर, 2013 तक पूरे राज्य में लागू कर दिया जायेगा।

आधार एक संख्या है जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा जारी की जाती है तथा जिसके द्वारा आधार कार्डधारक की पहचान, जन्म तिथि तथा पता सत्यापित किया जा सकता है। शत् प्रतिशत कवरेज तथा आधार संख्या वाले बैंक खाते खुलने के बाद यह दुरूपयोग तथा धोखाधड़ी को रोकते हुये सब्सिडी, पैन्शन तथा छात्रवृत्ति के वितरण में सकारात्मक भूमिका निभायेगा। पैन्शन तथा सब्सिडी प्राप्त करने वाले लोगों के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वे केवल बैंकों में ही खाता खुलवाये। ये लोग डाकघरों तथा सहकारी बैंकों में भी खाता रख सकते हैं जिन्हें आधार भुगतान ब्रिज (ए.पी.बी.) के साथ जोड़ा जा रहा है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House may be extended for half an hour.

Voices: Yes, yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended for half an hour.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भण)

(ii) हरियाणा में भारी ओलावृष्टि से फसलों को हुई हानि संबंधी--

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received Calling Attention Notice from Shri Sampat Singh, MLA regarding crop loss by heavy hailstorm in Haryana and I admit it. Calling Attention Notice Nos. 28 and 29 given notice of by Shri Perminder Singh Dhull, MLA, and three other MLAs and Shri Dharam Pal Obra, MLA respectively being on similar subject have been clubbed with Calling Attention Notice No. 10. Calling Attention Notices Nos. 37, 39, 41, 42, 43 and 44 by Shri Krishan Lal Panwar, MLA & three other MLAs, Shri Anil Vij, MLA, Shri Anand Singh Dangi, MLA, Shri Krishan Pal Gujjar, MLA, Shri Abhay Singh Chautala, MLA & three other MLAs and Shri Bishan Lal Saini, MLA have also given on the similar subject so, they are also allowed to raise their supplementaries. Now, Shri Sampat Singh, MLA, may read out his notice.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई भारी हानि संबंधी एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनवरी के महीने में वर्षा किसानों के लिए वरदान थी। यह मनुष्यों, पशुओं तथा फसलों के लिए लाभदायक थी, उसी समय कुछ किसान बहुत दुर्भाग्यशाली थे जिन्होंने विशेष कर झज्जर, नारनौल, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, पानीपत तथा करनाल में भारी ओलावृष्टि का सामना किया। सरसों, गेहूं, सब्जियों तथा फलों

[प्रो० सम्पत सिंह]
की फसलें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। किसानों ने पहले ही इन फसलों पर बहुत खर्च किया है तथा अचानक उनके अच्छे उत्पादन के सपने बिखर गए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को तुरन्त विशेष गिरदावरी करवानी चाहिए तथा पीड़ित किसानों को राहत देनी चाहिए।

मैं सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूँ।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 28

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या -10 के साथ ब्रेकटिड की गई

सर्वश्री परमेन्द्र सिंह ढुल, एम.एल.ए. नसीम अहमद, एम.एल.ए., मोहम्मद इलियास एम.एल.ए. तथा कली राम पटवारी, एम.एल.ए., इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हाल ही में हरियाणा प्रदेश में भारी वर्षा हुई है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा एवं तूफान के कारण किसानों की गेहूं, सरसों, चना इत्यादि की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त, किसानों की गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। फसलों के नुकसान का प्रभाव विशेष कर जिला रोहतक तथा झज्जर इत्यादि से सम्बन्धित किसानों को झेलना पड़ा। सरकार किसानों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए तुरन्त आश्वयक पग उठाये और प्रभावित क्षेत्रों में गिरदावरी करवा कर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई मुआवजा दे कर करे।

सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 29

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या -10 के साथ ब्रेकटिड की गई

श्री धर्मपाल ओबरा, एम.एल.ए. इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हाल ही में हरियाणा प्रदेश में भिवानी में भारी वर्षा के साथ-साथ ओलावृष्टि भी हुई है जिसके कारण किसानों की गेहूं, सरसों तथा चने इत्यादि की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। फसलों के नुकसान का प्रभाव विशेषकर जिला रोहतक तथा झज्जर के किसानों को झेलना पड़ा। सरकार को ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के लिए एवं किसानों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए तुरन्त आवश्यक पग उठाने चाहिए और प्रभावित क्षेत्रों में गिरदवारी करवा कर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई विशेष मुआवजा दे कर करें।

सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

वक्तव्य-

राजस्व मंत्री तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Honble Members now Hon'ble Minister will give his reply.

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और तकरीबन 75 प्रतिशत व्यक्ति इस प्रदेश के खेती से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इनकी

सरकार की किसानों के प्रति नीति, उनकी सुरक्षा और उनकी संवर्द्धन की भावना से आज प्रदेश का किसान देश में गेहूं के उत्पादन की लिहाज से दूसरे नम्बर पर केन्द्रीय पूल में अपना योगदान देता है। अध्यक्ष महोदय, चाहे वह किसान के हित के लिए पोलिसी की बात हो, चाहे दक्षिणी क्षेत्र में किसान को निहायत रियायत दरों पर बिजली की सप्लाई देने की बात हो, किसानों के हित में बिजली माफी की योजना हो या एम.एस. प्राइस के हिसाब से केन्द्रीय सरकार द्वारा किसान को नीतियों के आधार पर काफी मदद देने की बात हो, हमने किसानों की मेहनत के आधार पर ये उपलब्धियां प्राप्त की है। मुख्यमंत्री महोदय को देश में कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया है जो इस बात का सबूत है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी हाल ही में जनवरी और फरवरी के इन महीनों में किसानों का ओला वृष्टि और बारिश से जो नुकसान हुआ है उस बारे में वैसे तो माननीय सदस्य ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि राज्य में 4 फरवरी से 6 फरवरी 18 फरवरी से 19 फरवरी एवं 21 फरवरी से 25 फरवरी, 2013 को भारी वर्षा और ओलावृष्टि से राज्य के कुछ जिलों में गेहूं, सरसों, चने और चारे की फसलों को नुकसान हुआ।

फरवरी माह में राज्य में 32.6 एम.एम. सामान्य वर्षा के मुकाबले 71.8 एम.एम. वर्षा हुई जो कि सामान्य वर्षा से 121 प्रतिशत अधिक थी जिससे रबी 2013 की फसल विशेषकर गेहूं, सरसों, चना और चारे की फसलों को कुछ जिलों में नुकसान हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न एजेंसियों के साथ स्टोक के संरक्षण सहित निवारक उपाय करने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को दिनांक 2-2-2013 को बचाव के निर्देश दिये।

राज्य सरकार ने तुरन्त कदम उठाते हुए सभी उपायुक्तों से वर्षा/ओलावृष्टि से हुए नुकसान का विवरण मांगा गया। इसके प्रति उत्तर में उपायुक्त सोनीपत, नारनौल, मेवात, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, अम्बाला, रेवाड़ी, सिरसा, पानीपत, जीन्द, हिसार, यमुनानगर और भिवानी में हुए अनुमानित नुकसान का विवरण भेजा है। इसके दृष्टिगत सरकार ने संबंधित उपायुक्तों को वर्षा/ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिये हैं।

विशेष गिरदावरी दो-तीन सप्ताह में पूरी होने की सम्भावना है। प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के नार्मज के अनुसार प्रदान की जाएगी जो कि भारत सरकार के नार्मज से अधिक है।

राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए उत्सुक है। प्रभावित किसानों को राहत शीघ्र प्रदान की जाएगी।

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सरकार किसान हितैषी है और हमेशा किसानों के हितों की सुरक्षा करने में तत्पर रहती है। जब कभी किसानों को फसलों की खराबी के कारण नुकसान होता है, राज्य सरकार हर संभव राहत शीघ्र प्रदान करती है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 46(1) एवं 48(1) (a) के अधीन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष एवं राज्य स्तर पर राज्य आपदा राहत कोष का गठन किया गया है। इस कोष का गठन चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, बादल फटना तथा शीतलहर आदि से पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए किया गया है। राशि का 75 प्रतिशत भारत सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार प्रदान करती है।

1. **मुआवजे के नार्मज**

सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हिदायतें जारी की जाती हैं। इसके दृष्टिगत सरकार ने जुलाई, 2010 में सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि और आगजनी के नार्मज को

[श्री महेन्द्र प्रताप]

संशोधित किया है। राज्य सरकार मार्च, 2005 से लगातार क्षतिपूर्ति नार्मज को बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए गेहूं के सूखे से खराब होने पर मार्च, 2005 से पहले 51 से 75 प्रतिशत खराबे के लिए 1,000/- रुपये प्रति एकड़ की तुलना में अब 2700/- रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए जा रहे हैं। यह नार्मज भारत सरकार के नार्मज की तुलना में काफी अधिक हैं। भारत सरकार सूखे से प्रभावित फसल के लिए असिंचित प्रति एकड़ के लिए 1214/- रुपये व सिंचित क्षेत्र के लिए 2428/- रुपये प्रति एकड़ प्रदान करती है। इसी तरह ओलावृष्टि, आगजनी व बाढ़ के लिए राज्य सरकार के नार्मज गेहूं, धान, कपास व गन्ने के लिए 51 से 75 प्रतिशत खराबे के लिए मार्च 2005 से पहले 1000/- रुपये प्रति एकड़ के मुकाबले अब 4500/- रुपये प्रति एकड़ है। यह नार्मज भी केन्द्र सरकार की ओलावृष्टि, आगजनी व बाढ़ के लिए असिंचित क्षेत्र के लिए 1214/- रुपये प्रति एकड़ व सिंचित क्षेत्र के लिए 2428/- रुपये प्रति एकड़ की तुलना में काफी अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार भारत सरकार से अधिक नार्मज प्रदान कर रही है। राज्य सरकार क्षतिपूर्ति नार्मज को लगातार संशोधित कर रही है जो कि मार्च 2005, जनवरी 2007 और जुलाई 2010 में संशोधित हुए हैं।

2. **विगत वर्षों के मुकाबले राज्य सरकार द्वारा दी गई मुख्य राहतें**

प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को हर सम्भव राहत सामग्री प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जिलेवार क्षतिपूर्ति ग्राफ दर्शाता है कि सरकार ने 1999-2004 के 74.33 करोड़ के मुकाबले 2005-2012 में 886.46 करोड़ वितरित किए। वर्ष 2010-2011 के दौरान सर्वाधिक 426.9 करोड़ राहत राशि वितरित की गई है। इसी तरह 2007-2008 में 157.09 करोड़ की राशि वितरित की गई। प्रत्येक वर्ष सूखे, बाढ़ व ओलावृष्टि से फसलों की खराबी की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को राहत राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2010-11 तक प्रदान की गई क्षतिपूर्ति क्रमशः 72.97 करोड़, 82.89 करोड़, 17.09 करोड़, 43.63 करोड़, 85.24 करोड़ और 426.9 करोड़ है। वर्ष 2005-06 में सूखे से प्रभावित फसलों के लिए 14.80 करोड़ प्रदान की गई जबकि यह राशि 2009-10 में 79.29 करोड़ थी। वर्ष 2005-06 में बाढ़ से प्रभावित फसलों के लिए 6.74 करोड़ जबकि वर्ष 2010-11 में बाढ़ प्रभावित फसलों के लिए 378.92 करोड़ रुपये प्रदान किये गए। वर्ष 2005-06 में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए 51.43 करोड़ जबकि 2007-08 में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए 146.78 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

3. **मानव एवं पालतु पशुओं की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति नार्मज**

इसी प्रकार, मानव एवं पालतु पशु की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, सूखे, आग बिजली गिरने से मृत्यु पर सरकार प्रभावितों को राहत राशि प्रदान करती है। मानव मृत्यु पर 2005 से पहले 50,000/- रुपये प्रदान किये जाते थे जोकि अब 2.00 लाख रुपये कर दी गई है।

इसी तरह पालतु पशु मुख्यतः भेड़/बकरी, भैंस (तीन साल के बच्चे तक) खच्चर, गधा, गाय, बैल/भैंस, घोड़ा, ऊंट के लिए 2000-16,400/- रुपये प्रदान किये जा रहे हैं जोकि वर्ष 2005 से पहले 300-300/- रुपये थे।

4. **फसलों के लिए क्षतिपूर्ति नार्मज**

बाढ़, ओलावृष्टि व आगजनी से खड़ी फसलों को हुए नुकसान के नार्मज को समय-समय पर बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए फसल खराबे के लिए सरकार के नार्मज (76-100 प्रतिशत)

1000/- रुपये प्रति एकड़ थे को बढ़ा कर 5500/- रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। यह नार्मज भी केन्द्र सरकार की ओलावृष्टि, आगजनी व बाढ़ के लिए (असिंचित क्षेत्र के लिए) 1214/- रुपये प्रति एकड़ व (सिंचित क्षेत्र के लिए) 2428/- रुपये प्रति एकड़ की तुलना में काफी अधिक हैं।

5. सरकार द्वारा उठाए गये नये कदम

क. आसमानी बिजली

इसके अतिरिक्त आसमानी बिजली को वर्ष 2011 में राज्य प्राकृतिक आपदा सूची में सम्मिलित किया गया है और इसके कारण मानव, पालतु पशु की मृत्यु को अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समान माना गया है। अब तक नौ प्रभावितों को 18 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है।

ख. ट्यूबवैल क्षति

राज्य सरकार ने 2010 में 7500/- रुपये प्रति ट्यूबवैल के अनुसार 2,601 ट्यूबवैल रिपेयर के लिए सहायता प्रदान की है। 2010 से 2013 के दौरान 1.95 करोड़ की राशि प्रभावितों को वितरित की जा चुकी है।

ग. नदी बहाव में बदलाव के कारण भूमिहीन होने पर

सरकार ने एक और अत्यंत सराहनीय कदम उठाया है जिसके तहत वर्ष 2011 से छोटे एवं सीमान्त किसानों को नदी के बहाव में बदलाव होने के कारण भूमिहीन होने पर 12,000/- रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए जा रहे हैं।

घ. भूमि बिजाईहीन रहने पर

सरकार ने एक और किसान हित में कदम उठाते हुये बाढ़ के पानी के खड़ा रहने के कारण बिजाई न होने से प्रभावित किसानों को वर्ष 2010 में 3,500/- रुपये प्रति एकड़ की दर से राहत राशि प्रदान की। उपायुक्त भिवानी, झज्जर एवं यमुनानगर को वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमशः 4.51 करोड़, 3.70 करोड़ तथा 0.15 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।

ङ. शीतलहर/पाला

शीतलहर राज्य आपदा राहत कोष के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल नहीं थी। राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर भारत सरकार के समक्ष मामले को उठाया। मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्रीय कृषि मंत्री को इस बारे में लिखा और राज्य सरकार के निरन्तर प्रयासों के द्वारा राज्य आपदा राहत कोश के अन्तर्गत शीत लहर को भारत सरकार से प्राकृतिक आपदा सूची में शामिल करवा लिया है। इसी के परिणामस्वरूप नारनौल, भिवानी और हिसार जिलों को जनवरी-फरवरी 2012 से शीत लहर से नष्ट फसलों के लिए 37.21 करोड़ रुपये वर्ष 2012-13 में प्रदान किए गए हैं।

6. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य मुख्य राहत राशि इस प्रकार है :--

(क) ओलावृष्टि

कुल 14,93,17,500/- रुपये की राशि वर्ष 2011-12 के दौरान मार्च/अप्रैल, 2011 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 24-10-2011 को स्वीकृत की गई।

(ख) उपकरणों की खरीद

वर्ष 2012-13 के दौरान जनस्वास्थ्य विभाग को 1.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति सुपर-सरकार मशीन खरीदने के लिए प्रदान की गई। इस मशीन का प्रयोग भूमिगत नालों की सफाई के लिए किया जाता है।

[श्री महेन्द्र प्रताप]

(ग) **संसाधनों की मुरम्मत एवं रख-रखाव**

2010 में बाढ़ के कारण हुये कटावों, किनारों तथा वर्षा से हुये कटावों को भरने तथा अस्थाई नाले बनाने आदि के लिए सिंचाई विभाग को 2011-12 में 7.27 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

(घ) **जल निकासी**

उपायुक्त, भिवानी, झज्जर, अम्बाला, रोहतक एवं कैथल को वर्ष 2012-13 में क्रमशः जल निकासी के बिलों के भुगतान हेतू 1.87 करोड़, 0.08 करोड़, 0.06 करोड़, 0.15 करोड़ तथा 0.08 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

(ङ) **बिजाई न होना**

उपायुक्त, भिवानी, झज्जर एवं यमुनानगर को क्रमशः 4.51 करोड़, 3.70 करोड़, 0.15 करोड़ रुपये बाढ़ के खड़े पानी के कारण वर्ष 2011-12 में बिजाई न होने के कारण प्रभावित किसानों को आबंटित करने के लिए वर्ष 2012-13 में प्रदान किए गए।

7. **नुकसान के आंकलन के लिए विशेष गिरदावरी**

उपायुक्तों से प्राप्त फसलों के नुकसान की रिपोर्ट के बाद सरकार ने वर्षा/ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं।

विशेष गिदावरी दो-तीन सप्ताह में पूरी होने की सम्भावना है। प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के नार्मज के अनुसार प्रदान की जाएगी जोकि भारत सरकार के नार्मज से अधिक है। कृषि विभाग ने विभिन्न जिलों में विभिन्न फसलों के नुकसान का अनुमान लगाया है। सिरसा, पानीपत, झज्जर, भिवानी, पलवल व जीन्द में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। सिरसा, गुड़गांव, पानीपत, झज्जर और पलवल में सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। जीन्द जिले में चारे की फसल को नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों को राहत शीघ्र प्रदान की जाएगी।

श्री आनंद सिंह दांगी (महम): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और रैवेन्यू मिनिस्टर जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने जैसे ही यह आपदा आई उसके बाद तुरंत गिरदावरी करवाने का काम करके किसानों को राहत देने का काम किया है । भारत वर्ष विशेषतौर से हरियाणा कृषि प्रदान प्रदेश है । यहां की 70 प्रतिशत नहीं बल्कि 100 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है । चाहे कोई दुकानदार है, व्यापारी है या लेबर तबका है सब लोग कृषि पर आधारित हैं । यदि हमारे यहां खेत में कुछ पैदा होता है तो सबको रोजगार मिलता है और खेत खाली होते हैं तो किसी के पेट में रोटी नहीं पहुंच सकती । अध्यक्ष महोदय, यह अहम बात है कि आज इस आपदा ने जिस प्रकार मुंह में आये निवाले को छीनने का काम किया है इस अवसर पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाये । यह प्रकृति की मार है इसकी भरपाई नहीं की जा सकती लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके किसानों को मुआवजा देने की आवश्यकता है । हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वहां कहीं तो साल में तीन-तीन फसलें ली जाती हैं और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां साल में गेहूं, सरसों या चने की एक फसल ही होती है । यदि ऐसे एरिया में इस तरह की ओलावृष्टि होने से या अधिक बरसात होने से फसल बरबाद हो जाये तो किसानों के पास रोजी-रोटी का साधन नहीं रह जाता । इस बारे में मेरी प्रार्थना यही है कि यह जो आपदा आई है इससे किसानों को राहत देने के लिए पूरा सर्वे करवाया जाये चाहे कोई भी फसल बरबाद हुई हो और जो इस बारे में नॉर्म्ज बनाये हैं उनको ध्यान में रखकर किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा

दिया जाये क्योंकि इस मद में बहुत पैसा है और यदि पैसा बढ़ाने की जरूरत है तो वह भी बढ़ाया जाये । अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि आज के दिन सभी लोग खेती-बाड़ी का काम नहीं करते। बड़े जमींदार अपनी जमीन पट्टे पर या सांझे/सीरी में दूसरे लोगों को दे देते हैं और अपने पैसे जो बनते हैं वे पहले ही ले लेते हैं लेकिन जब मुआवजे की बात आती है तो वह पैसा जिसकी जमीन होती है उसे मिलते हैं और वह आगे काश्तकार को पैसे नहीं देते । कई प्रकार के लोग होते हैं जैसे विपक्ष की तरह के जो दूसरों के पैसे नहीं देते । जो काश्तकार जमीन पट्टे पर लेते हैं वे पहले पैसे दे चुके होते हैं और मुआवजे की राशि जमींदार के नाम जाती है वे आगे उनको नहीं देते इसलिए इस बारे में भी विचार किया जाये और मौके पर जिस किसी ने भी जमीन की कास्त कर रखी है उसे मुआवजा देने का प्रावधान किया जाये । अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं तो यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद किसानों की हो सके वह सरकार की तरफ से की जाये क्योंकि किसान पर ही सब कुछ निर्भर करता है । यदि किसान के यहां पैदावार अच्छी होगी तो व्यापार भी बढ़ेगा और हर तबके को रोजी-रोटी मिलेगी । व्यापारी का व्यापार चलेगा और दुकानदार की दुकान चलेगी इसलिए किसान की ऐसे समय में मदद करना बहुत जरूरी है ताकि किसान के नुकसान की कुछ भरपाई हो सके । आज के दिन प्रति एकड़ 10 हजार रूपये का खर्च गेहूं की फसल पर आ जाता है और मुआवजे के नार्म्ज के मुताबिक 4500 रूपये 50 से 75 प्रतिशत फसल बरबाद होने पर दिए जायेंगे । 75 प्रतिशत से ऊपर जिन किसानों की बिलकुल फसल बरबाद हो गई उन किसानों के बारे में सोचने की जरूरत है । जहां पहले 60 से 80 मन गेहूं प्रति एकड़ होता था आज वहां एक दाना भी न हो तो किसान की हालत समझने की बात है और अंत में मेरी मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाये । धन्यवाद ।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (तिगांव): अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब ने विस्तार से इस बारे में सारी बातें कह दी हैं । मैं एक -दो बात निवेदन करना चाहूंगा कि आज लगातार खेती की लागत बढ़ रही है और गिरदावरी में बहुत समय लगता है जिसके कारण किसान मुआवजे के लिए नजर गढ़ाये रहता है और मुआवजा मिलने में सालों लग जाते हैं इसलिए तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए । दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि नार्म्ज के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है वह बहुत कम है क्योंकि आज खेती की लागत बढ़ गई है ।

स्पीकर सर, इसीलिए मैं समझता हूं कि इन मुआवजों के नॉर्म्ज़ में भी संशोधन किया जाये क्योंकि आज की लागत के हिसाब से ये बहुत ज्यादा कम हैं । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा दांगी साहब ने भी कहा है मैं भी उसी बात को दोहराता हूं कि जो प्रदेश में बड़े किसान हैं वे अपनी ज़मीन को 25 से 30 हज़ार रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ के हिसाब से पट्टे पर दे देते हैं और जो गांव का गरीब आदमी है जिसके पास अपनी आजीविका के कोई संसाधन नहीं हैं वह उस ज़मीन को पट्टे पर लेकर अपने परिवार का लालन-पालन करता है वह सारे पैसे एडवांस में उस ज़मींदार को दे देता है । अगर फसल का नुकसान होता है तो वह उस पट्टेदार को होता है जबकि उसका कम्पनसेशन उस ज़मीन के मालिक को मिलता है। इस बारे में भी सरकार को कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने वास्तव में पट्टे पर जमीन लेकर खेती की है उस व्यक्ति को ही फसल के नुकसान का मुआवज़ा मिलना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : स्पीकर सर, वैसे तो इस बारे में सरकार का काफी डिटेल्ड रिप्लाई आ चुका है और इस रिप्लाई में सरकार ने स्पैशल गिरदावरी करवाने की बात भी कही है लेकिन फिर भी गिरदावरी में ज्यादा समय लग जाता है (विघ्न) लेकिन जब तक वह गिरदावरी पूरी नहीं हो जाती

[श्री अनिल विज]

है तब तक किसान अपनी खराब फसल वाले खेत में कोई दूसरी फसल नहीं उगा सकता जो कि खास तौर पर सब्जियों और आलू वगैरह के केसिज़ में होता है क्योंकि अगर किसान ने अपने खेत में कोई सब्जी या फिर आलू की खेती कर रखी है और वह खराब हो गई है तो उसको अपनी अगली फसल लगाने से पहले उसको खेत से बाहर निकालना पड़ेगा । एक बात तो मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह जो गिरदावरी का प्रोसैस है इसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाये और दूसरी बात मैं इस बारे में यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे केसिज़ में सरकार कोई इंटैरिम रिलीफ का भी प्रावधान करेगी ?

श्री जगबीर सिंह मलिक(गोहाना): स्पीकर सर, मैं पिछले दो दिनों अपने हल्के के गांवों में गया हूं वहां पर बहुत ही खराब स्थिति है । सर, ज्यादा हेल स्टॉर्म मेरे हल्के में भी हुआ है और बरौदा हल्के में भी काफी हेल स्टॉर्म हुआ है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपकी यह बात बिलकुल सही है कि आपके हल्के में काफी हेल स्टॉर्म हुआ है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, इसके अलावा मेरे हल्के में एक नई प्रॉब्लम किसानों को पेश आ रही है जिसके बारे में सरकार के जवाब में नहीं दिया गया है । मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि वर्षा की वजह से जो पानी का लैवल ऊपर आ गया है और पानी के लैवल के ऊपर आ जाने की वजह से किसानों की सारी की सारी फसलें खराब हो गई हैं । हेल स्टॉर्म में तो फसल का कुछ परसैंट ही खराब होता है । हां, यह अलग बात है कि वह खराबी 70, 80 या फिर 90 परसैंट भी हो सकती है लेकिन जो वाटर लैवल के ऊपर आ जाने से फसल का नुकसान हुआ है वह तो टोटल फसल का नुकसान है। सर, बहुत से ऐसे गांव हैं जैसे रौलद, बादी और मोई वगैरह जो कि पहले आपके हल्के में भी रहे थे इन गांवों में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जहां पर इस प्रकार से फसलों का पूरा नुकसान हुआ है उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए । इसके अलावा मैं एक सजेशन और देना चाहता हूं कि ये जो क्रॉप इंश्योरैंस है इसमें ऐसी पॉलिसी बनाई जाये जो स्टेट की तरफ से इंश्योरैंस हो और उसमें फार्मर्ज़ हिस्सेदार हों उसका रेट बहुत नोमीनल हो ताकि इस प्रकार से फसल का इंश्योरैंस हो जाये । जो किसान इंश्योरैंस में शामिल होगा उस किसान को उसकी फसल के नुकसान का अच्छा मुआवज़ा मिल सके जो कि 5 या 7 हज़ार के बजाय 10 हज़ार तक हो ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय उसकी अच्छी प्रकार से सहायता हो सके ।

श्री राजपाल भूखड़ी (सढौरा, अनुसूचित जाति) : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो यहां पर चर्चा में आया है झज्जर, नारनौल, रेवाड़ी, मेवात में जो हेल स्टॉर्म के कारण किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि पूरे यमुनानगर जिले में जल भराव के कारण किसानों की हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है । सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिकवैस्ट करना चाहता हूं कि इसमें हमारे जिले को भी शामिल किया जाये और इसके लिए स्पैशल गिरदावरी करवाई जाये और किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवज़ा दिया जाये ।

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया (पृथला) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि इसमें मेरे जिले पलवल का नाम नहीं है जबकि वहां पर हेल स्टॉर्म के कारण पलवल ज़िले के कई गांवों में किसानों की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जिले पलवल को भी इसमें शामिल किया जाये ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर सर, शायद माननीय सदस्य ने ठीक से सुना नहीं है हमने इसके लिए पूरे प्रदेश को शामिल करने की बात कही है जिसमें जिला पलवल भी अपने आप ही शामिल हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि हमें उनके पलवल जिले के साथ-साथ पूरे प्रदेश के किसानों की चिंता है ।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि उनके जवाब में ओला वृष्टि का तो जिक्र है लेकिन जल भराव का इसमें कोई जिक्र नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें जल भराव को भी शामिल किया जाये और इसका उचित मुआवज़ा भी तय किया जाये क्योंकि जब अधिकारियों को जल भराव के कारण खराब हुई फसलों की गिरदावरी के बारे में कहा जाता है तो वे कहते हैं कि इसके बारे में गिरदावरी करने के हमारे पास सरकार के आदेश नहीं हैं ।

प्रो. सम्पत्त सिंह (नलवा) : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बहुत ही लोक महत्त्व के विषय पर आपने यहां पर चर्चा करवाई । सर, इस बारे में काफी साथी सदस्य बोल चुके हैं । सर, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मुख्यमन्त्री बनने के बाद में इसमें कोई दो राय नहीं है कि फसलों के नुकसान का कम्पनसिएशन 50 से 75 परसैंट नुकसान पर 4500/- रूपये तथा 75 से 100 परसैंट पर 5500/- रूपये कर दिया यानी कि साढ़े चार और साढ़े 5 गुणा बढ़ाया है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं भी मेरे दूसरे साथियों के साथ इस बात को जोड़ता हूँ कि वह अमाउंट अब बहुत कम रह गई है । जिस समय बढ़ाया गया उस समय तो इन्होंने बहुत दरियादिली के साथ बढ़ाया था ।

श्री अध्यक्ष : अब आप कह रहे हैं कि वह कम है ।

श्री सम्पत सिंह : हाँ सर, वह अमाउंट काफी पहले मुख्य मंत्री जी ने दिये थे लेकिन अब वह अमाउंट कम महसूस होती है । सरकार ने 800-900 करोड़ रूपये पहले भी बांटे हैं । इस समय प्रदेश में किसान हितैषी सरकार है और किसान की काफी मदद करती है । सरकार ने लैंड एक्विजीशन पॉलिसी को 4 बार रिवाइज किया है । किसानों की जमीनों के फ्लोर रेट समय-समय पर बढ़ाये हैं । ज्यों-ज्यों किसानों की मांग उठती गई इन्होंने जमीनों के रेट बढ़ा कर दरियादिली दिखाई है । इसी तरह से पहली बात तो यह है कि इसकी अमाउंट बढ़ाई जानी चाहिए । दूसरी बात यह है कि हमने गिरदावरी की परसैंटेज वाली क्लॉज जो डाली है उसमें ज्यादातर की गिरदावरी 50 परसैंट से नीचे रख देते हैं । गिरदावरी करते समय पटवारी आदी स्टाफ को हिदायत दे दी जाती है कि सरकार पर बोझ बढ़ेगा इसलिए वे गिरदावरी को 50 परसैंट से नीचे ले जाते हैं । 50 का पैमाना, 49 का पैमाना और 51 परसैंट का पैमाना, 1 परसैंट की वजह से एक दम से सारा ही सिस्टम बदल जाता है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पैमाने को भी चेंज किया जाये । इसमें 50 परसैंट की बजाय 25 परसैंट पर लाया जाये क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं उनका जरूरी नहीं है कि वह उनका प्रोफार्मा हो, उसमें परिवर्तन आना चाहिए । नॉमर्स में भी परिवर्तन आना चाहिए और कम्पनसिएशन में भी परिवर्तन आना चाहिए । बाकी सरकार ने काफी लम्बा-चौड़ा जवाब दिया है तथा मेरे मित्रों ने भी कह दिया है इसलिए मैं और कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता ।

श्री घनश्याम दास गर्ग (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले के गांवों में पीछे जो पाले की और जल भराव की आपदा आई है उनका मुआवजा अभी तक सरकार के पास जमा पड़ा है, उन लोगों को मिला नहीं है । क्या इस बारे में मंत्री जी बतायेंगे कि वे पैसे लोगों को अभी तक क्यों नहीं मिले हैं?

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल उठाये हैं । पहले दांगी साहब ने कहा कि अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए और मुआवजा कास्तकार को ही दिया जाना चाहिए । इसके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि कास्तकार मालिक से ठेके पर लेता है या साझे पर लेता है तो अधिकार कास्तकार का ही है और इसके लिए स्पेशल निर्देश दे दिये गये हैं कि कास्तकार का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाये कि कौन कास्तकार है और कौन मालिक है? इस काम के लिए कृषि विभाग के स्टाफ की भी ड्यूटी रिवैन्यू विभाग के स्टाफ के साथ लगाई गई है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : ठीक है सर ।

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जहाँ तक मुआवजे की बात है कि मुआवजा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए । इनकी इस बात से मैं ही नहीं सारा हाउस ही सहमत है कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और किसान का हित जितना अधिक से अधिक संवर्धन किया जाये उतना ही अच्छा है । अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सबकुछ इस लिखित जवाब में दिया गया है लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो भारत सरकार के नार्म हैं उनसे कहीं ज्यादा 2010 में हमारे नार्म फिक्स किये गये हैं । उसमें मुआवजा 25 से 50 परसैंट तक 3000/- रूपये प्रति एकड़, 50 परसैंट से 75 परसैंट तक 4500/- तथा 76 परसैंट से लेकर 100 परसैंट तक 5500/- रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है। मेरे हिसाब से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके हिसाब से यह देश में सर्वाधिक है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : मंत्री जी आप भी और माननीय मुख्य मंत्री जी भी तो पूरे देश में सबसे अच्छे और किसान हितैषी हैं ।

श्री महेन्द्र प्रताप : सर, मुख्यमंत्री जी को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वह तो अपने आप ही आंकलन करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे रहे हैं। आज भी और प्रदेशों की बजाए हमारे प्रदेश में मुआवजे की राशि सर्वाधिक है। लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि फिलहाल जो नार्मज हैं उसके मुताबिक किसानों को जितना अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए उतना ही कम है। जहां तक मुआवजा जल्दी देने की बात है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोल्ड वेव और फॉग के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा देने का जिक्र मुआवजा लिस्ट में नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रयास से देश में किसान के लिए इतिहास में पहली बार कोल्ड वेव और फॉग से जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा देने के लिए 37 करोड़ रुपये गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया रिसोरसिज़ फंड में दे दिए गए हैं जो कि जल्दी ही किसानों को वितरित कर दिए जाएंगे। जल भराव से जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी स्पैशल गिरदावरी के तौर पर स्पेशल आदेश दे दिए गए हैं कि जल भराव से हुए नुकसान की भी गिरदावरी की जाए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, बागवानी को जो लोस हुआ है उसको भी इसमें जुड़वा दें।

श्री महेन्द्र प्रताप : सर, जो भी बागवानी का और सब्जी का नुकसान हुआ है इन सबको इसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन नार्म के मुताबिक उस लिस्ट में इनका मुआवजा नहीं है। काश्तकार के मुआवजे की बात भी आ गई । जल भराव का भी मैंने जिक्र कर दिया है। (विघ्न) जहां बारिश का पानी भर गया है, वाटर लोगिंग अर्थात जल भराव से जो नुकसान हुआ है केवल उसके लिए मुआवजा दिया जाता है।

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा : सर, जहां पानी भर जाता है उन किसानों को तो 100 प्रतिशत नुकसान है।

श्री महेन्द्र प्रताप : स्पैशल गिरदावरी होने के बाद और आंकलन होने के बाद उसका जो मुआवजा बनेगा वह दे दिया जाएगा।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां फसल की बिजाई हो गई तो उस वक्त वहां जल भराव नहीं है और अगर बाद में फसल खराब हुई है तो पानी की वजह से खराब हुई है। जहां फसल की बिजाई हो गई और उसका नुकसान चाहे कहीं भी, किसी भी हालत में हुआ हो, उसका मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए।

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा : सर, हमारे क्षेत्र में गेहूं कि बहुत अच्छी फसल खड़ी थी जो बरसात से फल्ड आने के कारण बिल्कुल खराब हो गई।

श्री महेन्द्र प्रताप : सर, जल भराव से जहां फसल खराब हो गई उसकी गिरदावरी से ही तो आंकलन होगा। आप इसके लिए मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कीजिए क्योंकि देश में किसी भी प्रांत में इन चीजों को इन्कल्यूड नहीं किया गया और इतना मुआवजा नहीं दिया गया है।

नियम समिति की रिपोर्ट मेज पर रखना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 243 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I lay the Report of the Rules Committee on the Table of the House containing the recommendation regarding amendment in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

वर्ष 2013-14 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the general discussion on the Budget Estimates for the year 2013-14 will take place tomorrow.

श्री महेन्द्र प्रताप : सर, मैं हाउस को मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसान के हित और सुरक्षा के लिए सरकार हमेशा तत्पर है, पूरी तरह किसान के नुकसान के प्रति चिन्तित है और किसान के नुकसान की पूरी भरपाई जल्दी से जल्दी की जाएगी, और जो पानी की निकासी मलबे के भर जाने के कारण रुक गई है उसकी सफाई के पैसे डिस्ट्रिक्ट एडमीनिस्ट्रेशन को दे दिए गए हैं और सरकार किसानों को जल भराव का मुआवजा भी देगी।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 10.00 A.M. tomorrow.

*19.00 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. on Tuesday, the 5th March, 2013.)

51283–H.V.S.–H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh